वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2011-2012

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.

(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna Category-I)

लक्ष्य

विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए निरंतर उच्चस्तरीय ग्राहक संतुष्टि के साथ उच्च गुणवत्तावाली यात्रा, पर्यटन और अतिथि–सत्कार संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अग्रणी भूमिका निभाना।

VISION

To be the leading provider of high quality travel, tourism and hospitality related services, for a range of customer segments, with consistently high level of customer satisfaction.

कुल आय (करोड़ ₹ में)
Total Income (₹ in Crore)

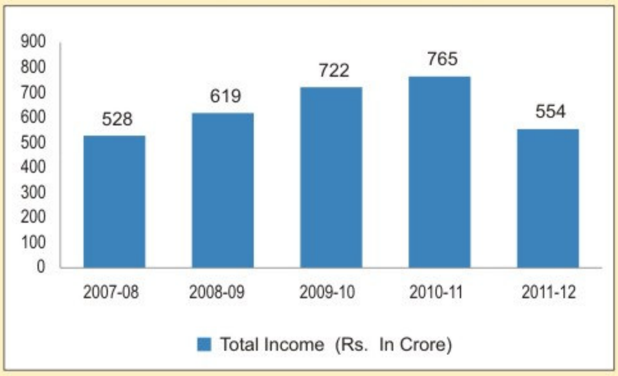

सकल लाभ (करोड़ ₹ में)
PBDIT (Gross Margin) (₹ in Crore)

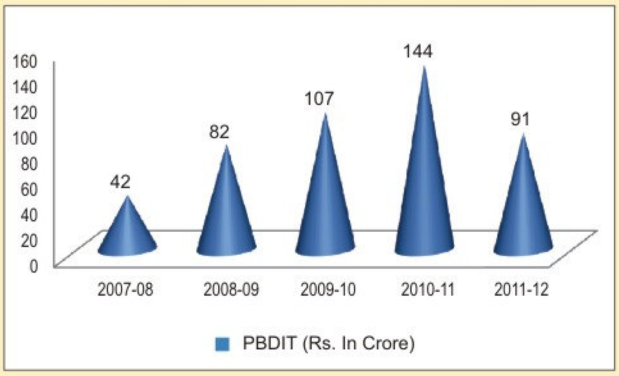

शुद्ध लाभ (कर के बाद लाभ) (करोड़ ₹ में)
Net Profit (Profit after Tax) (₹ in Crore)

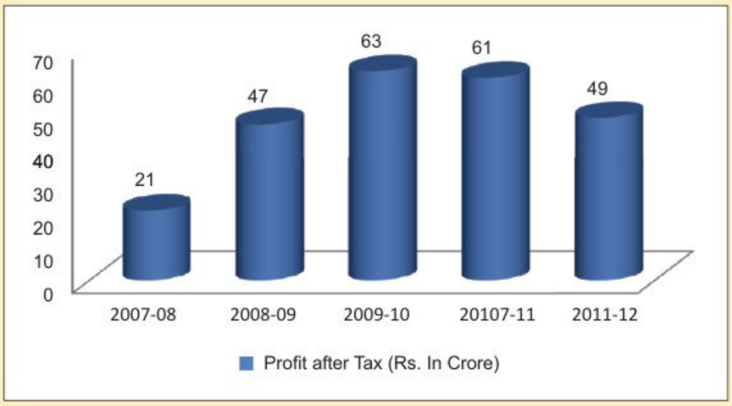

कुल आय-2011-12 का खण्डवार वितरण
Segment-Wise Distribution of Total Income-2011-12

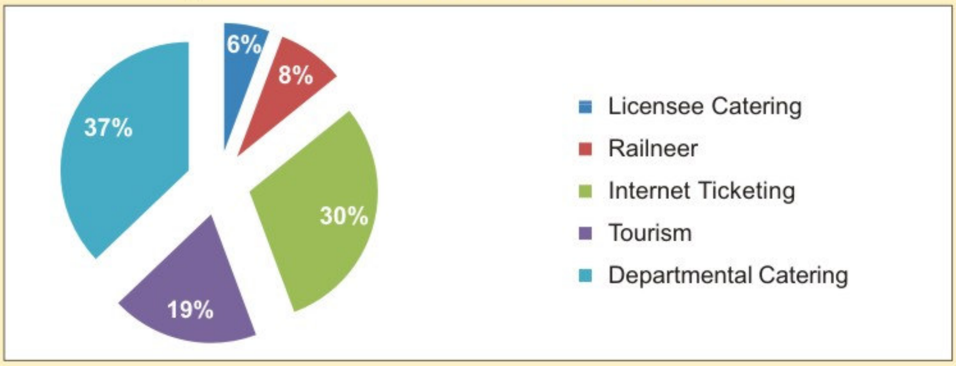

निदेशक मंडल Board of Directors

श्री के.के. श्रीवास्तव
अध्यक्ष
Shri K.K. Srivastava
Chairman

श्री राकेश कुमार टंडन
प्रबंध निदेशक
Shri Rakesh Kumar Tandon
Managing Director

डॉ. नलिन सिंघल
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
Dr. Nalin Shinghal
Director (Tourism & Marketing)

श्रीमती मनी आनन्द
सरकारी निदेशक
Smt. Mani Anand
Government Director

श्री संजय अरोड़ा
स्वतंत्र निदेशक
Shri Sanjay Arora
Independent Director

श्री आलोक शिवपुरी
स्वतंत्र निदेशक
Shri Alok Shivapuri
Independent Director

डॉ. सुभाष दत्ता
स्वतंत्र निदेशक
Dr. Subhash Datta
Independent Director

श्री के.के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष, श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक, डॉ. नलिन सिंघल, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) अन्य अधिकरियों के साथ सेन्ट्रल किचन, नोएडा में चपाती बनाने वाली स्वचालित प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए।

Shri K. K. Srivastava , Chairman, Shri Rakesh Kumar Tandon, Managing Director, Dr. Nalin Shinghal, Director (T& M) alongwith other officers observing automated chappati making process on their visit to Central Kitchen, Noida.

दाएं से बाएं, महामहिम वेंची ऑन्ग, प्रतिनिधि, ताइपै आर्थिक एवं सांस्कृतिक, केन्द्र, भारत, मास्टर हशिम ताओं, लिंग जोसहान मोनास्टरी, ताइवान के प्रमुख, श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, श्रीमती ऑन्ग मार्च 2012 के दौरान महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस पर लिंग जौसहान मोनास्टरी से आए 250 श्रद्धालुओं के लिए विशेष चार्टर ट्रिप के अवसर पर सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर।

Seen from right to left. H.E Wenchyi Ong, Representative, Taipei Economic & Cultural Center, India, Master Hshin Tao, Head of Ling Zouhsan monastery, Taiwan, Sh.Rakesh Kumar Tandon, Managing Director, IRCTC, Mrs. Ong at Delhi Safdarjung Railway Station on the occasion of special charter trip of 250 devotees from Ling Zoushan monastery on the Mahaparinirvan Express during March 2012.

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी – I)

कॉरपोरेट कार्यालय : 9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001.
फोन : 011-23311263-64 (ईपीबीएक्स), फैक्स : 011-23311259

वार्षिक रिपोर्ट, 2011-2012

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी – I)

विषय–सूची

प्रलेख	पृष्ठ सं.
अध्यक्ष का संबोधन	1 - 3
निदेशकों की रिपोर्ट	4 - 20
निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध	
1. अनुबंध–I : प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	21 - 27
2. अनुबंध–II : ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समाहन, विदेश मुद्रा आय एवं व्यय आदि।	28 - 29
3. अनुबंध–III : कॉरपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट	30 - 36
4. अनुबंध–IV : कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र	37
लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट और लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध	38 - 41
31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	42
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	43
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश–फ्लो) विवरण	44
तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा के साथ संलग्न टिप्पणियां	45 - 72
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां	73 - 75
दस वर्षीय वित्तीय उपलब्धियां	76

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य
यातायत, रेलवे बोर्ड

प्रबंध निदेशक

श्री राकेश कुमार टंडन

कार्यरत निदेशक

डॉ. नलिन सिंघल,
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)

सरकारी निदेशक

श्रीमती मनी आनन्द
कार्यपालक निदेशक (टी.एंड सी.)
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री संजय अरोड़ा

श्री आलोक शिवपुरी

डॉ. सुभाष दत्ता

लेखा–परीक्षा समिति

अध्यक्ष

श्री संजय अरोड़ा

सदस्य

डॉ. नलिन सिंघल,

श्री आलोक शिवपुरी

डॉ. सुभाष दत्ता

बैंकर्स

1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इसके सहायक बैंक
6. कॉरपोरेशन बैंक
7. ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
8. सिंडीकेट बैंक
9. केनरा बैंक
10. बैंक ऑफ इंडिया
11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12. आंध्रा बैंक
13. इण्डियन बैंक
14. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
15. सिटी बैंक
16. एक्सिस बैंक लिमिटेड
17. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
18. येस बैंक
19. यूको बैंक
20. विजया बैंक
21. फेडरल बैंक
22. कर्नाटका बैंक लिमिटेड
23. इन्ड्सइन्ड बैंक लिमिटेड
24. कोटक महिन्द्रा बैंक

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय
9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

कॉरपोरेट कार्यालय का आंशिक भाग
दूसरी और पांचवीं मंजिल, एसटीसी
बिल्डिंग, जवाहर व्यापार भवन,
1 टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001

इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय :
नया परिचालन केन्द्र, उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय,
आईआरसीए कॉम्प्लैक्स, चेम्सफोर्ड रोड,
नई दिल्ली–110055.

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई :
उत्तर रेलवे का वायरलेस स्टेशन एरिया,
नांगलोई बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई,
दिल्ली–110041.

कंपनी सचिव :
श्री नीरज कुमार अग्रवाल

सांविधिक लेखा–परीक्षक :
मैसर्स भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

रेलनीर संयंत्र, दानापुर :
लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. बैरक्स के दक्षिण में,
खगौल, दानापुर–801105 (बिहार)

रेलनीर संयंत्र, पलूरः
पलूर रेलवे स्टेशन, तालुक चेंगलपट्टू
जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु –603101

सेन्ट्रल किचनः
प्लॉट नं. ए60, सेक्टर–64, नोएडा – 301201

जोनल कार्यालय

उत्तर जोन :
जिंजर रेलयात्री निवास, भू–तल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
अजमेरी गेट साइड, नई दिल्ली–110001

पूर्व जोन :
पुरानी कोयलाघाट बिल्डिंग, 3 कोयलाघाट स्ट्रीट,
कोलकाता–700 001

पश्चिम जोन :
दूसरी मंजिल, नई प्रशासनिक बिल्डिंग, सेन्ट्रल रेलवे,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुम्बई–400 001

दक्षिण जोन :
6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9 मैक निकोलस रोड,
चेटपेट, चेन्नै–600 034

दक्षिण–मध्य जोन :
दूसरी मंजिल, एम श्री क्लासिक कॉम्प्लैक्स,
सरोजनी देवी रोड, सिकंदराबाद–500 071

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

13वीं वार्षिक सामान्य बैठक

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकगण,

कॉरपोरेशन की तेरहवीं सामान्य बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

हम यहां 31 मार्च, 2012 को समाप्त तुलन पत्र उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि लेखा और निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करने, उस पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये प्रलेख पहले से ही आपके पास हैं और मैं यह मान लेता हूँ कि आप ने इन्हें पढ़ लिया होगा।

अब मैं वर्ष 2011–12 के दौरान कॉरपोरेशन के निष्पादन की प्रमुख विषेशताओं का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2011–12 के दौरान निगम को कुल 554.11 करोड़ रूपए की आमदनी हुई जबकि 2010–11 में यह 764.93 करोड़ रूपए थी। वर्ष 2011–12 के दौरान 76.54 करोड़ रूपए का सकल लाभ हुआ जबकि वर्ष 2010–11 के दौरान यह 129.79 करोड़ रूपए था। लाइसेन्सी खानपान का कारोबार रेलवे के पास चले जाने से कुल आमदनी और लाभ में कमी आई है। खानपान को छोड़कर व्यापार के अन्य सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

31.03.2012 को मौजूद स्थिति के अनुसार निगम का शुद्ध मूल्य 246.70 करोड़ है जबकि 31.03.2011 को यह 211.41 रूपए था।

निदेशक मंडल ने वर्ष 2011–12 के लिए अंतिम लाभांश के तौर पर 9.71 करोड़ रूपए की सिफारिश की है। यह प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 48.5 प्रतिशत बनता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन के लेखा परीक्षित लेखों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। कंपनी को हाल ही में वित्त वर्ष 2011–12 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें उन पर प्रबंधन के जवाब सहित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

परिचालनिक निष्पादन :–

1. **खानपान एंव आतिथ्य सत्कार :**

   फूड प्लाजा, फास्ट फूड एवं गैर रेलवे खानपान यूनिटों सहित चल एवं स्थैतिक यूनिटें।

   लाइसेन्सी यूनिटों के रेलवे को सम्पूर्ण अंतरण और विभागीय यूनिटों के आंशिक अन्तरण के चलते, निगम के पास अब 39 मोबाइल यूनिटें (23 दूरंतो सहित), 4 बेस किचन, 14 जन आहार और 10 अल्पाहार कक्ष आदि बच रहे हैं।

   जहां तक स्थैतिक खानपान का संबंध है, बहुत थोड़ी सी बाकी बची विभागीय ओर लाइसेंसियों द्वारा परिचालित यूनिट अभी भी आईआरसीटीसी के पास हैं, जिन्हें क्षेत्रीय रेलों को अन्तरित किया जा रहा है।

   निगम ने 12 और फूड प्लाजा/ फास्ट यूनिटों को शामिल किया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर अब 97 हो गई है।

   गैर रेलवे क्षेत्र में वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 30 यूनिटें खोली गई हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 39 हो गई हैं।

   सेन्ट्रल किचन

   वर्ष के दौरान, निगम ने नोएडा में एक सेन्ट्रल किचन (फूड फैक्ट्री) खोला। इस रसोईघर में पहले चरण में प्रतिदिन 10000 भोजन उत्पादन करने की क्षमता है, जिसको बढ़ाकर 25000 भोजन प्रतिदिन करने का प्रावधान किया गया है। यह भारत और विदेश से आयातित अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। यहां पर रेलवे और कार्पोरेट ग्राहकों की आपूर्ति के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं। इस समय, सेन्ट्रल किचन से सभी विभागीय राजधानी गाड़ियों के लिए शाम का नाश्ता सप्लाई किया जा रहा है। यहां से नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के कार्पोरेट ग्राहकों को भोजन सप्लाई किया जाता है।

एक्जिक्यूटिव लाऊँज

वर्ष के दौरान, निगम ने एक पायलट परियोजना के तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के प्रस्थान–पूर्व और आगमन–पश्चात् आराम के लिए हवाई अड्डों पर बने लॉऊजों की तर्ज पर ''एक्जिक्यूटिव लाऊँज तैयार करने का काम शुरू किया है। यह व्यवसाय का एक नया क्षेत्र है। 50 और रेलवे स्टेशनों पर ऐसे लाऊँजों के बनाए जाने का प्रस्ताव है।

2. रेलनीरः

11 जुलाई 2011 को पालूर, तमिलनाडु में एक नया रेलनीर प्लांट शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट में तीन पारियों के आधार पर प्रतिदिन 1.8 लाख बोतलों का उत्पादन किया जाएगा। जुलाई के बाद वर्ष के दौरान मार्च 2012 तक इस संयंत्र में प्रतिदिन 0.88 लाख बोतल प्रतिदिन की दर से उत्पादन हुआ। अन्य रेलनीर प्लांटों तथा नांगलोई और दानापुर में वर्ष के दौरान क्रमशः 3.34 करोड़ और 3.24 करोड़ बोतलों का उत्पादन हुआ, जबकि प्रत्येक प्लांट की स्थापित क्षमता 3.34 करोड़ बोतलें हैं।

3. यात्रा एवं पर्यटन

निगम कार्पोरेट जगत के लिए सम्पूर्ण यात्रा सेवाएं मुहैया कराता है जिसमें हवाई यात्रा की टिकट देशी और अंतर्राष्ट्रीय होटलों में बुकिंग, टैक्सी किराए पर देना, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएं, बीमा एवं विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना शामिल है। वर्ष 2011–12 के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी जोनल कार्यालयों ने भी कार्पोरेट यात्रा सेवा शुरू की है।

वर्ष के दौरान निगम ने श्रीलंका के बौद्ध यात्रियों की सुविधा के लिए एक बजट रेल गाड़ी चलाई है। यह रेल गाड़ी गैर वातानुकूलित है और बौद्ध परिपथ के लिए चेन्नै से चलती है। इसका यात्रा कार्यक्रम 15 और 21 दिन का है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस गाड़ी ने 3 फेरे लगाए हैं।

निगम ने 8 जनवरी 2012 से लग्जरी रेल गाड़ी 'महाराजा एक्सप्रेस' के पूरे परिचालन और विपणन के कार्य को अपने हाथ में ले लिया है। बाजार में इसके प्रति बहुत उत्साह देखने को मिला है।

विभिन्न हिल रेलवे सेक्शनों पर चार्टर के परिचालन के अलावा निगम ने कालका–शिमला रेलवे पर एक हेरिटेज खिलौना गाड़ी चलाई है, जिसमें सैलून टाइप सवारी डिब्बों का इस्तेमाल किया गया है। फरवरी से अप्रैल 2012 तक इस गाड़ी के 14 फेरे सफलतापूर्वक चलाए गए हैं।

इसके अलावा निगम ने वर्ष के दौरान एफआईटी और इनबाउंड यात्रा सेवा की भी शुरूआत की है। 800 चीनी डेलिगेटों के समूह और 300 अन्य विदेशी छात्रों के लिए यात्रा एवं भ्रमण से संबंधित व्यवस्थाएं की हैं।

4. इंटरनेट टिकटिंगः

वर्ष 2011–12 के दौरान इंटरनेट टिकटिंग का कारोबार निगम के लिए बहुत उत्साहवर्धक रहा है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट https:www.irctc.co.in के ज़रिए वर्ष के दौरान बुक की गई टिकटों की संख्या बढ़कर 11.61 करोड़ हो गई है जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 9.69 करोड़ थी। भारतीय रेलों पर आरक्षित टिकटों की 45–50 प्रतिशत टिकटें इस साइट के ज़रिए बुक की जा रही हैं।

ग्राहकों तक इसकी पहुंच सुलभ बनाने के लिए निगम ने मोबाइल फोन के ज़रिए टिकट बुक कराने के लिए एक नई वेबसाइट https:www.irctc.co.in/mobile शुरू की है।

भावी वृद्धि की संभावनाएं :

निगम अतिथि सत्कार, पर्यटन, ई–कॉमर्स ओर बोतलबंद पीने के पानी के क्षेत्र में मौजूद व्यापक संभावनाओं का पता लगाने के लिए आश्वस्त है और अपनी बहुमुखी भूमिका के लिए अपने आप को चुस्त दुरूस्त बनाने की तैयार में जुटा हुआ है।

भविष्य के लिए भी निगम रेलवे और गैर रेलवे क्षेत्र में नए अवसर तलाशने के लिए कटिबद्ध है ताकि यह उच्च स्तर के निष्पादन को कायम रख सके और साथ ही अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना जारी रखेगा।

खानपान के क्षेत्र में नए कैफेटेरिया एंव कैंटीन, हाइवे खानपान, फैसीलिटी प्रबंधन सेवाएं शुरू करने, होटलों का संपूर्ण प्रबंधन करने, अतिथि गृहों, अन्य स्थानों पर सेन्ट्रल किचन खोलने आदि जैसी विभिन्न पहल– कदमियां की जा रही है।

पर्यटन के क्षेत्र में, पांचों तख्तों की यात्रा के लिए नई रेल गाड़ी चलाने, हवाई यात्रा के पैकेज तैयार करने, आउटबाउंड पैकेज शुरू करने, इंटरनेशनल हैवी हॉल एसोसिएशन कान्फ्रेंस जैसे इवेंटस आयोजित करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

बोतलबंद पीने के पानी के क्षेत्र में मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने, अम्बरनाथ, बिलासपुर और छह अन्य स्थानों पर नए रेलनीर संयंत्र स्थापित करने के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा शताब्दी गाड़ियों के यात्रियों के लिए कम दूरी की यात्राओं हेतु 500 मि.ली. की पानी की बोतलों का उत्पादन करने के लिए नांगलोई में अलग से व्यवस्था की जा रही है।

भविष्य में इंटरनेट टिकटिंग के सेवा के क्षेत्र को और बेहतर बनाया जाएगा, मूल्य संवर्धित सेवाएं शुरू की जाएंगी और इवेंट टिकटिंग और विदेशी रेलों के लिए टिकटों की बिक्री आदि के काम को शुरू किया जाएगा।

निष्पादन समीक्षा

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ वित्त वर्ष 2011 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निगम के कार्यनिष्पादन को ''उत्कृष्ट'' का दर्जा प्रदान किया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए निगम ने ''उत्कृष्ट'' ग्रेडिंग के लिए अपेक्षित सभी वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए हैं।

राजभाषा

भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन में निगम राजभाषा के कार्यान्वयन पर लगातार बल देता आया है। राजभाषा के प्रयोग–प्रसार के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें कार्यशालाओं का आयोजन, प्रशिक्षण प्रदान करना, बैठकों का आयोजन, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करना, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन और द्विभाषी गृह पत्रिका 'प्रेरणा' का प्रकाशन आदि शामिल है।

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने निगम में हिंदी के काम काज का जायज़ा लेने के लिए पश्चिमी जोन के मुंबई कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने हिंदी के प्रयोग प्रसार के लिए हमारे प्रयासों की सराहना की है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

निगम ने कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की नीति को लागू किया, ताकि कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदारी वाली एक ऐसी कंपनी बन सके, जिसके अनुसार वह पारिस्थितिकीय परिस्थितियों से समझौता किए बिना समाज के जीवन की गुणवत्ता में बेहतरी लाने के लिए योगदान दे सके।

इसके लिए वर्ष के दौरान सी.एस.आर वाली कई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे महाराजगंज – उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ मार्ग पर सुलभ शौचालय का निर्माण, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में आदर्श ग्राम ''सूपी' का विकास किया जाना और ''जयपुर फुट'' में गेट लैब को स्थापित किया जाना शामिल है।

कार्पोरेट अभिशासन

निगम, कार्पोरेट अभिशासन के उच्च मानकों के अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अच्छे अभिशासन की प्रक्रिया के रूप में कॉरपोरेशन ने अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचरण संहिता अपनाई हुई है और उसके अनुपालन की पुष्टि के लिए वार्षिक आधार पर उसकी रिपोर्ट ली जाती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग की अपेक्षा के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में कार्पोरेट अभिशासन पर भी एक रिपोर्ट अलग से दी गई है।

मैं, अपनी और निगम के निदेशक मंडल की और से निगम के निवर्तमान अध्यक्ष श्री विनय मित्तल, श्री विनोद अस्थाना, पूर्व निदेशक (खानपान सेवाएं), श्री विश्व रंजन गुप्त, पूर्व निदेशक (वित्त) और श्री आर. एन. भारद्वाज एवं श्री आर. के. अग्रवाल, पूर्व–स्वतंत्र निदेशकों का उनके द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं उनके योगदान की सराहना करता हूं और आने वाले समय में भी इस उपयोगी साहचर्य को और दृढ़ करने में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं।

समापन से पहले, मैं सभी शेयर धारकों द्वारा कार्पोरेशन में विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारत सरकार, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, और जोनल रेलों का उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

अंत में, मैं अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा हमारी संबद्ध एजेन्सियों द्वारा कार्पोरेशन के समग्र विकास और प्रगति के लिए दर्शाई गई प्रतिबद्धता, लगन और समर्पण की भावना से किए गए कार्य के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद,

हस्ता.

(के.के. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितम्बर, 2012

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन :

वर्ष 2011–12 के दौरान निगम ने कुल 554.11 करोड़ रूपए की आय प्राप्त की जबकि, 2010–11 में यह 764.93 करोड़ रूपए थी।

वर्ष 2011–12 के दौरान 76.54 करोड़ रूपए कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ जबकि पिछले वर्ष 2010– 2011 के दौरान 129.79 करोड़ रूपए लाभ प्राप्त किया गया था। कुल आय और लाभ में कमी होने का मुख्य कारण लाइसेन्सी खानपान सेवा रेलवे को सौंपना था।

31.03.2012 को कॉरपोरेशन का शुद्ध मूल्य 246.70 करोड़ रूपए था, जबकि 31.03.2011 में यह 211.41 करोड़ रूपए था।

कॉरपोरेशन द्वारा अर्जित लाभ को निम्नलिखित रूप से विनियोजित किया गया है:–

(करोड़ ₹ में)

विवरण / समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
कर पूर्व लाभ	76.54	129.79
कर के लिए प्रावधान	28.00	68.06
आस्थगित कर	–	0.94
करोपरांत लाभ	48.54	60.79
अग्रेणीत लाभ	14.50	12.84
आरक्षित में अंतरित	35.00	45.00
लाभांश (लाभांश कर सहित)	11.25	14.13
तुलन पत्र के लिए अग्रेणीत लाभ	16.78	14.50

2. रेलवे के राजस्व में अंशदान

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष के 55.59 करोड़ रूपए की तुलना में 25.64 करोड़ रूपए का अंशदान किया। रेलवे के राजस्व में किए गए अंशदान में ढुलाई प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेन्स फीस, उपयोगकर्त्ता प्रभार और लांभाश शामिल है। उपर्युक्त के अलावा वर्ष के दौरान 9646 करोड़ रूपए की टिकटें बुक की गईं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 8007 करोड़ की टिकटें बुक की गई थीं।

3. लाभांश

वर्ष 2011 – 2012 के लिए लाभांश कर को छोड़कर 9.71 करोड़ रूपए के लाभांश (शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत) की सिफारिश की गई है, जबकि पिछले वर्ष में 12.16 करोड़ रूपए (शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था।

4. पूंजीगत संरचना

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कॉरपोरेशन की प्रदत्त शेयर पूंजी 20 करोड़ रूपए थी। कॉरपोरेशन की पूरी प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है। वर्ष के दौरान, प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

5. व्यवसाय निष्पादन

कॉरपोरेशन के व्यवसाय संबंधी मुख्य कार्य क्षेत्र/गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

I- खानपान एवं अतिथि सत्कार

II- इंटरनेट टिकटिंग

III- यात्रा एवं पर्यटन

IV- बोतलबंद पीने का पानी (रेलनीर)

I- खानपान एवं अतिथि सत्कार :

वर्ष 2011–12 के दौरान लाइसेन्सी खानपान व्यापार से 30.38 करोड़ रूपए की आय हुई जबकि, वर्ष 2010–11 में 316.26 करोड़ रूपए की आय हुई थी। खानपान नीति 2010 का अनुपालन करते हुए लाइसेन्सी खानपान सेवा रेलवे को स्थानातंरित किए जाने के कारण इस आय में कमी हुई।

विभागीय खानपान व्यापार से वर्ष 2011–12 में 197.64 करोड़ रूपए की आय हुई जबकि पिछले वर्ष 2010–11 में 198.58 करोड़ रूपए की आय हुई थी। गैर रेलवे खानपान इकाइयों का 2011–12 के राजस्व में कुल योगदान 10.79 करोड़ रूपए रहा, जबकि 2010–11 में यह योगदान 6.64 करोड़ रूपए था। विभागीय खानपान में वर्ष 2011–12 के दौरान हानि घटकर 53.59 करोड़ रूपए रही, जबकि, वर्ष 2010–11 के दौरान यह हानि 55.47 करोड़ रूपए थी। ऐसा भोजन उत्पादों की दर में बढ़ोतरी और बिक्री की कीमत बढ़ाए बिना हुआ।

पूरी लाइसेन्सी इकाइयों और आंशिक विभागीय इकाइयों को स्थानांतरित करने के बाद निगम के पास 39 मोबाइल इकाइयां (23 दूरंतो सहित) 4 बेस किचन, 14 जन आहार और 10 अल्पाहार कक्ष आदि रह गए हैं।

(i) मोबाइल खानपान

नई चलाई गई सभी दूरंतो गाड़ियों में आईआरसीटीसी खानपान की व्यवस्था कर रही है। आईआरसीटीसी के प्रबंधन में 39 इकाइयां हैं। रेल मंत्रालय ने नई चलाई गई दूरंतो गाड़ियों सहित दूरंतो गाड़ियों का प्रबंधन करते रहने का निर्देश दिया है।

(ii) स्थैतिक खानपान

जहां तक स्थैतिक खानपान का संबंध है, लाइसेन्सी खानपान इकाइयां स्थानांतरित कर दी गई हैं और केवल 33 लाइसेन्सी द्वारा परिचालित इकाइयां आईआरसीटीसी के पास हैं। इन्हें भी क्षेत्रीय रेल को सौंपा जाएगा। विभागीय इकाइयों में 239 इकाइयां आईआरसीटीसी के पास हैं, जिन्हें बाद में चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जाना है।

(iii) बुक स्टाल

दिनांक 28.03.2012 के पत्र द्वारा रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बुक स्टाल अब आईआरसीटीसी के बदले क्षेत्रीय रेल द्वारा संभाले जाएंगे। रेल मंत्रालय के निर्णय के अनुसार निगम ने बुक स्टालों को क्षेत्रीय रेलों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(iv) एक्जीक्यूटिव लाउंज

सितंबर 2011 में रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को निर्देश दिया है कि हवाई अड्डों के लाउंज की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर प्रस्थान–पूर्व और आगमन के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए ''एक्जीक्यूटिव लाउंज'' स्थापित करे और इसके लिए भारतीय रेल नेटवर्क पर 50 स्थानों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

उक्त दिशा निर्देश के अनुपालन में, आईआरसीटीसी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नई दिल्ली स्टेशन पर एक्जीक्यूटिव लाउंज स्थापित करने और उसका प्रबंधन संभालने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके 2012–13 में चालू हो जाने की संभावना है। मंत्रालय ने भारतीय रेल नेटवर्क के 50 स्थानों पर ''एक्जीक्यूटिव लाउंज'' की सुविधा प्रदान करने का भी अनुमोदन प्रदान किया है।

(v) सेन्ट्रल किचन

वर्ष के दौरान, निगम ने नोएड़ा में एक अत्याधुनिक सेन्ट्रल किचन (फूड फैक्ट्री) खोला है। अगस्त, 2011 में ड्राई स्नैक्स जैसे– एसोर्टेड सैंडविच का उत्पादन शुरू कर दिया गया था। फरवरी, 2012 में पके हुए भोजन का उत्पादन और आपूर्ति परीक्षण के तौर पर शुरू हो गई थी। यह किचन 40000 वर्ग फुट में है और प्रथम चरण में प्रतिदिन 10000 भोजन उत्पादन करने की क्षमता है तथा दूसरे चरण में 25000 भोजन प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता है। यह अत्याधुनिक फूड फैक्ट्री है और सर्वश्रेष्ठ हवाई किचन के स्तर की है।

यह भारत और विदेशों से आयातित अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। रेलवे और निगम के ग्राहकों हेतु शाकाहारी अैार मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन बनाए जा रहे हैं। भारतीय स्नैक्स और मिष्ठान्न की मदें बहुत ही स्वास्थ्यकर स्थिति में तैयार की जा रही हैं जिसके लिए किचन सभी विभागीय राजधानी गाड़ियों में लगभग 6000 सायं कालीन स्नैक्स की आपूर्ति कर रहा है और लगभग 3000 भोजन नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए आपूर्ति कर रहा है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान इस इकाई का टर्नओवर 0.69 करोड़ रूपए था। वर्ष 2012–13 के लिए 10 करोड़ रूपए के टर्नओवर की आशा है।

(vi) गैर रेलवे खानपान

निगम ने विद्यमान सुविधाओं का उपयोग करते हुए सुविधा प्रबंधन, अतिथि सत्कार हब, अतिथि सत्कार संस्थान आदि अनेक क्षेत्रों से संबंधित कार्य संपादित किया है। निगम मॉल, व्यापारिक केन्द्रों, संस्थानिक खानपान इत्यादि में व्यापारिक खानपान की संभावनाएं तलाश रहा है। 2011–12 में 30 गैर रेलवे खानपान इकाइयां जोड़ी गई, इन्हें मिलाकर गैर रेलवे खानपान इकाइयों की संख्या 39 हो गई है।

गैर रेलवे खानपान इकाइयों के मुख्य उपखंड निम्नलिखित हैः

क) **खानपानः**– सांस्थानिक खानपान, कार्यालयीन खानपान, विशेष अवसरों के लिए खानपान और प्रबंधन, उद्योगों के लिए खानपान, राजमार्ग, खेलकूद और मेट्रो खानपान।

ख) **फैसिलिटी प्रबंधनः**– हाउस कीपिंग सेवा, अग्रिम पंक्ति का कार्यालय प्रबंधन, लाउंड्री सेवा, सुरक्षा सेवा, बागवानी सेवा, रसोई समर्थित सेवा, रखरखाव और अन्य संबद्ध सेवा।

ग) **होटल एवं गेस्ट हाउस का प्रबंधन** :– खानपान सेवा का प्रावधान (कैफेटेरिया और रूम सेवा) हाउस कीपिंग सेवा का प्रावधान, लाउंड्री सेवा, सुरक्षा सेवा, बागबानी, रखरखाव और अन्य संबद्ध सेवाएं।

वर्ष 2011–12 के दौरान निगम ने खानपान सुविधा प्रबंधन सेवाएं करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

(क) राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता

(ख) भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र, मुंबई

(ग) इन्फो पार्क, कोचीन

(घ) आईआईएम, इन्दौर

(ड) जिला अदालत, भोपाल

(च) डाक प्रशिक्षण केन्द्र, वड़ोदरा

(छ) भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई

(ज) निफ्टेम, कुंडली, सोनीपत

(झ) चन्द्र शेखर आजाद यूनिवर्सिटी, कानपुर

(ञ) राउरकेला इस्पात संयत्र, उड़ीसा

(vii) बजट होटल :

आईआरसीटीसी ने अपने पास बजट होटलों/रेलयात्री निवासों के प्रबंधन का अनुभव होने के नाते पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल आदि जैसे राज्य पर्यटन बोर्डों और राज्य औद्योगिक निगमों से बजट होटल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए लिखा है। केरल और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव अग्रिम चरण में हैं जिनके 2012–13 में पूरे हो जाने की संभावना है।

(viii) गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली

आईआरसीटीसी सर्वोत्तम इनहाउस प्रयोगशाला और आर एंड डी सेन्टर के साथ गुणवत्ता मानकों तथा एच ए सी सी पी/आई एस ओ 22000 के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करता है।

एचएसीसीपी अनुपालन की निगरानी

खानपान सेवा उपलब्ध कराने वाले लीड ऑडीटर प्रशिक्षण प्राप्त एवं व्यावसायिक अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है और उन्हें एचएसीसीपी के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भोजन उत्पादन स्थलों का काम सौंपा गया है।

निगरानी प्रणाली –ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

भोजन और साफ सफाई की गुणवत्ता का पर्याप्त रूप से आकलन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण से किया जा सकता है और आईआरसीटीसी तीसरे पक्ष के जरिए ऐसे सर्वेक्षण व्यावासायिक रूप से करवाता रहता है। वर्ष 2011–12 के दौरान दूरंतो/राजधानी गाड़ियों तथा फूडप्लाजा और फास्ट फूड यूनिट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के तहत लाया गया। यह प्रक्रिया दूसरी और चौथी तिमाही में 18 दूरंतो और 6 राजधानी गाड़ियों में की गयी। इसका परिणाम यह रहा कि दूसरी तिमाही की अपेक्षा चौथी तिमाही का नतीजा दूरंतो/राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में 3–5 प्रतिशत बेहतर पाया गया।

खानपान सेवाओं को स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया को देखते हुए पिछले वर्ष 2010–11 में सीमित ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किए गए थे।

वर्ष 2011–12 से फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयों में भी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करने की शुरूआत की गई है। प्रथम चरण में किए गए 89 इकाइयों के सर्वेक्षण में 33 इकाइयों ने 85 प्रतिशत से अधिक निष्पादन दिया। शेष इकाइयों में चौथी तिमाही में अगले दौर में यह सर्वेक्षण किया गया। सुधारात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप 90 प्रतिशत से अधिक सुधार पाया गया। चौथी तिमाही की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 64 इकाइयों ने 85 प्रतिशत से अधिक निष्पादन दिया।

भोजन संरक्षा जांच

जनता के स्वास्थ्य पर भोजन संरक्षा के पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आईआरसीटीसी द्वारा तीसरे पक्ष के जरिए मान्यताप्राप्त केन्द्रों में परीक्षण प्रयोगशालाओं में भोजन संरक्षा जांच की जाती है। वर्ष 2011–12 के दौरान 16 गाड़ियों और 100 फूड प्लाजों/एफएफयू इकाइयों में ऐसी जांच की गई। गाड़ियों के मामलों में निष्पादन 75 प्रतिशत और स्थैतिक इकाइयों के मामले में 70 प्रतिशत रहा, जो 60 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है।

2011–12 में पहली बार गैर रेलवे खानपान इकाइयों की भोजन संरक्षा और स्वास्थ्य जांच की गई। 10 इकाइयों में की गई जांच में निष्पादन स्तर 70 प्रतिशत से अधिक पाया गया।

आई. एस. ओ. प्रमाणन

खानपान सेवाओं की गुणवता में सुधार लाने के लिए आई एस ओ प्रमाणन सहित गुणवत्ता के अनेक कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान 23 फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट को आई एस ओ प्रमाण–पत्र दिया गया। इससे आई एस ओ

प्रमाण पत्र वाली इकाइयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। वर्ष 2012–13 के लिए आई एस ओ प्रमाणन की संख्या 12 और इकाइयों हेतु प्राप्त करने के लिए निश्चित की गई है।

चौबीस घंटे नियंत्रण निगरानी

खानपान सेवाओं की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए नई दिल्ली में केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय स्थापित किया गया है जो यात्रियों को सुगम पहुंच सुलभ कराने के लिए पूरी तरह से फोन, फैक्स, ब्रॉड बैन्ड कनेक्टिविटी वाले पी सी से सुसज्जित है। राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, जोनल कार्यालयों में भी खानपान सेवाओं की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए जोनल नियंत्रण कार्यालय मौजूद हैं। नियंत्रण कार्यालय खानपान परिचालनों पर नज़र रखते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप शिकायतों को टेलीफोन पर प्राप्त करके उनका मौके पर ही समाधान करते हैं। यह नियंत्रण कार्यालय गाड़ी परिचालन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोताही के लिए खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं को सूचित करता है।

शिकायत की निगरानी और उस पर की गई कार्रवाई

वर्ष 2011–12 के दौरान गाड़ी के यात्रियों से 780 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जबकि पिछले वर्ष 2010–11 के दौरान 1283 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस प्रकार शिकायतों की संख्या में 39 प्रतिशत की कमी आई है। सेवा, गुणवत्ता, स्वास्थ्य, कर्मचारी संव्यवहार और सेवित भोजन की मात्रा जैसे क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों में कमी आई है।

शिकायतों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर निरोधात्मक और दण्डात्मक कार्रवाइयां की गई हैं। सभी शिकायतों का निवारण किया गया और लाइसेंसियों पर जुर्माना लगाना, कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासन और अपील संबंधी कार्रवाई करना तथा उचित स्तर पर परामर्श देने की विधियां अपनाई गई हैं।

सेन्ट्रल किचन नोएडा में आंतरिक भोजन जांच और स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करना।

वर्ष 2011–12 के दौरान एक आंतरिक भोजन जांच प्रयोगशाला भी सेन्ट्रल किचन नोएडा में स्थापित की गई। कच्चे पदार्थ तथा उपकरण/बर्तन और हाथ धोने की प्रयोगशाला में नियमित जांच की जाती है ताकि किचन से आपूर्ति किए जाने वाले भोजन का यथा संभव उच्चतम स्वास्थ्यकर मानक सुनिश्चित किए जा सकें।

II. इंटरनेट टिकटिंग

ई–टिकटिंग निष्पादनः

ई–टिकटिंग, ई–गवर्नेंस की सफलता की सबसे बड़ी कहानी है और इसने उस पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया है जिसमें आम आदमी का रेलवे से सरोकार पड़ता है। इससे सुविधा की दृष्टि से बहुत लाभ हुआ है और समय और श्रम की बचत हुई है तथा पारदर्शिता के साथ–साथ भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली है, जिससे रेलयात्रियों को बहुत सुविधा हुई है।

ई–टिकटिंग की त्वरित वृद्धि, ग्राहकों के लिए न केवल पूरी प्रक्रिया की सरलता से हुई है बल्कि ई–आरक्षण के लिए स्थापित शक्तिशाली प्रक्रिया के कारण भी हुई है, जिसके तहत सभी प्रकार के क्रेडिट कार्डों, अधिकांश डेबिट कार्डों, कैश कार्डों की सुविधा, नेट बैंकिंग की सुविधा और पांच प्रमुख भुगतान साधनों के जरिए टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। इसमें तत्काल ऑनलाइन धन वापसी सुविधा से भी मदद मिली है। आम आदमी भी, जिसके पास कंप्यूटर/नेट की सुविधा नहीं है, 500 शहरों और कस्बों में फैले हुए (लगभग 1.3 लाख) विभिन्न आउटलेटों के माध्यम से भी ई–टिकट खरीद सकता है। यात्रियों की और मदद करने के लिए वर्ष के दौरान सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच (बुकिंग का अत्यधिक महत्वपूर्ण समय) केवल सीधे यात्रियों को ही टिकट बुक कराने की अनुमति थी। उस समय एजेन्टों को टिकट बुक कराने की अनुमति नहीं थी। 10.07.2012 से तत्काल टिकटों का समय 10 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया है। बेईमान लोगों द्वारा ई–टिकट की बुकिंग किए जाने के अनधिकृत क्रियाकलापों को रोकने के लिए वर्ष के दौरान अनेक अभियान चलाए गए। पंजीकरण की प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। किसी भी कदाचार को पकड़ने के लिए आईटी विभाग का ऐन्टीफ्रॉड सेल बुकिंग की नियमित निगरानी करता है। साइट को नियमित रूप से अपग्रेड करने और उच्चतम सुरक्षा स्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

इंटरनेट टिकटिंग भी दिनों–दिन मजबूत होती जा रही है। इस समय यह भारतीय रेल पर होने वाले कुल आरक्षण का 40 प्रतिशत काम सम्हाल रही है। हाल ही में हमने केवल एक दिन में पांच लाख टिकटों की रिकार्ड बिक्री की। वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 9646 करोड़ रूपए की टिकटें बुक की गई, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 8007 करोड़ रूपए थी। वर्ष 2011–12 में वेबसाइट के जरिए बुक की गई टिकटों की कुल संख्या (ई और आई दोनों प्रकार की टिकटों की मिलाकर) 11.61 करोड़ थी (20.99 करोड़ यात्री) जबकि 2010–11 के दौरान कुल 9.69 करोड़ (17.42 करोड यात्री) थी।

इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग 00.30 बजे से 23.30 बजे तक वर्ष के 365 दिनों उपलब्ध रहती है। आईआरसीटीसी ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार लाने के लिए मौजूद अवसंरचना में वृद्धि करने की प्रक्रिया में है।

ई–कामर्स उद्योग में आईआरसीटीसी टिकट की वेबसाइट ने लगातार एक प्रमुख स्थान बनाए रखा है। इस वेबसाइट पर किए जाने वाले लेन–देन की संख्या एशिया महाद्वीप में सर्वोच्च है।

आईआरसीटीसी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के वातावरण के साथ तारतम्य बनाए रखने के लिए भावी प्रौद्योगिकी को अपनाने पर ध्यान दे रही है। वर्ष के दौरान मोबाइल के जरिए टिकट प्राप्त करना किए गए उपायों में से एक है।

मोबाइल बुकिंगः

देश में मोबाइल उपयोगकर्त्ताओं की बहुत ही बड़ी संख्या को एवं इस माध्यम की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने मोबाइल फोन के जरिए टिकट बुक कराने के लिए https: www.irctc.co.in/mobile नामक वेबसाइट शुरू की है। आईआरसीटीसी मोबाइल वेबसाइट सुविधाजनक और आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली है। बेसिक जीपीआरएस एक्टीवेटिड ब्राउज़र वाले इनबाउंड मोबाइल फोन से यह टिकट प्राप्त किया जा सकता है। इस समय मोबाइल के ज़रिए प्रतिदिन 1000 टिकट बुक किए जा रहे हैं।

अगले कुछ वर्षों में मोबाइल कामर्स में प्रगति की बहुत अधिक संभावनाएं है। आईआरसीटीसी, आईवीआरएस, एस एम एस, यू एस एस डी, मोबाइल एप्लीकेशन आदि का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रौद्योगिकी के जरिए टिकट बुकिंग के लिए आक्रामक प्रयास कर रही है।

139–रेल संपर्कः

आईआरसीटीसी यात्री पूछताछ के लिए पी पी पी आधार पर **रेल संपर्क 139 (भारतीय रेलों की एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली)** का प्रबंधन करती है। 2011–12 में 23.50 करोड़ फोन पर कॉलें और 6.27 करोड़ एस एम एस सम्हाले गए थे। जबकि 2010–11 में यह आंकड़े क्रमशः 24.68 करोड़ फोन पर कॉले तथा 2.65 करोड़ एसएमएस थे।

III. यात्रा एवं पर्यटन

आईआरसीटीसी पर्यटकों की विभिन्न तबकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के यात्रा एवं पर्यटन उत्पाद और सेवाएं मुहैया कराता है। इनमें भारत दर्शन पर्यटक गाड़ियां, शैक्षणिक टुअर्स, महापरिनिवार्ण एक्सप्रेस, बौद्ध परिपथ विशेष गाडी, **दंबादिवा वंदना (चैन्नई से चलने वाली गैर वातानुकुलित बौद्ध परिपथ गाड़ी)** रेल एवं सड़क टुअर पैकेज, चार्टर्ड रेल गाड़िया एवं सवारी डिब्बे, हिल चार्टर, लग्जरी टूरिस्ट गाड़ियां, किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराना, ऑनलाइन होटल बुकिंग सेवा, ऑनलाइन एयर टिकटिंग और **कॉरपोरेट ट्रैवल सेवा** शामिल हैं। 2011–2012 में कॉरपोरेशन ने महाराजा एक्सप्रेस का भी पूर्ण परिचालन और प्रबंधन संभाल लिया है।

यात्रा एवं पर्यटन व्यवसाय से वर्ष 2011–12 में **98.95** करोड़ रूपए की आय हुई जबकि वर्ष 2010–11 में यह राशि **67.04** करोड़ रूपए थी, इस प्रकार इस मद में **47.6** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत दर्शन पर्यटन गाड़ी (विलेज ऑन व्हील्स):

आईआरसीटीसी बजट पर्यटकों के लिए भारत दर्शन पर्यटन गाड़ियां चलाता है। जिनमें यात्रीगण 500 रूपए प्रतिदिन की दर से भारत दर्शन कर सकते हैं:– इसमें रेल यात्रा, सड़क यात्रा, भोजन, पर्यटन स्थलों को देखना, आवास और बीमा आदि का

खर्च शामिल है। ये बहुत ही लोकप्रिय फेरे हैं और इनका पूरा उपयोग किया जाता है। वर्ष 2011–2012 के दौरान देशभर में 63 भारत दर्शन के फेरे चलाए गए, जबकि पिछले वर्ष 60 फेरे चलाए गए थे।

महापरिनिर्वाण एक्सप्रेक्स – बौद्ध परिपथ विशेष गाड़ी

महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस द्वारा बौद्ध परिपथ के विभिन्न गंतव्यों के लिए 7 रात/8 दिन का सर्वसमावेशी टुअर कराया जाता है और यह गाड़ी इस परिपथ पर अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय यात्रियों के लिए संरक्षित, आरामदेह और विश्वसनीय टुअर पैकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई गई है। अब तक 30 से अधिक देशों के यात्रियों ने इस पर यात्रा की है और इसकी सेवा को उत्कृष्ट रूप में सराहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान अनेक अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं और इसे आईएसओ प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

दंबादिया वंदना (चैन्नई से चलने वाली बौद्ध गाड़ी)

वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने श्रीलंका के बौद्ध यात्रियों की सुविधा के लिए बजट गाड़ी शुरू की है। इससे बहुत समय से लंबित मांग पूरी हो जाती है। जिसे भारत श्रीलंका द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भी उठाया गया था। यह चैन्नई से बौद्ध परिपथ पर चलने वाली गैर वातानुकूलित गाड़ी है जो चैन्नई सांची, सारनाथ–वैशाली–बोधगया–राजगीर–नालंदा–कुशीनगर–लुंबिनी श्रावस्ती–संकासिया–आगरा–दिल्ली के बीच 15 और 21 दिनों के यात्रा कार्यक्रमों सहित चलती है। वर्ष 2011–12 के दौरान 3 फेरे लगाए गए।

टुअर्स पैकेज

आईआरसीटीसी पूरे देश भर में पूर्ण समावेशी रेल टुअर पैकेज परिचालित करती है, जिसमें उचित मूल्यों पर पुष्ट रेल आरक्षण, सड़क मार्ग द्वारा यात्रा, आवास, भोजन और पर्यटन स्थलों की सैर करवाना शामिल है। टुअर परिचालन को अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से भारतीय मूल के लोगों के लिए विशेष पैकेज शुरू किया गया।

शैक्षिक टुअर्स

आईआरसीटीसी ने अपनी ''सीखने के लिए भ्रमण करें'' योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया है और बच्चों के लिए शैक्षिक टुअर्स के आयोजन के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन, विभिन्न राज्य सरकारों तथा प्राइवेट स्कूलों के साथ ताल–मेल किया है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए स्थानीय दिन के समय वाले टुअर आयोजित किए गए। सर्वशिक्षा अभियान के तहत केरल और पुड्डुचेरी को टुअर्स उपलब्ध कराए गए। कॉरपोरेशन ने गुवाहाटी से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत टुअर आयोजित किए।

कार्पोरेट यात्रा

आईआरसीटीसी कार्पोरेट जगत को संपूर्ण यात्रा सेवाएं मुहैया करा रहा है, जिसमें हवाई टिकट की बुकिंग, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय होटलों में बुकिंग, किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराना, पासपोर्ट और वीजा संबंधी सुविधा प्रदान करना, इंश्योरेन्स और विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। वर्ष 2011–12 में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों को सुविधा प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से कॉरपोरेट यात्रा सेवा प्रारंभ की है।

पर्यटन पोर्टल

आईआरसीटीसी का पर्यटन पोर्टल www.railtourismindia.com एक ही स्थान पर पर्यटन संबंधी समाधान उपलब्ध कराता है, यह पोर्टल, जिसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दिन–ब–दिन यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और यह यात्रा और पर्यटन संबंधी विभिन्न सेवाएं जैसे पर्यटन गाड़ियों की ऑन लाइन बुकिंग, टुअर पैकेज, होटल, किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराना और हवाई टिकटों की व्यवस्था करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल पर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए अनेक पैकेज शुरू किए गए हैं। आईआरसीटीसी द्वारा सीधे हवाई टिकट बुक किए जाने के लिए एक प्रमुख जीडीएस के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया गया।

आईआरसीटीसी लग्ज़री गाड़ी

आईआरसीटीसी के स्वामित्व में आला दर्जे की एक सुपर लगज़री ट्रेन है, जिसे 2010 में 'महाराजा एक्सप्रेस' के नाम से चलाया गया था। गाड़ी के उपयुक्त प्रबंधन और गाड़ी के लिए स्थापित किए गए संयुक्त उपक्रम की स्वच्छ एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के सभी प्रयासों के बावजूद, आईआरसीटीसी को संयुक्त उपक्रम के करार को तोड़ने के लिए और गाड़ी का सीधे परिचालन करने के लिए विवश होना पड़ा, ताकि इसका हित सुरक्षित रहे। आईआरसीटीसी की इस कार्रवाई पर अंतरिम आदेश पाने के लिए कॉक्स एंड किंग्स द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। दोनों माननीय न्यायालयों ने आईआरसीटीसी के पक्ष में निर्णय दिया और आईआरसीटीसी के निर्णय को सही ठहराया।

न्यायलय के आदेशों के संदर्भ में आईआरसीटीसी जनवरी 2012 से गाड़ी का पूर्ण परिचालन संभाल रही है। यात्राक्रम, किराया, एजेन्ट संबंधी नीति में अनेक सुधार और परिवर्तन किए गए हैं जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए आवश्यक थे जो गाड़ी को वित्तीय रूप से व्यावहारिक बनाने और संबंध पक्षों के साथ बर्ताव में पारदर्शिता लाने के लिए भी जरूरी थे। आईआरसीटीसी के इन उपायों की ग्राहकों द्वारा काफी सराहना की गई है।

वर्ष 2011–12 में, इस गाड़ी ने 31 फेरे किए, जबकि पिछले वर्ष 28 फेरे हुए थे। जनवरी और उससे आगे यह गाड़ी स्वतंत्र रूप से आईआरसीटीसी द्वारा परिचालित की गई है और अप्रैल 2012 तक 14 यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी की गई।

हिल चार्टर

विभिन्न पर्वतीय रेलवे सेक्शनों पर चार्टर गाड़ियां चलाने के अलावा, आईआरसीटीसी ने सैलून वाले सवारी डिब्बों को इस्तेमाल करके कालका – शिमला रेलवे पर एक हेरिटेज खिलौना गाड़ी चलाई है। फरवरी से अप्रैल 2012 की अवधि के दौरान इस गाड़ी के 14 फेरे लगाए गए।

एफ आई टी/इनबाउंड यात्रा सेवाएं

आईआरसीटीसी ने वर्ष 2011–2012 के दौरान एफआईटी और इनबाउँड यात्रा सेवाएं शुरू की हैं। आईआरसीटीसी ने 800 सदस्यों वाले चीन के एक दल के लिए यात्रा एवं इससे संबंधित व्यवस्थाएं की हैं। स्टडी–एक्सचेंज कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में 300 विदेशी छात्रों के लिए टुअर आयोजित किए गए।

भारत तीर्थ

वर्ष 2011–12 के दौरान तीर्थ स्थानों के विशेष यात्रा कार्यक्रमों वाली 2 विशेष भारत तीर्थ यात्राएं आयोजित की गईं।

(IV) बोतलबंद पीने का पानी (रेलनीर)

वर्ष 2011–12 के दौरान 1.8 लाख बोतल/प्रतिदिन क्षमता वाला पीने के पानी का प्लांट पलूर (चेन्नै) में संस्थापित किया गया है और जुलाई 2011 से शुरू कर दिया गया है।

रेलनीर प्लांट नांगलोई और दानापुर में क्रमश 3.34 करोड़ और 3.24 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया गया जबकि प्रत्येक प्लांट की संस्थापित क्षमता 3.34 करोड़ बोतलों की है। पलूर में 1.76 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया गया। जबकि पलूर प्लांट की संस्थापित क्षमता 2.45 करोड़ बोतलों की है। इस क्षेत्र में 2011–12 के दौरान कुल कारोबार 45.03 करोड़ रूपए का रहा जबकि अन्तर्क्षेत्रीय कारोबार 13.05 करोड़ रुपए का रहा।

नांगलोई में उत्पादित रेलनीर को चलती हुई गाड़ियों और स्थैतिक खानपान यूनिटों में मुख्य रूप से दिल्ली क्षेत्र और अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थित इकाइयों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा, संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, रेलवे बोर्ड और मंत्रालय आदि में भी रेलनीर की आपूर्ति की जाती है।

नए शुरू किए गए पलूर प्लांट में उत्पादित रेलनीर की बोतलों को दक्षिण भारत के दो मेट्रों शहरों अर्थात चेन्नै और बेंगलुरू से चलने वाली गाड़ियों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा, इन्हें तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और केरल के कुछ भागों में वितरित किया जाता है।

दानापुर में उत्पादित रेलनीर को बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा में वितरित किया जाता है।

रेलनीर प्लांट दानापुर पहले से ही आई.एस.ओ. 9001–2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के अनुरूप कार्य कर रहा है। रेलनीर प्लांट, नांगलोई वर्ष 2011–12 में प्रमाणन प्राप्त कर चुका है। रेल नीर प्लांट, पलूर आईएसओ:9001:2008 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और आशा है कि इसे 2012–13 में यह प्रमाणन प्राप्त हो जाएगा।

रेलनीर बोतलबंद पीने के पानी के प्रमाणन प्रयोगशालाओं द्वारा की गई जांच से पता चला कि रेलनीर के पानी की गुणवत्ता पेस्टीसाइड अवशेष के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के मानकों के अनुरूप है।

6. भावी वृद्धि के लिए रणनीतियां

पिछले कई वर्षों से आईआरसीटीसी ने अतिथि सत्कार, खानपान, पर्यटन, बोतलबंद पीने के पानी और ई–कॉमर्स के क्षेत्र में व्यापाक क्षमताएं विकसित की हैं। यह अखिल भारतीय स्तर पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है जिसमें, जोनल, आंचलिक और प्रमुख शहरों में स्टेशन अधिकारियों के स्तर पर कारोबार किया जाता है। इसमें प्रतिष्ठित होटल प्रबंधन संस्थानों से 1500 अतिथि सत्कार वाले व्यावसायिक शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर भोजन के उत्पादन के लिए विशेषज्ञता, उसके वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण के कामों से जुड़े हुए हैं। वे इन–हाउस और आउटसोर्स के मॉडल पर जटिल परिचालन प्रबंधन, उत्कृष्ट कोटि की खानपान सुविधाओं के विकास, डिजाइनिंग, अपग्रेडिंग और अतिथि सत्कार परियोजनाओं को सम्हालने, सस्ते और कम कीमत वाले पर्यटन उत्पादों को तैयार करने और उन्हें शुरू करने की क्षमता रखते हैं। ये व्यावसायिक क्षमता वाले कार्मिक पर्यटन प्रबंधन में विशेषज्ञता से लैस हैं और पी डी डब्लयू प्लैन्स से लैस हैं और पी डी डब्ल्यू प्लैन्स को तैयार करने और उन्हें परिचालित करने की क्षमता रखते हैं जिससे भारतीय रेल नेटवर्क की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है और आईआरसीटीसी में पूरे एशिया – पैसीफिक में सबसे बड़े ई–कॉमर्स की वेबसाइट है।

अपने पास उपलब्ध कौशल और विशेषज्ञता से युक्त एवं रेल मंत्रालय के समर्थन से आईआरसीटीसी नई ऊँचाईयों को छूने के लिए तत्पर है जैसा कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है। आईआरसीटीसी अपने कौशल और अनुभव के बल पर आने वाले वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों में कई गुणा वृद्धि करने को प्रतिबद्ध है:–

क. खानपान एवं आतिथ्य सत्कार – भावी संभावनाएं एवं योजना

गैर रेलवे खानपान के क्षेत्र में बड़ी संख्या में भावी परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जो विभिन्न चरणों में है। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं।

(i) गैर रेलवे खानपान

आईआरसीटीसी विभिन्न उपाय अपना कर खानपान और अतिथि सत्कार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासें में तेजी ला रहा है। हमारे पास विशेषज्ञों की ऐसी टीम है जो ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक ली गई परियोजनाओं को सरअंजाम देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है।

ऐसी कई परियोजनाओं की निशानदेही की गई और वे कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित है :–

(क) खानपान – कैफेटेरिया एवं कैंटीन

(ख) हाईवे केटरिंग

(ग) फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसिज़ डीएमआरसी – फूड किओस्क

(घ) होटलों और गेस्ट हाउसों का संपूर्ण प्रबंधन

(ii) एक्जीक्यूटिव लाऊँज

स्टेशनों पर भुगतान करके वातानुकूल लाऊंजों के उपयोग करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है और इस संबध में विचार–विमर्श भी किया जाता रहा है। आईआरसीटीसी ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहल की है और वह एक पायलेट परियोजना के रूप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक एक्जिक्यूटिव लाऊँज स्थापित करने की प्रक्रिया में है। रेल मंत्रालय ने भी भारतीय रेलवे पर ऐसे लाऊँजों के लिए 50 स्थानों का अनुमोदन किया है।

(iii) सेन्ट्रल किचन

कॉरपोरेशन का प्रमुख उद्देश्य मल्टीनेशनल कंपनियों, बीपीओ, पीएसयू, शैक्षिक संस्थानों आदि में उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध किए जाने की मांग को पूरा करना है। इसकी आवश्यकता है कि भोजन उच्चतम गुणवत्ता वाला हो, पौष्टिक हो और मौजूदा बजट और संभार तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यंजनों वाला हो।

इस बड़े अछूते बाजार का दोहन करने के लिए कॉर्पोरेशन ने एक फूड फैक्टरी खोली है, जिसके लिए 40,000 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र तैयार किया गया जहां पर पहले चरण में 10000 भोजन प्रतिदिन तैयार किए जाएंगे जिसे बाद में दूसरे चरण में बढ़ाकर 25000 भोजन प्रतिदिन कर दिया जाएगा। यह अपने प्रकार की अकेली पूरी तरह से स्वचालित अत्याधुनिक फूड फैक्ट्री है और यह सर्वोत्तम फ्लाइट केटरिंग किचन की तर्ज पर बनाई गई है।

सेन्ट्रल किचन ISO 22000:2005 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। प्राथमिक गैप ऑडिट किया गया है जिसके वर्ष 2012–13 में पूरा हो जाने की संभावना है।

इसकी संभावनाओं को देखते हुए, कॉर्पोरेशन आने वाले समय में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही व्यवस्था करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(iv) बजट होटल

कंपनी के प्रारंभिक आदेश में बजट होटल एक महत्वपूर्ण घटक थे। कंपनी सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर चार होटलों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है और इस क्षेत्र में आगे और संभावनाओं का पता लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/एजेन्सियों के साथ विचार–विमर्श कर रही है।

इसके अलावा, रेल मंत्रालय से भी आईआरसीटीसी द्वारा रेल परिसरों में बजट होटल खोलने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने तथा उसका अनुमोदन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, मल्टी फंक्शनल परिसरों (एमएफसी) रिटायरिंग रूमों आदि के प्रबंधन को आईआरसीटीसी को सौंपने का प्रश्न भी रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

ख. इंटरनेट टिकटिंग – भावी संभावनाएं एवं योजना

इंटरनेट टिकटिंग में भविष्य में निम्नलिखित पर बल दिया जाएगा:–

(क) www.irctc.co.in पर टिकट सेवाओं को अपग्रेड और सुदृढ़ किया जाएगा।

(ख) विभिन्न प्लेटफार्मों और एसएमएस सुविधाओं के लिए मोबाइल बुकिंग एप्लीकेशन्स जैसी नई सेवाओं/सुविधाओं की व्यवस्था।

(ग) आईआरसीटीसी वेबसाइट पर ग्राहकों को मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करना।

(घ) इवेन्ट टिकटिंग, अन्य रेलों के लिए टिकटिंग, ई–कॉमर्स जैसे संबंधित क्षेत्रों में विस्तार करना।

ग. पर्यटन – भावी संभावनाएं एवं योजना

आईआरसीटीसी का मुख्य उद्देश्य है ''देश में यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदाता कंपनी बनना। ''कंपनी आगामी वर्षों में अपने मौजूदा पर्यटन कारोबार का विस्तार करके तथा नए क्षेत्रों में पैठ बनाकर जैसे कॉर्पोरेट

यात्रा, देश के भीतर आने वाले व्यक्तिगत तथा संस्थागत यात्रियों के लिए नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के वास्ते प्रयासरत है। भविष्य के लिए विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र निम्नलिखित होंगे।

- **शैक्षिक भ्रमण** – आईआरसीटीसी अपनी 'ट्रैवेल टू लर्न' योजना के तहत देश की शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूत शैक्षिक विषयों और देखभाल करने के माहौल सहित विशेष रूप से तैयार किए गए पैकेजों की अग्रणी प्रदाता कंपनी बनी रहने का प्रयास करती रहेगी।
- **कॉरपोरेट यात्रा** – आईआरसीटीसी कॉरपोरेट विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कम लागत की और दक्ष यात्रा समाधान उपलब्धता पर निरंतर ध्यान देती रहेगी।
- **बौद्ध परिपथ यात्रा** – आईआरसीटीसी ने चेन्नै से एक विशेष गाड़ी चलाकर इस परिपथ पर सेवाओं को और बढ़ाया है और महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस के लिए एक नया रेक तैयार कर रही है।
- **डीलक्स पर्यटक गाड़ी** – आईआरसीटीसी मध्यम श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के लिए एक पर्यटक गाड़ी प्रारंभ करने की परियोजना पर कार्य कर रही है।
- **ऑन लॉइन यात्रा** – आईआरसीटीसी सबसे बड़ी ई–कामर्स साइट बनी रहने के लिए और ग्राहकों की विभिन्न कोटियों हेतु ऑन लाइन यात्रा समाधान प्रस्तुत करने, प्राप्त किए गए धन के बदले पूरी सेवा देने के अपने प्रयासों को और तेज करेगी।
- **रेल टूर पैकेज** – नियमित गाड़ी सेवाओं का उपयोग करते हुए आईआरसीटीसी वृहत् रेल आधारित पैकेज के अपने कार्य को और दृढ़ता प्रदान के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है।
- **एफआईटी/इनबाउंड/आउटबाउंड पैकेजः** आईआरसीटीसी विभिन्न प्रकार के बाजार की सेवाओं को बढ़ाएगी।
- **आईएचएचए** : आईआरसीटीसी को 2013 में नई दिल्ली में होने वाले अर्न्तराष्ट्रीय हैवी हॉल एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित किए जाने का दायित्व सौंपा गया है।
- **सिख गाड़ी** – आईआरसीटीसी पंजाब हेरिटेज टूरिज़्म प्रमोशन बोर्ड (पी एच टी पी बी) के सहयोग से पांच तख्तों तक अपनी सेवा सुलभ करने के लिए सिख परिपथ पर रेल सह हवाई पैकेज शुरू कर रही है।

घ. बोतलबंद पेय जल (भावी संभावना एंव योजना)

एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय रेल नेटवर्क पर बोतलबंद पेयजल की आवश्यकता प्रतिदिन लगभग 30 लाख बोतल की है, जब कि, वर्तमान में आईआरसीटीसी प्रतिदिन 3.8 लाख बोतल का उत्पादन कर रही है। अम्बेरनाथ (मुंबई) के संयंत्र के चालू हो जाने के बाद वर्ष 2013 से इसकी क्षमता 5.8 लाख बोतल प्रतिदिन हो जाएगी, जो कुल जरूरतों का लगभग 19 प्रतिशत होगा।

- रेलवे बोर्ड ने बिलासपुर में ''कंपनी के स्वामित्व वाली'' तर्ज पर एक रेल नीर प्लांट लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रारंभिक निमार्ण कार्यों को वित्त वर्ष 2012–13 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, और अनुकूलतम परियोजना प्रबंधन से इस प्लांट का कार्य वित्त वर्ष 2013–14 में पूरा कर लिया जाएगा। यहां पर प्रतिदिन 90 हजार बोतलों के उत्पादन की क्षमता की योजना है। रेलवे ने पहले ही बिलासपुर रेलवे स्टेशन के निकट अरपा नदी के तट पर एक स्थान का निर्धारण भी कर लिया है।
- रेल बजट में की गई घोषणा के अनुसार रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के मॉडल पर 6 स्थानों अम्बाला, अमेठी, फरक्का, मल, नासिक और तिरूवनंतपुरम में बोतल बंद पीने के पानी के प्लांट लगाने का कार्य सौंपा है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए भूमि लाइसेसिंग नीति को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद इन प्लांटों को स्थापित करने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।
- इसके अलावा, दिल्ली में पीने के पानी के कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बोतलबंद पीने के पानी के संयंत्र लगाने की योजना बनाई जा रही है।

- पेय जल की बर्बादी को रोकने के लिए 500 मि.ली. वाली बोतलों का नांगलोई प्लांट में उत्पादन के कार्य की योजना को क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। 5 घंटे तक की यात्रा वाली शताब्दी गाड़ियों में ये 500 मि.ली. बोतलें दी जाएगी।

7. पुरस्कार / मान्यता

विभिन्न क्षेत्रों में कॉरपोरेशन के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को देखते हुए हाल ही में इसे निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए :–

- 4000 करोड़ रूपए से कम आकार के तुलन–पत्र के साथ तेजी से उभरती हुई गैर उत्पादक कंपनी के लिए तीसरा डीएसआइजे पीएसयू पुरस्कार 2011। कंपनी को स्पीड किंग '(मिनीरत्न)'–पुरस्कार, अप्रैल 2011 में प्राप्त हुआ।
- एस के ओ सी एच – भारत सरकार के प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक से इंटीग्रेटेड ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (आईटीईएस) के लिए वर्ल्ड ओपन अवार्ड अक्टूबर 2010 में प्राप्त हुआ।
- इंडिया प्राइड अवार्ड – इंटरनेट टिकटिंग के लिए श्री प्रणव मुखर्जी माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से स्वर्ण पुरस्कार सितंबर 2010 में प्राप्त हुआ।
- आईआरसीटीसी ने भारत दर्शन, भारत तीर्थ गाड़ियों के ''उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन'' के लिए जीएमआर ट्रैवल अवार्ड 2010 जीता है।

8. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी पहलकदमियां :

वर्ष के दौरान, आईटी / पर्यटन / खानपान / मानव संसाधन विकास और वित्त विभागों में विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने पर बल दिया गया। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्पोरेट कार्यालय तथा विभिन्न जोनों में 2011–12 में 5854 कार्यदिवसों के रूप में थे, जो 2011–12 में प्रशिक्षण के लिए 3200 कार्यदिवसों के लक्ष्य से कहीं अधिक थे।

ग्राहक सेवा केन्द्र, दिल्ली और कार्पोरेट कार्यालय और जोनल कार्यालयों में प्रतिष्ठित क्षेत्रीय और सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

इसके अलावा, संगठन को व्यावसायिक पुट देने तथा इसके सुचारू परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान आईआरसीटीसी में खुले विज्ञापनों तथा कैंपस में की जाने वाली भर्तियों के ज़रिए 22 कार्यपालकों और 18 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी।

वित्त वर्ष 2011–12 के अंत तक अर्थात 31 मार्च 2012 को मौजूद स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति की संख्या 1762 थी जिसमें 370 कार्यपालक तथा 1392 गैर कार्यपालक कर्मचारी थे।

9. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

10. सतर्कता

- वर्तमान में सतर्कता विभाग एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। यह विभाग निवारक सतर्कता पर बल देने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि, प्रणाली और प्रक्रियाओं को उन्नत बनाया जा सके और मनमर्जी करने का अवसर बहुत कम रहे। प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से संबंधित विषयों पर अनुशासनिक और उचित तरीके से शक्तियों का प्रयोग सुनिश्चित करता है।

  सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर, 2011 से 5 नवम्बर के के दौरान आयोजित किया गया। आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों में विविध कार्यक्रम / व्याख्यान आयोजित किए गए। इनका उद्‌देश्य प्रणालीगत सुधार और सूचना तकनीक का प्रयोग करके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। इस दौरान एजेन्टों के जरिए ई–टिकट बुक करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातों के संबंध में यात्रियों / ग्राहकों की जानकारी के लिए 20000 पर्चे छपवाकर गाड़ियों में वितरित किए गए।

- सतर्कता विभाग के निष्पादन की समीक्षा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा नियमित रूप से की जाती है।
- आईआरसीटीसी ने सितंबर 2011 में व्हिसल ब्लोअर पोलिसी को अपनाया।

11. राजभाषा का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन में निगम राजभाषा के कार्यान्वयन पर लगातार बल देता आया है। निगम में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और निगम ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है।

कार्यशालाएं आयोजित करके, प्रशिक्षण दिलाकर, बैठकों, निबंध प्रतियोगिता, सांस्कृतिक गतिविधि, गृह पत्रिका 'प्रेरणा' का द्विभाषी प्रकाशन करके निगम ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए हैं। हिंदी में उल्लेखनीय योगदान देने वालों के लिए अनेक योजनाएं लागू हैं।

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान कॉरपोरेट कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग प्रसार की समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने निरीक्षण दौरा किया। समिति ने कॉरपोरेट कार्यालय में किए जा रहे हिंदी के प्रयोग की सराहना की।

12. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्टः

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

13. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के उपबंधों के अंतर्गत यथा अपेक्षित, कोई भी कर्मचारी उसमें निर्धारित सीमा से अधिक वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं कर रहा था।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि का विवरण :

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसार ब्यौरा **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय लेखाकरण के लागू मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए तथा अनुमान तैयार किए हैं जो उचित और विवेक सम्मत थे, ताकि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कॉरपोरेशन कार्यों की स्थिति का तथा समीक्षाधीन अवधि के लिए कॉरपोरेशन के लाभ एवं हानि का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत हो सके।

(iii) निदेशकों ने कॉरपोरेशन की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के समुचित रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(iv) निदेशकों ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा 'चालू कंपनी' के आधार पर तैयार किए हैं।

16. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

17. कॉरपोरेट शासन और समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर

इस रिपोर्ट के भाग में कॉरपोरेट शासन पर एक रिपोर्ट अनुबंध 3 में दी गई है। कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त की गई कॉरपोरेट अभिभासन पर प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV में दी गई है।

वर्ष 2011–12 के दौरान कॉरपोरेशन ने ''उत्कृष्ट'' ग्रेडिंग के लिए अपेक्षित सभी वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2011–12 के लिए समझौता ज्ञापन वित्तीय लक्ष्य और वित्तीय निष्पादन अनुबंध–I में प्रबंधकीय विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट के रूप में दिए गए हैं।

वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के लिए कॉरपोरेशन की निष्पादन रेटिंग **''उत्कृष्ट''** रही है। कॉरपोरेशन ने भारत सरकार, रेल मंत्रालय के साथ समझौते के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वर्ष 2012–13 के लिए अन्य बातों के साथ वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जा सके।

18. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वः

आईआरसीटीसी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की नीति ''अपने रेल यात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी संबद्ध पक्षकारों के प्रति एक सजग, दायित्व पूर्ण कॉरपोरेट के रूप में कायम रहना है। वर्ष 2011–12 के लिए कॉरपोरेशन ने 1.82 करोड़ रूपए कॉरपोरेट सामाजिक कार्यकलापों के लिए निर्धारित किया है। आईआरसीटीसी ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

बौद्ध परिपथ पर सुलभ शौचालय

सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से सुलभ परिसर के निर्माण एंव उसके रखरखाव की परियोजना को शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत बौद्ध परिपथ के यात्रियों तथा अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर (आनंन्द नगर, फरेन्द्रा) से जिला महाराज गंज उत्तर प्रदेश में नौतनवां तक एक सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को मार्च 2012 में पूरा कर लिया गया था। इसके निर्माण में आईआरसीटीसी का योगदान 25.11 लाख रूपए था जिसमें से 15.06 लाख रूपए की राशि का भुगतान 2011–12 के दौरान किया गया था। आईआरसीटीसी के वित्तीय समर्थन से सुलभ इस परिसर के रखरखाव का काम देख रहा है। इस परिसर का पर्यटकों और आम जनता द्वारा भरपूर उपयोग किया जा रहा है।

मुक्तेश्वर उत्तराखंड में आदर्श ग्प्रम ''सूपी'' का विकास

वर्ष के दौरान 50.66 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर दि एनर्जी एंड रिसोर्सिज इस्टीट्यूट (टेरी) के सहयोग से आदर्श ग्राम ''सूपी'' का विकास नामक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत ग्रामीणों के उपयोग तथा उनकी सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षा के जल के भंडारण के वास्ते मुक्तेश्वर, उत्तराखंड के ग्राम ''सूपी'' में वर्षा के जल के संचयन के लिए एक परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, इस परियोजना में ग्राम में कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा खाना पकाने के बेहतर स्टोव तथा सौर लालटेनों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा उपायों के वितरण एवं प्रयोग जैसे उपायों को शामिल किया जाएगा।

जयपुर फुट द्वारा चाल प्रयोगशाला (गेट लैब) की स्थापना

बीएमवीएसएस (जिसे जयपुर फुट के नाम से भी जाना जाता है) के साथ मिलकर चाल प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत जयपुर फुट, जयपुर में मेडिकल फैसिलिटीज़ में एक

चाल प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। चाल प्रयोगशाला बन जाने से बीएमवीएसएस जो कि लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए काम कर रहा है, अपनी पहले से ही मौजूद बेहतर गुणवता वाले बुनियादी ढांचे में गुणवत्ता रूप से इजाफा करके बड़ी संख्या में विकलांग लोगो की, जिनमें से अधिकांश लोग बहुत गरीब हैं, मदद करेगा। आईआरसीटीसी इसमें 57 लाख रूपए का अंशदान दे रहा है, जबकि इसकी पूरी लागत 91.40 लाख रूपए की है।

अन्य पहल कदमियां

आईआरसीटीसी द्वारा आयोजित ''हुनर से रोजगार'' (एच एस आर) प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईआरसीटीसी ने 18 से 28 वर्ष की आयु वाले गरीब और बेरोजगार युवाओं को रोज़गार दिलाने में मदद करने के लिए उनके कौशल को विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की सीबीएसपी योजना के तहत फूड प्रोडक्शन और एफएंडबी सर्विसिज़ में दो अल्प कालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया था। ये प्रशिक्षण कस्टमर केयर इंस्टीट्यूट, दिल्ली किशनगंज, आईआरसीटीसी बेस किचन, नई दिल्ली, जिंजर होटल, आईआरसीटीसी के सेंट्रल किचन, नोएडा और विभिन्न गैर रेलवे केटरिंग यूनिटों में आयोजित किए गए थे।

आईआरसीटीसी ने 14.05.2012 से 07.07.2012 तक के पहले बैच को सफलतापूर्वक संचालित किया।

हुनर से रोज़गार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान वर्दी, टूल किट, अध्ययन सामग्री प्रदान की गई और भोजन कराया गया। उन्हें क्रमशः 1500 रूपए और 2000 रूपए वृत्तिका भी प्रदान की गई थी।

परीक्षा आयोजित करने के बाद सभी सफल एचएसआर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे। आईआरसीटीसी ने उन्हें नौकरी प्राप्त करने में मदद की और अब सभी प्रशिक्षणार्थी अतिथि सत्कार उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

19. धारणीय व्यवसायिक विकासः

विशेष रूप से कम आय वाले देशों में धारणीय विकास में संतुलन बनाए रखना एक दुष्कर कार्य है। ऐसी स्थिति में समाज को एक साथ तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है अर्थात् वर्तमान पीढ़ी के सामाजिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक खुशहाली कायम करना साथ ही भूमि, वायु, वन, ऊर्जा और जल संसाधनों का संयमित उपयोग करना तथा भावी पीढ़ियों के हितों की भी रक्षा करना। विकासशील देशों में इनका चयन करना मुश्किल कार्य है। क्योंकि इससे उनकी जीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में नेतृत्व के लिए जनता की आवश्कताओं को समझना होगा, चयन और लागतों के संबंध में सूचना बांटनी होगी और उनकी सहभागिता और स्वामित्व को सुनिश्चित करना होगा।

धारणीय विकास और जलवायु में होने वाले परिवर्तन की समस्या से निपटना होगा। भूमि, वायु, जल, वनों पर प्रभाव पड़ रहा है और वनस्पति और जीव जन्तुओं के आवास की कमी हो रही है। इसके साथ ही पृथ्वी के बढ़ते तापमान से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे मौसम में अतिरेक देखने को मिल रहा है। मौसम में होने वाले बदलाव का विज्ञान और प्रमाण इस संबंध में अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। देश और दुनिया आगामी चुनौतियों की समीक्षा कर रही है।

आईआरसीटीसी ने धारणीय व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:–

- बेस किचन और अल्पाहार गृहों में सौर ऊर्जा का प्रयोग।
- उपयोग की गई रेलनीर की बोतलों को इकठ्ठा करना और उनका निपटान करना ताकि इनका दुरूपयोग न किया जा सके।
- भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रेलनीर संयंत्र में वर्षा जल संरक्षण।

- नांगलोई रेलनीर प्लांट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली की संस्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं।
- रेलनीर प्लांट में वृक्षारोपण।
- बौद्ध परिपथ विशेष गाड़ी तथा महाराजा एक्सप्रेस में पर्यावरण हितैषी सीडीटीएस शौचालय का संस्थापन।
- रेल परिसरों में खतरों को कम करने के लिए तथा बिजली की खपत कम करने के लिए इन्डक्शन कुकिंग प्रणाली शुरू की गई है।
- बेकार पानी को संरक्षित तरीके से सौर गर्तों में डालना, ताकि धरती के जलस्तर की भरपाई हो सके और पारिस्थिकीय संतुलन बना रहे।
- भोज्य पदार्थो की पैकेजिंग और पेय पदार्थो को परोसने के लिए वातावरण हितैषी उत्पादों का प्रयोग।
- स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए भोजन एवं संरक्षा जांच।

20. लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली द्वारा मैसर्स भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2011–12 के लिए कॉरपोरेशन का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

21. निदेशक मंडल :

वर्ष के दौरान, श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड ने कॉरपोरेशन में श्री विनय मित्तल के स्थान पर जो 20.10.2011 से कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नहीं रहे, 20.10.2011 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सम्हाला है। निदेशक मंडल, श्री विनय मित्तल के आईआरसीटीसी के अध्यक्ष रहने के दौरान उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रदान की गई सेवाओं के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। श्री विनोद अस्थाना और श्री विश्वरंजन गुप्त, कार्यात्मक निदेशकों ने क्रमशः 10.02.2012 और 18.05.2012 से निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दिया था। श्री आर एन भारद्वाज और श्री आर. के. अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक 21.01.2012 को अपनी तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद अब निदेशक नहीं हैं। कॉरपोरेशन उनके निदेशक मंडल में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिए गए सहयोग और बहुमूल्य सुझावों के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहेगा।

इस समय कॉरपोरेशन के बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक, एक कार्यात्मक निदेशक हैं, एक सरकार द्वारा नामित तथा तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

बोर्ड ने वर्ष के दौरान कामकाज करने के लिए 6 बार बैठकें की। रिपोर्ट की तारीख तक निम्नलिखित निदेशक पदासीन रहे।

श्री के.के. श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक,

डा. नलिन सिंघल, निदेशक (पर्यटन व विपणन),

. श्रीमती मनी आनंद, सरकारी निदेशक

श्री संजय अरोड़ा, स्वतंत्र निदेशक

श्री आलोक शिवपुरी, स्वतंत्र निदेशक

डा. सुभाष दत्ता, स्वतंत्र निदेशक

22. लेखापरीक्षा समिति :

लेखा परीक्षा समिति ने अपना कामकाज करने के लिए वर्ष के दौरान तीन (3) बार बैठकें की और निम्नलिखित लेखा परीक्षा समिति के सदस्य 2011–12 के दौरान पदासीन रहे।

श्री आर.एन.भारद्वाज, स्वतंत्र निदेशक

श्री आर.के.अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक

श्री आलोक शिवपुरी, स्वतंत्र निदेशक

श्री जगदीप एस. छोकर, स्वतंत्र निदेशक

श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री आर. एन. भारद्वाज लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं।

जनवरी 2012 के बाद से लेखा परीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी क्योंकि सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो गया था।

रेल मंत्रालय ने अपने 20.07.2012 के आदेश संख्या 2008/पीएल/49/1 के द्वारा श्री संजय अरोड़ा एक प्रैक्टिसकर्त्ता चार्टर्ड अकाडटेन्ट, श्री आलोक शिवपुरी, प्रधानाचार्य, होटल प्रबंधन संस्थान पूसा, नई दिल्ली और डा. सुभाष दत्ता निदेशक, आईएमटी, नागपुर को 20.07.2012 से कॉरपोरेशन के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया है।

23. आभार एवं सराहना :

निदेशक मंडल, रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी प्रकार के मार्ग दर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है, क्योंकि रेल मंत्रालय के सक्रिय समर्थन के बिना आलोच्य अवधि के दौरान निगम ने जो उपलब्धियां हासिल की है, वे संभव नहीं थीं।

निदेशक मंडल अपने सम्मानीय ग्राहकों और लाइसेंसियों के प्रति भी कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेक्षापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त सृजनात्मक सुझावों के लिए उनका आभारी है।

अंत में, निदेशक मंडल सभी स्तर के अपने कर्मियों द्वारा कंपनी की निरंतर प्रगति एवं उत्कृष्टता के लिए किए गए अथक प्रयास और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता॰/–

दिनांक :07 सितंबर, 2012

(के.के. श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–I

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(1) उद्योग का स्वरूप और विकास

आर्थिक परिदृश्य :

तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों सहित सभी बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय गिरावट दिखाई दे रही है। वर्ष भर कमजोर रहने वाला वैश्विक आर्थिक वातावरण सितंबर, 2011 में बहुत तेजी से प्रतिकूल स्थिति में बदल गया। इसका मुख्य कारण यूरो– जोन के देशों की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता तथा अन्य देशों की अर्थव्यवस्था का सन्देहास्पद होना रहा है जो कि अधिकांश बड़े विकसित देशों के सार्वभौमिक ऋणों की रेटिंग में तीव्र गिरावट का कारण बना।

वर्ष 2011–12 में भारत में विकास की गति एवं कीमतों में स्थिरता को बनाए रखने की परस्पर विरोधी मांग रही है। तथापि, वैश्विक आर्थिक वातावरण की तुलना में भारत अग्रिम पंक्ति में शामिल रहा है। भारत के कृषि एवं सेवा क्षेत्र निरंतर बेहतर स्थिति में बने रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाली गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक और मुद्रा नीति के कठोर होने जैसे घरेलू कारक रहे हैं। इसके कारण निरंतर मुद्रास्फीति और निवेश और औद्योगिक कार्यकलाप में मंदी का वातावरण रहा है।

एक दशक से भी अधिक समय से सेवा क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख कारक रहा है। इस अर्थव्यवस्था ने हाल के अस्त–व्यस्त वैश्विक आर्थिक संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है। घरेलू अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की गतिशीलता और भारत के बाह्य आर्थिक संबंधों पर इस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका के कारण ऐसा संभव हुआ।

कृषि, उद्योग ओर सेवा जैसे अर्थव्यवस्था की सभी तीनों प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य से अधिक विकास की प्रगति हुई है, जो क्रमशः 3.9 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत थी। यह स्पष्ट है कि सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है।

इस क्षेत्र के विकास में आन्तरिक अस्थायी अंतर बहुत कम दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र की घटती भागीदारी और सेवा क्षेत्र में निरंतर विकास से सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में बढ़ोत्तरी में उतार चढ़ाव को औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिला कर देखा जा रहा है।

खानपान एवं पर्यटन क्षेत्र

खानपान एवं आतिथ्य उद्योग का परिदृष्य :

भारत में भोजन उद्योग उत्पादन, खपत और वृद्धि के हिसाब से सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। एक मूल्यांकन के अनुसार 2015 तक भारतीय भोजन उद्योग के वर्तमान 180 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 258 बिलियन अमरीकी डालर तक हो जाने की संभावना है।

मध्यम और उच्च वर्ग के ग्राहकों की संख्या, 2005 और 2015 के बीच बढ़कर 300 प्रतिशत हो जाने और युवा वर्ग की जनसंख्या में 11 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि के अनुमान से सुविधाजनक यात्रा, साफ सफाई की व्यवस्था तथा स्वास्थ्यकर और भिन्न प्रकार के व्यंजनों की मांग बढ़ने की संभावना है।

गत 5 वर्षों के दौरान, खर्च करने योग्य आय में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे खाने पीने की मदों पर प्रतिव्यक्ति भोजन की खपत पर होने वाले खर्च में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई, परंतु यह अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कम है।

खानपान सेवाओं के व्यवसाय में बढोत्तरी की अपार संभावनाएं है, सामाजिक उत्सवों और समारोहो, कॉरपोरेट संस्कृति और सामाजिक जीवन शैली के महत्व को ध्यान में रखते हुए, खानपान उद्योग अपनी स्थिति तथा लाभ कमाने की प्रकृति में और अधिक इजाफा कर सकती है।

रेस्तराँ उद्योग उस समय भी अच्छा लाभ कमा रहा था, जब अन्य उद्योग मंदी के दौर से जूझ रहे थे। भारत का मध्यम और उच्च वर्ग अपने भोजन के आम बजट का 30 प्रतिशत रेस्तरां पर खर्च करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रेस्तरां, कैफे या अन्य प्रकार के खानपान के संस्थान किस प्रकार हर वर्ष लाभ कमा रहे हैं।

आतिथ्य–सत्कार परिदृश्य

2007–16 के दौरान भारतीय सत्कार उद्योग के 8.8 प्रतिशत की दर से विकास करने की संभावना है। इससे भारत विश्व में दूसरा तेजी से उभरते हुए बाजार वाला देश हो जाएगा।

भारत में 10 बड़े शहरों के होटलों के कमरों का बाजार 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर तक बढ़ने का अनुमान है। नाईट फ्रैंक इंडिया के एक अध्ययन के अनुसार, प्रतिदिन अपेक्षित होटल के कमरों की संख्या में अनुमानित वृद्धि 10.3 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर होगी।

बजट होटल/रेल यात्री निवास आदि के प्रबंधन कार्य का अनुभव रखनेवाली आईआरसीटीसी ने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल आदि के राज्य पर्यटन बोर्डों और राज्य औधोगिक निगमों आदि से बजट होटल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। केरल और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव अग्रिम चरण में हैं और 2012–13 में इन्हें अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय से भी रेल परिसरों में बजट होटल स्थापित करने के निर्णय पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया गया है। रेलवे बोर्ड भी मल्टी फंक्शनल परिसरों, विश्रामालयों, आगमन–पूर्व और प्रस्थान पश्चात दी जाने वाली सुविधाओं का प्रबंधन सौंपने पर विचार कर रहा है।

आईआरसीटीसी ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नई दिल्ली स्टेशन पर एक्जीक्यूटिव लाऊँज स्थापित करने और इसके प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया है। मंत्रालय ने भारतीय रेल के 50 स्थानों पर ऐसे लाऊँज उपलब्ध कराने का अनुमोदन प्रदान किया है।

पर्यटन उद्योग का परिदृश्य

भारतीय पर्यटन उद्योग बहुत ही मजबूती के साथ विकसित हो रहा है। बढ़ते हुए भारतीय मध्यम वर्ग, पर्यटन पर खर्च करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी और "अतुल्य भारत" को प्रोत्साहित करने वाले समन्वित सरकारी विज्ञापनों के कारण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। भारत का पर्यटन उद्योग व्यापक और गतिशील है। देश बहुत तेजी से एक वैश्विक गंतव्य बनता जा रहा है। भारत का यात्रा और पर्यटन उद्योग देश में लाभ अर्जित करने वाले उद्योगों में से एक है और यह पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग भी है।

भारत में खर्च की जानेवाली आय में क्रमिक वृद्धि हो रही है और यात्रा की मद पर किए जाने वाले खर्च में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। पर्यटन मंत्रालय ने इस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। "अतुल्य भारत" जैसे अभियानों के लिए विज्ञापनों की शुरूआत से भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन मिला है और इसने नवीनतम और यादगार विधियों से पर्यटकों को आकर्षित किया है।

भारत अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के लिए भली–भांति जाना जाता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों से युक्त विश्व विरासत वाली प्राकृतिक और समृद्ध वन सम्पदा, मेले और प्रदर्शनियां और मज़बूत सर्जनात्मक उद्योगों के लिए भी विख्यात है। भारत में बेहतरीन हवाई यातायात और देश के विकास के लिए उचित सड़क परिवहन भी मौजूद है।

देश के पास रेलवे का एक विस्तृत नेटवर्क है जो अधिकांश पर्यटक स्थलों तक फैला हुआ है यह देश भर में ट्रेन सेवाएं चलाता है। जो विभिन्न वर्ग के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करता है।

किसी भी देश में रेलवे, पर्यटन का नेतृत्व करने वाला एक प्रमुख साधन होता है विशेषकर ऐसे देश में, जहां खस्ताहाल सड़कें और कमजोर होटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। भारतीय रेल की एक इकाई होने के कारण देश में पर्यटन के विकास में, आईआरसीटीसी, प्रमुख योगदान देती है। यह विभिन्न प्रकार के यात्रा पैकेजों द्वारा मध्यम वर्ग के घरेलू ग्राहकों को उचित सेवा प्रदान करने पर ध्यान दे रही है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण :

<u>शक्तियां</u>

परिचालन

1. अखिल भारतीय उपस्थिति।
2. एकल खिड़की पर सभी अतिथि सत्कार सेवाओं का खानपान समाधान उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र कंपनी।

3. भारतीय रेल का समर्थन।
4. पेशेवर कर्मचारियों का आधार।
5. एशिया – पैसिफिक में सबसे बड़ा ई–कामर्स प्रदाता।

विपणन

1. प्रसिद्ध ब्रांड नाम।
2. 21 मिलियन से अधिक ग्राहकों का डाटाबेस।
3. बड़ा एजेन्ट नेटवर्क।

कमजोरी

1. राजस्व लगभग पूरी तरह रेलवे पर आश्रित।
2. लाभ के लिए केवल एक ही क्षेत्र पर आश्रित।
3. वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर पेशेवरों को आकर्षित करने में असमर्थ।

अवसर

1. अतिथि सत्कार गतिविधियों में उच्च वृद्धि दर।
2. ऑनलाइन यात्रा में वृद्धि।
3. आईटी और ई–गवर्नेंस।
4. खानपान से संबंधित श्रमशक्ति और ब्रांड का लाभ उठाना।

चिंतावाले क्षेत्र

1. खानपान और इंटरनेट टिकटिंग पर समय–समय पर नीति–निर्देशों का जारी किए जाना।
2. अधिकाशतः असंगठित क्षेत्र।

(2) क्षेत्र–वार निष्पादन

आईआरसीटीसी दो क्षेत्रों, अर्थात् खानपान और पर्यटन, में काम करता है। खानपान क्षेत्र तीन हिस्सों में बंटा हुआ है अर्थात् यह चल खानपान, स्थैतिक खानपान जो आगे फिर लाइसेंसी खानपान और विभागीय खानपान में उपविभाजित है तथा रेलनीर जो कि बोतलबंद पीने का पानी है।

लाइसेन्सी खानपान व्यवसाय :

वर्ष 2011–12 के दौरान लाइसेन्सी खानपान व्यवसाय में पिछले वर्ष 2010–11 के 316.26 करोड़ रूपए की तुलना में 30.38 करोड़ रूपए की आय दर्ज की गई। इस क्षेत्र से प्राप्त किया गया परिणाम 9.42 करोड़ रूपए रहा, जबकि वर्ष 2010–11 के दौरान यह 78.74 करोड़ रूपए था। इस क्षेत्र में कमी का कारण लाइसेन्सी खानपान व्यवसाय रेलवे को सौंपना था, क्योकि खानपान नीति 2010 कार्यन्वित की गई थी।

विभागीय खानपान व्यवसायः

विभागीय खानपान व्यवसाय ने 2011–12 वर्ष के दौरान 197.64 करोड़ रूपए की आय दर्ज की जबकि, वर्ष 2010–11 के दौरान 198.58 करोड़ रूपए की आय दर्ज की गई थी। गैर रेलवे खानपान इकाइयों ने वर्ष 2011–12 में विभागीय खानपान व्यवसाय में 10.79 करोड़ रूपए का योगदान किया, जबकि, वर्ष 2010–11 में यह राशि 6.64 करोड़ रूपए थी। खाद्य–उत्पादों की दर में बढ़ोत्तरी और बिक्री मूल्य में बिना वृद्धि के बावजूद वर्ष 2011–12 के दौरान विभागीय खानपान का घाटा 55.47 करोड़ रूपए से कम होकर 53.59 करोड़ रूपए रहा।

रेलनीर व्यवसायः

वर्ष 2011–12 के दौरान रेलनीर व्यवसाय में 45.15 करोड़ रूपए की आय दर्ज की गई, जबकि, वर्ष 2010–11 के दौरान 23.96 करोड़ रूपए की आय हुई थी। इसमें पिछले वर्ष विभागीय खानपान के जरिए भेजे गए 19.36 करोड़ रूपए की बिक्री

की तुलना में इस वर्ष 13.05 करोड रूपए की बिक्री शामिल नहीं है। वर्ष के दौरान हानि 0.82 करोड़ रूपए की हुई जबकि पिछले वर्ष 2.73 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित हुआ था। यह हानि आबंटनीय खर्च में बढ़ोत्तरी के कारण हुआ है। यह आबंटनीय खर्च खण्ड के टर्नओवर में वृद्धि एंव लाइसेन्सी खानपान खण्ड के टर्नओवर में उल्लेखनीय कमी के कारण बढ़ा है।

पर्यटन व्यवसायः

वर्ष के दौरान पर्यटन व्यवसाय में 98.95 करोड़ रूपए की आय हुई, जबकि पिछले वर्ष 2010–11 में 67.04 करोड़ रूपए की आय हुई थी, जो कि लगभग 48 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। यह बढ़ोत्तरी आईआरसीटीसी द्वारा 08.01.2012 से महाराजा एक्सप्रेस का संचालन किए जाने, हवाई यात्रा टिकट और पर्यटन पैकेज से प्राप्त आय में वृद्धि के कारण हुई है। इस खंड की परिणाम (हानि) 10.83 करोड़ रूपए की रही, जबकि, पिछले वर्ष यह 6.22 करोड़ रूपए की थी। यद्यपि परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2010–11 के 3 करोड़ रूपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2011–12 में 4.88 करोड़ रूपए तक हो गया। खंड में हानि की मुख्य वजह, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सामान्य आबंटनीय खर्च का आबंटन है।

इंटरनेट टिकटिंग व्यवसायः

वर्ष 2011–12 के दौरान इंटरनेट टिकटिंग व्यवसाय मं 160.64 करोड़ रूपए की आय दर्ज की गयी जबकि, वर्ष 2010–11 में यह आय 142.92 करोड़ रूपए की थी। इस क्षेत्र में वर्ष के दौरान 111.01 करोड़ रूपए का लाभ प्राप्त हुआ जबकि पिछले वर्ष यह लाभ 94.14 करोड़ रूपए था। इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी उन्नत इन्फ्रास्ट्रस्क्चर और कस्टमर केयर सेवा में सुधार के कारण हुई है।

(3) वर्तमान परिदृश्य

इस रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के मद्देनजर कंपनी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। भविष्य में बेहतर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए इसे रेलवे से बाहर अवसर तलाशने होंगे और उसका लाभ उठाना होगा। उसे रेलवे से संबंधित क्षेत्रों पर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करके उससे और अधिक समर्थन प्राप्त करना होगा।

निगम को गैर रेलवे खानपान और सुविधा फैसिलिटी, फूड पार्क, बजट होटल, मोटल आतिथ्य सत्कार–हब, आतिथ्य सत्कार संस्थान आदि संबंद्ध क्षेत्रों में विद्यमान क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए परिवर्तन लाना है। यह मॉल, व्यापार केन्द्रों, सांस्थानिक खानपान आदि में वाणिज्यिक खानपान की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(4) जोखिम और चिन्ताएं

खानपान :

खानपान सेवाओं का प्रबंधन और पर्यवेक्षण कार्य 2005 में आईआरसीटीसी को सौंपा गया था और खानपान नीति 2010 के अनुसार फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, फूड कोर्ट ओर कतिपय विभागीय खानपान इकाइयों को छोड़कर, अन्य सभी खानपान से संबंधित कार्यकलाप रेलवे को वापस दे दिए गए हैं। नीतियों में इस तरह का बदलाव निगम की समग्र रणनीति और दीर्घ अवधि के लक्ष्यों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, खानपान सेवाओं की मूल्य–सूची सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, जिससे ग्राहकों की अपेक्षाओं और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

बोतलबंद पीने के पानी के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, चूंकि, यह व्यवसाय बिल्कुल असंगठित है और इसमें कर अपवंचना बहुत ज्यादा है, जिससे वे लोग उत्पादन लागत में कमी लाकर सस्ती दर पर उत्पादों की आपूर्ति कर देते हैं।

चूंकि, शेष बची हुई विभागीय इकाइयों को क्षेत्रीय रेलों को स्थानांतरित करने की कोई समय सीमा नहीं है, इससे आईआरसीटीसी, मानव संसाधन की आवश्यकता, व्यवसाय/परिचालन के संबंध में दीर्घकालीन योजना बनाने में अपने आप को असमर्थ पाता है।

इंटरनेट टिकटिंगः

इंटरनेट टिकटिंग सेवा कंपनी के लाभ अर्जित करने का मुख्य स्रोत है। विशेषकर भारतीय रेल द्वारा लाइसेन्सी खानपान सेवा वापस लिए जाने के बाद कंपनी को गैर वातानुकूलित और वातानुकूलित टिकटों के लिए क्रमशः 10 रूपए और 20 रूपए प्रति टिकट सेवा प्रभार के रूप में प्राप्त होते हैं। हाल ही में, कंपनी को रेल मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार सेवा

प्रभार के राजस्व में भारतीय रेल के साथ भागीदारी का अनुपात 20:80 किया जाएगा। इससे इंटरनेट टिकट के राजस्व में प्रत्यक्ष रूप से 20 प्रतिशत कमी होने का असर पड़ेगा।

भारतीय रेल के प्रस्तावित वाणिज्यिक पोर्टल को शुरू किए जाने को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट टिकटिंग क्षमता को बढ़ाने की योजना पर सन् 2009 से ही रोक लगाने के निर्देश हैं। रेलवे पोर्टल के शुरू होने और उसके बंद होने के बाद, कंपनी ने इंटरनेट टिकटिंग के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के अनेक प्रयास किए है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी मार्च, 2011 में 2.97 लाख टिकट प्रतिदिन बुक दिए जाने से बढ़कर जुलाई 2011 तक 3.35 लाख टिकट प्रतिदिन तक बुक करने में समर्थ रही।

रेल मंत्रालय ने आगे यह भी निर्णय लिया है कि इंटरनेट टिकटिंग के लिए नए साफ्टवेयर/हार्डवेयर का विकास और प्रबंधन क्रिस द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत कंपनी वहन करेगी। अभी तक, प्राप्त आकलन के अनुसार, इस पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च आने का अनुमान है।

ई–टिकटिंग से संबंद्ध जोखिमों को दूर करने के लिए आपदा प्रबंधन रिकवरी साइट की योजना बनाई गई है, ताकि किसी भी आकस्मिता की स्थिति में इस व्यवसाय की निरंतरता कायम रह सके। वेबसाइट पर किसी भी हमले को विफल करने के लिए कंपनी में ही एक टीम बनाई गई है।

रेलनीरः

उपयोग में लाई गई रेलनीर के बोतलों को पुनः भरकर उन्हें बेचना चिंता का क्षेत्र है, क्योंकि, इस पर यात्री शिकायत कर सकते हैं और मुकदमेबाजी बढ़ सकती है। इसे दूर करने के लिए, आईटी आधारित उत्पाद सत्यापन शुरू करने का प्रस्ताव है।

बोतलबंद पीने के पानी में प्राइवेट कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि यह व्यवसाय बिल्कुल ही असंगठित है और कर अपवंचना बहुत ज्यादा है, इससे उत्पादन लागत में कमी लाकर सस्तीदर पर उत्पादों की आपूर्ति की जाती है।

रेलनीर के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ पानी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जनसंख्या में वृद्धि से इस प्राकृतिक संसाधन पर और अधिक दबाब बढ़ेगा। अतः जल संरक्षण और विशिष्ट जल की खपत (पीने योग्य पानी के लिए प्रयुक्त पानी की मात्रा) पर लगातार निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। ऐसी पद्धति अपनानी होगी जिसमें पानी का जरा भी नुकसान न हो।

(5) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कम्पनी ने प्रबंधन की नीतियों का अनुसरण करने, परिसम्पतियों की सुरक्षा, धोखा–धड़ी और गलतियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा रिकार्ड की सत्यता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित अपने कारोबार को व्यवस्थित और कुशल तरीके से चलाने के लिए, अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक अंग के रूप में विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

कम्पनी ने वर्ष 2011–12 के आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य एक बाहरी व्यावसायिक फर्म मैसर्स के.जी. सोमानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, नई दिल्ली को सौंपा है। आंतरिक लेखा–परीक्षा में, वार्षिक आंतरिक लेखा–परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आईआरसीटीसी के परिचालन के सभी क्षेत्रों को, शामिल किया गया है। इससे आंतरिक नियंत्रणों, भुगतान और खर्च की छानबीन करके और कम्पनी के वित्तीय और तकनीकी रिकार्ड की जांच की समीक्षा करके कम्पनी के कारोबार और परिचालन की सत्यता और कुशलता को सुधारने में मदद मिलती है।

सत्यनिष्ठा समझौता

आईआरसीटीसी, कार्यों के प्रापण और सेवाओं आदि में सत्यनिष्ठा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई प्रक्रियाओं को अपना कर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम को लागू कर रहा हैं। आईआरसीटीसी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने से स्वस्थ व्यावसायिक पद्धतियों को स्थापित करने में मदद मिली है।

(6) परिचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार–विमर्श

वर्ष 2011–12 के दौरान कॉरपोरेशन ने कुल 554.11 करोड़ रूपए की आय प्राप्त की जबकि पिछले वर्ष 2010–11 में 764.93 करोड़ रूपए की आय हुई थी। यह कमी खान–पान व्यवसाय रेलवे को सौंपने के कारण हुई। खानपान नीति 2010 के कारण खानपान व्यवसाय रेलवे को सौंपने के कारण लाइसेंसी खानपान का राजस्व 2010–11 के 316.26 करोड़ रूपए से घटकर 2011–12 में 30.38 करोड़ रूपए रह गया।

वर्ष 2011–12 के दौरान कर पूर्व लाभ 76.54 करोड़ रूपए था जबकि पिछले वर्ष यह 129.79 करोड़ रूपए का लाभ हुआ था। शुद्ध लाभ वर्ष 2010–11 के 60.79 करोड़ रूपए से घटकर 2011–12 में 48.54 करोड़ रूपए रहा।

रेल मंत्रालय के साथ वर्ष 2011–12 के लिए समझौता ज्ञापन

वितीय समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के साथ वास्तविक आंकड़ों की तुलना नीचे दर्शाई गई है:–

समझौता ज्ञापन आधार	**समझौता ज्ञापन 2011–12**	**वास्तविक आंकड़े 2011–12**
सकल मार्जिन / सकल ब्लॉक (प्रतिशत)	30.48 %	51.06%
शुद्ध लाभ / शुद्ध मूल्य (प्रतिशत)	12.26%	19.68%
सकल लाभ / नियोजित पूंजी (प्रतिशत)	20.88%	31.28%
सकल मार्जिन (करोड़ रुपयों में)	66.15	91.28
सकल बिक्री (करोड़ रुपयों में)	510	518.57
पीबीडीआईटी / कुल नियोजन (प्रति व्यक्ति लाख रुपयों में)	3.00	5.18
संवर्धित मूल्य / सकल बिक्री	9.23%	12.88%

(7) मानव संसाधन में वास्तविक विकास : नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित औद्यगिक संबंध :

वर्ष 2011–2012 के दौरान आईआरसीटीसी का मानव संसाधन विभाग मुस्तैदी से नई भर्ती, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के काम में लगा रहा है।

नई भर्ती :

नई भर्ती प्रमुख रूप से आईटी, पर्यटन, खानपान एवं वित्त विभागों में की गई। इनमें 40 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई।

प्रषिक्षण :

मानव संसाधन विभाग ने आईटी / पर्यटन / खानपान / मा.सं.वि. और वित्त विभाग के विभिन्न स्तरों तथा वित्त को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया है और निगम कार्यालय तथा विभिन्न जोनों में कुल 5854 प्रशिक्षण के श्रम दिवस प्राप्त किए गए जो कि वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित 3200 श्रम दिवस के लक्ष्य से बहुत आगे हैं।

श्रमशक्ति :

आईआरसीटीसी में 03.03.2012 को 1762 कर्मचारी ऑनरोल थे जिसमें 370 कार्यकारी और 1392 गैर कार्यकारी थे।

(8) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, टेक्नॉलॉजीकल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

आईआरसीटीसी स्वच्छ एवं संरक्षित पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह परिचित है। इस दिशा में आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं :

- जल प्रदूषण के लिए ग्रीज ट्रैप लगवाया जाना।
- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्ज़ॉस्ट स्क्रबर लगाना।

- जेनरेटर रूम में एकाउस्टिक्स का इस्तेमाल।
- भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए ठंडे कूड़ा घर की व्यवस्था।
- उच्च टीडीएस पानी के संशोधन के लिए सोलर वाष्पीकरण तालाबों की व्यवस्था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सोलर ऊर्जा का प्रयोग, इन्डक्शन प्लेट और पानी के टेबल को रीचार्ज करने के लिए रीचार्ज पिट्स में अवशिष्ट पानी का संरक्षित तरीके से निष्कासन करना।

(9) कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति की गई पहल का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

(10) धारणीय व्यवसाय विकास

आईआरसीटीसी द्वारा धारणीय व्यावसाय विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख निदेशकों की रिपोर्ट में किया गया है।

चेतावनीपरक कथन :

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण और निदेशक की रिपोर्ट जिसमें कंपनी के उद्देश्य, प्रक्षेपण और अनुमानों का वर्णन है, एक दूरदर्शी एवं प्रगतिपरक कथन है और वे लागू कानूनों और विनयमों के अंतर्गत एक प्रगतिशील कथन हैं। वास्तविक आंकड़े बताये गए या अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं जो आर्थिक नीतियों, सरकारी नीतियों, और अन्य आनुशंगिक कारकों पर निर्भर कर सकते हैं। पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे अग्रगामी कथनों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर न करें।

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध-II

फार्म–क

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण का प्रकटन

क. विद्युत और ईंधन खपत :

विवरण	2011–12	2010–11
1. बिजली		
क) खरीदी गई :		
यूनिटें ('000 केडब्ल्यूएच)	4503.93	3200.37
कुल राशि (लाख रु. में)	255.39	148.38
दर/यूनिट (रु. में)	5.51	4.63
ख) निजी उत्पादन :		
डीजल जनरेटर के माध्यम से–		
यूनिट ('000 केडब्ल्यूएच)	152.73	73.92
डीजल तेल की प्रति लीटर यूनिटें	3.56	2.70
लागत/यूनिट (रु.)	12.34	14.69
2. कोयला	शून्य	शून्य
3. फर्नेस ऑयल	शून्य	शून्य
4. नेचुरल गैस	शून्य	शून्य

ख. उत्पादन की प्रति यूनिट खपत :

विवरण	बिजली (केडब्ल्यूएच/प्रति 100 बोतल)		फर्नेस ऑयल		नेचुरल गैस		कोयला	
	11–12	10–11	11–12	10–11	11–12	10–11	11–12	10–11
रेलनीर–पैक किया गया पीने का पानी	5.57	5.11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फार्म–ख

तकनीकी समावेशन के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

अनुसंधान और विकास

1. **विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और विकास कंपनी द्वारा किया जाता है :**
   - बौद्ध परिपथ गाड़ी में दूर से देखने की सुविधा सहित सीसीटीसी की संस्थापना – कुल खर्च – 4,02,632/– रूपए।
   - रेलनीर संयंत्र नांगलोई में यू एफ रिजेक्ट वाटर रिसाइक्लिंग प्रणाली लगाना, परिणामस्वरूप 18,000 लीटर पानी की प्रतिदिन बचत होती है।
   - रेलनीर संयंत्र नांगलोई में सेकण्डरी रिवर्स ऑसमोसिस की स्थापना ताकि, रिजेक्ट वाटर को मुख्य आरओ से परिशोधित किया जा सके। इससे प्रतिदिन लगभग 40,000 लीटर पानी की बचत हुई है।

2. **उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया लाभ :**

   गाड़ियों की सुरक्षा में सुधार

3. **भविष्य की कार्य योजना :**

   रेलनीर के बोतल में पैकेजिंग की कीमत कम करने के लिए कोरूगेटेड बाक्स पैकेजिंग के बदले एलडीपीई श्रृंक फिल्म और पीवीसी श्रृंक लेवलिंग के बदले ऑटोमेटिक रैप का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2012–13 में शुरू किया जाएगा। वजन कम करने के लिए प्रीफार्म और ढक्क्न को पुनः बनाया जाएगा। 2012–13 के एमओयू लक्ष्यों के अनुसार अनुसंधान एवं विकास के कार्यकलाप वित्त वर्ष 2012–13 में शुरू किए जाएंगे।

4. **वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय निम्नलिखितानुसार है :** **(लाख ₹ में)**

क्रम सं.	विवरण	2011–2011	2010–2011
क.	पूंजी	17.81	शून्य
ख.	आवर्ती	शून्य	शून्य
	जोड़	17.81	शून्य
	कुल कारोबार की प्रतिशतता (%) के रूप में कुल अनुसंधान और विकास खर्च का जोड़	0.03	लागू नहीं

5. **प्रौद्योगिकी का समावेशन, अनुकूलन और परिवर्तन :**

   आयातित प्रौद्योगिकी :

प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	समावेशन की स्थिति
	शून्य	

6. **विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय :** **(लाख ₹ में)**

विवरण	2011–12	2010–11
विदेशी मुद्रा का अर्जन	1252.82	1327.47
विदेशी मुद्रा का व्यय		
विदेशी यात्रा व्यय	44.23	25.22

कॉरपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–III

1. कंपनी का दर्शन

कॉरपोरेट शासन के संबंध में कंपनी का उद्‌देश्य पारदर्शिता, प्रकटन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके अंत में शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है, जिससे न केवल सांविधिक विनियमों का अनुपालन होता है, बल्कि संपूर्ण संगठन के नैतिक आचरण को भी बढ़ावा मिलता है। आईआरसीटीसी का मानना है कि अच्छे अभिशासन में प्रबंधन के पास ट्रस्टीशिप, सशक्तीकरण और जवाब देही की भावना के साथ–साथ सरकारी नीतियों के प्रति सकारात्मक और पहल कदमी वाला रूख होना चाहिए।

कंपनी अच्छे कॉरपोरेट संचालन और उनमें सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है।

2. बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2012 को वर्तमान स्थिति के अनुसार निदेशक बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक और सरकार द्वारा मनोनीत एक सरकारी निदेशक है।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार हमारे बोर्ड में चार निदेशकों से कम अथवा 12 निदेशकों से अधिक की संख्या नहीं होगी। निदेशक पूर्ण कालिक अथवा अंशकालिक हो सकते हैं।

कॉरपोरेट कार्यालय में निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा संगम अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार की जाती है।

(क) निदेशक बोर्ड में परिवर्तनः

श्री विनय मित्तल, जिन्होंने दिनांक 20.10.2011 से निगम के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था के स्थान पर श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2011 से आईआरसीटीसी के अध्यक्ष बने।

श्री आर. एन. भारद्वाज एवं श्री आर के अग्रवाल ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दिनांक 22.01.2012 से स्वतंत्र निदेशक का पद छोड़ दिया है।

श्री विनोद अस्थाना एवं श्री विश्वरंजन गुप्त, कार्यात्मक निदेशकों ने निगम के निदेशक बोर्ड से क्रमशः दिनांक 10.02.2012 एवं 18.05.2012 को निदेशक का पद छोड़ दिया।

रेल मंत्रालय ने दिनांक 20.07.2012 के आदेश सं. 2008/ पीएल/49/01 के अनुसार श्री संजय अरोड़ा प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेन्ट, श्री आलोक शिवपुरी, प्रधानाचार्य, आईएचएम पूसा, नई दिल्ली और डा. सुभाष दत्त निदेशक, आईएमटी नागपुर को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, को निगम के बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया है।

(ख) निदेशक की आयु एवं कार्य अवधि :

प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी प्रबंध निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है :

प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा अधिवर्षिता की आयु तक अथवा भारत सरकार द्वारा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। 31 मार्च, 2012 को वर्तमान स्थिति के अनुसार निदेशकों की कार्यावधि निम्नलिखित है

निदेशकों का विवरण		नाम	बोर्ड में शामिल होने की तारीख	अधिवर्षिता /कार्य अवधि के पूरा होने की तारीख
कोटि	पदनाम			
पूर्णकालिक निदेशक	प्रबंध निदेशक	राकेश कुमार टंडन	05.01.2009	04.01.2014
	निदेशक (प.एवं वि.)	डॉ. नलिन सिंघल	02.01.2007	02.01.2012*
	निदेशक (खा.से.)	श्री विनोद अस्थाना	26.06.2007	10.02.2012**
	निदेशक (वित्त)	श्री विश्व रंजन गुप्त	06.09.2008	18.05.2012***
सरकारी नामित	अध्यक्ष एवं सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री विवेक सहाय	14.01.2010	30.06.2011 (अधिवर्षिता)
	अध्यक्ष एवं सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री विनय मित्तल	26.07.2011	20.10.2011 से कार्यभार छोड़ दिया
	सदस्य यातायात (रेलवे बोर्ड)	श्री के.के. श्रीवास्तव	20.10.2011	जब तक राष्ट्रपति चाहें
	निदेशक	श्रीमती मनी आनंद	14.05.2010	जब तक राष्ट्रपति चाहें
अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	श्री जगदीप सिंह छोकर	28.05.2008	27.05.2011 से कार्यभार छोड़ दिया
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आलोक शिवपुरी	28.05.2008	27.05.2011 से कार्यभार छोड़ दिया
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आर.एन.भारद्वाज	22.01.2009	22.01.2012 से कार्यभार छोड़ दिया
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आर.के.अग्रवाल	22.01.2009	22.01.2012 से कार्यभार छोड़ दिया

* रेल मंत्रालय ने डॉ. नलिन सिंघल, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) का कार्यकाल 02.01.2012 के आगे छः महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद दिनांक 11.09.2012 के पत्र के अनुसार रेल मंत्रालय ने श्री नलिन सिंघल निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) को अगले आदेश तक आईआरसीटीसी में कार्य करते रहने देने का निर्णय लिया है।

** श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं) ने निगम के निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दिया और 10.02.2012 से निदेशक का पद छोड़ दिया।

*** श्री विश्वरंजन गुप्त, निदेशक (वित्त) ने निगम के निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दिया और 18.05.2012 से निदेशक का पद छोड़ दिया।

(ग) बोर्ड की बैठकें और उनमें उपस्थिति :

बोर्ड की बैठकें आम तौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं बैठकों की तारीख का निर्णय काफी समय रहते ले लिया जाता है, उपयुक्त सूचना, बोर्ड की विस्तृत कार्यसूची और बोर्ड के लिए अन्य व्याख्यात्मक नोट निदेशकों के बीच परिपत्रित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की कॉरपोरेशन की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है :

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	निदेशकों की श्रेणी	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
(i)	**अंशकालिक गैर–कार्यपालक अध्यक्ष**			
1.	अध्यक्ष एवं सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री विवेक सहाय	1	लागू नहीं
2.	अध्यक्ष एवं सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री विनय मित्तल	1	हां
3.	सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री के. के. श्रीवास्तव	3	लागू नहीं
(ii)	**कॉरपोरेशन के कार्यरत निदेशक**			
4.	प्रबंध निदेशक	श्री राकेश कुमार टंडन	6	हां
5.	निदेशक (टीएण्डएम)	डॉ नलिन सिंघल	5	हां
6.	निदेशक (सीएस)	श्री विनोद अस्थाना	4	हां
7.	निदेशक (वित्त)	श्री विश्व रंजन गुप्त	6	हां
(iii)	**रेल मंत्रालय द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक**			
8.	निदेशक	श्रीमती मनी आनंद	6	हां
(iv)	**स्वतंत्र अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक**			
9.	निदेशक	श्री जगदीप सिह छोकर	1	नहीं
10.	निदेशक	श्री आलोक शिवपुरी	शून्य	नहीं
11.	निदेशक	श्री आर.एन.भारद्वाज	4	नहीं
12.	निदेशक	श्री आर.के.अग्रवाल	4	नहीं

टिप्पणियां :

1. 'अंशकालिक अधिकारी का अभिप्राय सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा आईआरसीटीसी के बोर्ड के उन मनोनीत निदेशकों से है जो रेल मंत्रालय के पदाधिकारी हैं।
2. 'अंशकालिक गैर–सरकारी अधिकारी का अभिप्राय उन निदेशकों से है जो स्वतंत्र हैं और सरकार में कोई पद धारण नहीं करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, निदेशक बोर्ड ने कार्यसम्पादन करने के लिए 6 बैठकें की। तिमाही में निदेशक बोर्ड की एक बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई और 5 बैठकें रेल भवन, नई दिल्ली में की गईं। निदेशक की अनुपस्थिति के सभी मामलों में, अनुपस्थिति की छूट्टी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 283 की उपधारा (1) के खण्ड के (छ) अंतर्गत मंजूर की गई। आईआरसीटीसी के बोर्ड की बैठक की तारीखों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	बोर्ड बैठक	बैठक की तारीख
1.	51वीं	25.04.2011
2.	52वीं	22.07.2011
3.	53वीं	02.09.2011

क्र.सं.	बोर्ड बैठक	बैठक की तारीख
4.	54वीं	02.12.2011
5.	55वीं	27.02.2012
6.	56वीं	29.03.2012

वित्त वर्ष 2011–2012 के दौरान कंपनी के बोर्ड के निदेशकों का विवरण निम्नलिखित है:–

निदेशक की हैसियत में और सभी कमेटियों में सदस्यों/अध्यक्ष की हैसियत से काम करने वालों की संख्या

नाम	कोटि	अन्य जगहों	समिति @ सदस्यता	समिति की @ अध्यक्षता
श्री विवेक सहाय[1]	अंशकालिक अध्यक्ष	3	शून्य	शून्य
श्री विनय मित्तल[2]	अंशकालिक अध्यक्ष	3	शून्य	शून्य
श्री के. के. श्रीवास्तव	अंशकालिक अध्यक्ष	2	शून्य	शून्य
श्री राकेश कुमार टंडन	प्रबंध निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	1	शून्य	शून्य
डॉ. नलिन सिंघल	निदेशक (प.एवं वि.) (पूर्ण कालिक निदेशक)	1	शून्य	शून्य
श्री विनोद अस्थाना[3]	निदेशक (खा.से.) (पूर्ण कालिक निदेशक)	शून्य	1	शून्य
श्री विश्व रंजन गुप्त[4]	निदेशक (वित्त) (पूर्ण कालिक निदेशक)	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती मनी आनंद	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जगदीप सिह छोकर[5]	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	शून्य	1	शून्य
श्री आलोक शिवपुरी[5]	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	शून्य	1	शून्य
Jhvkj-, u-Hkj}kt[6#]	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	10	8	4
श्री आर.के.अग्रवाल[6]	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	1	1	शून्य

1 अंशकालिक अध्यक्ष का पद 30.06.2011 से छोड़ दिया।

2 अंशकालिक अध्यक्ष का पद 20.10.2011 से छोड़ दिया।

3 कार्यात्मक निदेशक का पद 10.02.2012 से छोड़ दिया।

4 निदेशक वित्त का पद 18.05.2012 से छोड़ दिया।

5 स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 28.05.2011 से समाप्त हो गया।

6 स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 22.01.2012 से समाप्त हो गया।

@ सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति और शेयर होल्डर परिवाद समिति की सदस्यता/अध्यक्षता ही ध्यान में रखी गई है।

प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निदेशक स्थान नहीं लिए गए हैं।

3. लेखापरीक्षा समिति

आईआरसीटीसी दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है कि नैतिकता किसी कारोबार का नींव का पत्थर है और यह लम्बी अवधि के कॉरपोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा मूल्य वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दृष्टि से, कंपनी के पास निदेशक बोर्ड की ऐसी योग्य एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है जिसमें वित्त तथा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सभी गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति ने कुशलतापूर्वक कार्यनिष्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

समिति लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट शासन के दिशा–निर्देशों और कंपनी अधिनियमों के अधीन संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करती है। समिति का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना और बोर्ड को सिफारिश करना ;
- आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति;
- बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करना;
- लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में उनके कारणों सहित परिवर्तनों पर विचार करना;
- ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि में शर्तों के बारे में विचार–विमर्श करना;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के बारे में समीक्षा करना।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2011–2012 के दौरान 25.04.2011, 02.09.2011, और 29.11.2011 को तीन बार बैठकें कीः समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई हैः–

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. एन. भारद्वाज	सदस्य	3	3
श्री विनोद अस्थाना	सदस्य	3	3
श्री जगदीप एस छोकर	अध्यक्ष	3	1
श्री आलोक शिवपुरी	सदस्य	3	शून्य
श्री आर. के. अग्रवाल	सदस्य	3	2

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यकाल पूरा होने के कारण सभी स्वतंत्र निदेशकों के पद खाली हो गए थे। निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण 31 मार्च, 2012 को समाप्त चौथी तिमाही की लेखा परीक्षा समिति की बैठक नहीं हो सकी।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

आईआरसीटीसी, कंपनी अधिनियम के अधीन सरकार की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी होने पर, कंपनी के कार्यरत निदेशक रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार नियुक्त कार्यरत निदेशक वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न के अंतर्गत और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2011–12 दौरान निगम ने अपने पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नानुसार भुगतान किया हैः–

विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते और परिलब्धियां	89.45	99.99
उपदान	2.47	2.26
अवकाश वेतन	3.33	3.44
रेलवे को दिया गया इतर सेवा अंश	2.89	2.82
कुल	**98.14**	**108.51**

कंपनी के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा मनोनीत) बोर्ड निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) कंपनी के बोर्ड निदेशकों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने पर 10,000/–रुपए प्रति बैठक का भुगतान किया जाता है।

5. प्रकटन

(i) वर्ष के दौरान कंपनी के साथ संभावित लाभ रखने वाला कोई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निदेशकों या प्रबंधन या रिश्तेदारों के साथ नहीं हुआ है।

(ii) संबद्ध पार्टी का विवरण का प्रकटन लेखा टिप्पणी के भाग के रूप में लिया गया है।

(iii) कम्पनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करती है और वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी ने लेखा मानकों से भिन्न निर्धारित किसी अन्य पद्धति को नहीं अपनाया है।

(iv) वित्त वर्ष 31 मार्च, 2012 के दौरान किसी भी गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक का कोई मौद्रिक संबंध या लेन–देन कंपनी के साथ नहीं था।

(v) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड पर गठन को छोड़कर, कंपनी ने निगम अभिशासन के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

(vi) पिछले तीन वर्षों के दौरान, लागू कानूनों के अंतर्गत पालन न होने के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई पैनल्टी नहीं लगाई गई है।

(vii) कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट शासन पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पूरी तरह से पहल की है। दिशा–निर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अपने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण एवं नीति संहिता विकसित की तथा वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए निदेशक रिपोर्ट में कॉरपोरेट शासन एवं प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेशण रिपोर्ट भी शामिल की है।

(viii) जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं हैं, ऐसी किसी भी मद का खर्च बही खातों में नहीं डाला गया है। व्यक्तिगत प्रकृति का कोई भी खर्च निदेशक बोर्ड और उच्च प्रबंधन के लिए प्रोद्भूत नहीं किया गया हैं। सिवाए उनके जो संविदागत बाध्यताओं के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार है।

6. संचार व्यवस्था के साधन

लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम और वार्षिक रिपोर्ट कॉरपोरेट गवर्नेन्स मेनुअल और बोर्ड चार्टर, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.com पर प्रदर्शित किए जाते हैं। विभिन्न विभागों की निविदाएं, अन्य सरकारी प्रेस रिलीज के साथ आईआरसीटीसी की वित्तीय योजना और वास्तविक रूप से दी गई निविदाओं/संविदाओं का ब्यौरा भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। खानपान सेवाएं, रेल टिकटिंग सेवाएं आदि जैसी अग्रणी सेवाप्रदाता के रूप में भूमिका निभाने के अनुसार, आईआरसीटीसी ने कॉरपोरेट संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए।

7. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

आईआरसीटीसी, कॉरपोरेट शासन के सिद्धांतों के अनुसार आईआरसीटीसी के कारोबार मॉडल, जोखिम प्रोफाइल तथा अत्यधिक उचित उपायों, जिनमें वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, के बारे में बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए पहल करती है। व्यवहार के तौर पर बोर्ड में नए निदेशक का कार्यभार संभालने पर कंपनी से संबंधित दस्तावेज उन्हें प्रदान किए जाते हैं, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन एवं अंतर्नियम, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच हुए सझौता ज्ञापन शामिल हैं।

8. विसिल ब्लोअर पॉलिसी

इस समय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए कंपनी में एक तंत्र की स्थापना की गई है ताकि मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक को सीधे किसी अनैतिक कार्य के बारे में वास्तव में अथवा संदेहास्पद छलकपट के बारे में रिपोर्ट कर सकें। इस तंत्र को और मजबूत करने के लिए निगम ने भी सितम्बर 2011 में विसिल ब्लोअर पॉलिसी अपनाई है जिसे आशोधित किया गया है और निगम की बेवसाइट www.irctc.com पर डाला गया है।

9. कारोबार आचरण एवं नीति–संहिता

आईआरसीटीसी के बोर्ड निदेशक के अनुमोदन के बाद, लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आईआरसीटीसी की मूल उपयोगिता के साथ अपनी कारोबार आचरण एवं नीति–संहिता निर्धारित की है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर की गई है।

10. निगम अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश :–

मई 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने केन्दीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगम अभिशासन 2010 पर अनिवार्य दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। निगम ने इन दिशा–निर्देशों को अपनाया है और डीपीई की अपेक्षाओं के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आवधिक निगम अभिशासन रिपोर्ट डीपीई को प्रस्तुत की जा रही है।

अनुबंध-IV निदेशक रिपोर्ट

बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट
(कंपनी सचिव)

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकेट ए/3,
सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
फोन : 011–27931217, मोबाइल : 9811387946
Email : balikasharma@gmail.com

निगम शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हमनें, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगम अभिशासन 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में जैसा उल्लिखित है, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं और उन्हें लागू करने तक का ही हमारी जांच का दायरा रहा है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप कंपनी ने निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

1. डी.पी.ई. दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्ड के गठन से संबंधित प्रावधानों, साथ ही साथ जिसके लिए यह अपेक्षित है कि गैर सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। रिकार्ड की जांच के अनुसार, 2011–12 के प्रथम तिमाही के दौरान दो स्वतंत्र निदेशकों और 2011–12 की अंतिम तिमाही में अन्य दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था।
2. निगम ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिमाही में लेखा परीक्षा समिति की बैठक आयोजित करना।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी की व्यवहार्यता के लिए न तो किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा निपटाए गए कंपनी के मामलों के संबंध में उनकी दक्षता या सक्रियता का प्रमाण है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2012
सेवा कर सं. : एएमएपीएस 9564 केएसटी 001;

B. Sharma

कृते बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
बालिका शर्मा प्रोप.
कंपनी सचिव
सी.पी.नं.3222
एम. नं. 4816
अभ्यास का प्रमाणपत्र संख्या.: 3222

BALIKA SHARMA & ASSOCIATES Cp. No. 3222

भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेट

4648/21, दरिया गंज, नई दिल्ली–110002
फोन नं:– 23261054, फैक्स:–23252876
Email : bbjassociates_rb@yahoo.co.in

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड.

1. हमने इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलन–पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि–लेखा और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश–फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा की है, इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंध तंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में यथालागू एक विवरण संलग्न करते हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गयी अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम यह स्पष्ट करते हैं कि :–

   (i) हमने वे सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

   (ii) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी हैं।

   (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखे और कैश–फ्लो खाता–बहियों से मेल खाते हैं।

   (iv) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और कैश–फ्लो विवरण में कंपनी अधिनियम, 1956 को धारा 211 की उप–धारा 3 (ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

   (v) यह कंपनी सरकारी कंपनी है और इसके निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अतः, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का उपबंध (छ) इसपर लागू नहीं होता इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी जाती है।

हमारी राय में और हमें दी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण, 1 से 56 के साथ पठित टिप्पणियां कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देती हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत करती है।

(i) 31 मार्च, 2012 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के मामले में,

(ii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का, लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, और

(iii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कैश–फ्लो का, कैश–फ्लो विवरण के मामले में।

कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
एफ आर एन : 003884एन

हस्ता. /–
(सीए.रवि भारद्वाज)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 80656
फर्म पंजी. नं. 000229एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.08.2012

भूषण बंसल जैन एसोसिएट्टस
चार्टर्ड अकाउन्टेट

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट अनुबंध

(I) (क) कंपनी मात्रात्मक (क्वान्टिटेटिव) ब्यौरा और अचल परिसंपत्तियों के स्थान सहित पूरा विवरण दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रख रही है।

(ख) कंपनी के आकार और अचल परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार वास्तविक सत्यापन की यह एक प्रणाली है। प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों के संबंध में कोईं महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गई हैं।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अचल संपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है। अतः कंपनी के चलते रहने की मान्यता प्रभावित नहीं होती।

(II) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान संपत्ति सूची की जाँच वास्तव में की गई है। कोई भी विसंगति नहीं पाई गई।

(ख) हमारी राय में, कंपनी के अनुसार और उसके व्यावसायिक प्रकृति के संबंध में प्रबंधन द्वारा संपति–सूची के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं उचित और पर्याप्त हैं।

(ग) वस्तु सूची रिकार्ड की जांच के आधार पर, हमारी राय में कंपनी वस्तु–सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है।

(III) अधिनियम 301 की धारा के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर के तहत आने वाली किसी सुरक्षित या असुरक्षित कंपनी फर्म या अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का कोई ऋण लिया है न ही दिया है अतः कारों 2003 के अनुच्छेद 4(III) के उपबंध क से (छ) के अन्तर्गत किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(IV) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए संपत्तियों की सूची और नियत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रक्ति के अनुरूप पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया है। इसके अलावा, अपनी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने न तो कोई ऐसी निरंतर विफलता और न ही कोई बड़ी कमजोरी देखी है, सिवाय उसके जो कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित है, जिसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्कता हो।

(V) अपनी जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान ऐसा लेन देन नहीं किया गया जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

(VI) कंपनी के रिकार्ड की अपनी संवीक्षा और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनसामान्य से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(VII) कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स की फर्म द्वारा की जा रही है। दिया गया क्षेत्र कंपनी के आकार और व्यवयाय की प्रकृति के अनुरूप है।

(VIII) जैसी कि हमें सूचना दी गई है केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के तहत लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

(IX) (क) जैसा कि हमें बताया गया है, और रिकार्डों की अपनी जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सहित अविवादित सांवैधानिक देयताओं सहित, जो भी लागू हो, को नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करती आ रही है और वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक अपने देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि का कोई भी सांविधिक देयता बकाया नहीं थी।

(ख) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विवादास्पद होने के कारण निम्नलिखित राशि को जमा नहीं किया गया है :–

स्थिति	**राशि (लाख रु.) में**	**विवाद लंबित होने का स्तर**
सेवाकर	239.03	सेवाकर आयुक्त
सेवाकर	169.06	सेवाकर आयुक्त
सेवाकर–दक्षिण जोन	569.30	मद्रास हाई कोर्ट
वैट	21.49	सीटीओ, हैदराबाद

(X) कंपनी को कोई संचयी हानि नहीं है। 31 मार्च, 2012 को उसके तत्काल पहले वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई।

(XI) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना के अुनसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं को अदायगी के मामले में चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है।

(XII) कंपनी ने शेयर, डीबेन्चर और अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

(XIII) यह कंपनी कोई चिटफंड कंपनी, निधि/म्यूचुअल लाभ निधि/सोसायटी नहीं है, अतः कारों 2003 के अनुच्छेद 4 (XIII) के तहत किसी प्रकार की टिप्पणी देना अपेक्षित नहीं है।

(XIV) कंपनी कोई भी शेयर, प्रतिभूति, डिबेन्चर या अन्य निवेश नही कर रही है। अतः, कारो, 2003 के अनुच्छेद 4 (XII) के तहत किसी प्रकार की टिप्पणी देना अपेक्षित नहीं है।

(XV) अन्य लोगों द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के लिए कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है।

(XVI) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है।

(XVII) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर अल्पावधि आधार पर कोई भी निधि नहीं ली गई है, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(XVIII) हमें दी गई सूचना और सूचना अनुसार, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि के दौरान कंपनी ने किसी पार्टी को और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों को अधिमान्यता पर शेयरों का आबंटन नहीं किया है।

(XIX) कंपनी ने कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है, अतः कारो, 2003 के अनुच्छेद 4 (XIX) के अन्तर्गत किसी टिप्पणी के दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(XX) कंपनी ने किसी सार्वजनिक निर्गम के द्वारा कोई निधि नहीं उगाही है, अतः कारो 2003 के अनुच्छेद 4 (XX) के अन्तर्गत किसी टिप्पणी के दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(XXI) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान न तो कंपनी द्वारा अथवा न ही कंपनी के साथ की गई किसी भी जालसाजी का पता चला है।

कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
एफआरएन 003884एन

हस्ता./–
(सीए रवि भारद्वाज)
पार्टनर
सदस्यता नं. 80656

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.08,2012

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	3	2,000.00	2,000.00
(ख) आरक्षित और अधिशेष	4	22,670.17	19,141.04
(2) गैर चालू देयताएं			
(क) अस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	8,545.57	8,104.21
(ग) दीर्घ कालीन व्यवस्थाएं	6	1,705.67	1,504.76
(3) चालू देयताएं			
(क) व्यापार देय	7	8,191.02	9,188.08
(ख) अन्य चालू देयताएं	8	33,414.59	29,428.05
(ग) अल्पकालीन व्यवस्थाएं	9	1,179.79	1,412.95
कुल		**77,706.81**	**70,779.09**
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां			
(III) वास्तविक परिसंपत्तियां	10	10,213.80	7,243.14
(II) अवास्तविक परिसंत्तियां	10	293.01	320.99
(III) चालू कार्यगत पूंजी	10	201.33	1,636.08
(ख) गैर – चालू निवेश	11	-	-
(ग) आस्थगित परिसंपत्तियां (शुद्ध)		-	-
(घ) दीर्घ कालीन ऋण एवं अग्रिम	12	1,848.56	1,716.52
(ड) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	185.22	24.65
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) वस्तु सूची	14	544.64	620.92
(ख) व्याापार प्राप्तियां	15	27,996.46	26,163.88
(ग) नकदी बैंक में जमा	16	23,819.13	24,586.11
(घ) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	17	11,486.50	7,625.26
(ड) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	1,118.16	841.53
कुल		**77,706.81**	**70,779.09**
सामान्य सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	2		

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
हस्ता./–
रवि भारद्वाज
पार्टनर
एम नं. 080656
फर्म रजि. सं. 003884एन
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 29 अगस्त, 2012

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
राकेश कुमार टंडन	**नलिन सिंघल**	**संजीव कुमार**	**नीरज कुमार अग्रवाल**
प्रबंध निदेशक	**निदेशक (टी एंड एम)**	**समूह महाप्रबंधक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2012 के लिए लाभ व हानि का विवरण

(लाख ₹ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
I.	परिचालनों से राजस्व (सकल)	**19**	51,498.83	44,958.62
	घटाएं : उत्पाद शुल्क		(355.32)	(326.76)
	परिचालनों से राजस्व (शुद्ध)		**51,143.51**	**44,631.86**
II.	अन्य आय	**20**	3,160.47	2,193.29
	III. कुल राजस्व (I+II)		**54,303.98**	**46,825.15**
IV.	**खर्च :**			
	खपाई गई सामग्री की लागत	**21**	7,130.18	7,339.19
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	**22**	10,280.36	7,747.56
	तैयार माल की वस्तु सूचियों से परिवर्तन, चल रहे कार्य और स्टॉक–इन–ट्रेड	**23**	52.97	165.64
	लाइसेन्सी खानपान सेवाओं का खर्च	**24**	718.05	1,322.78
	पर्यटन का खर्च	**25**	8,577.46	5,677.10
	उत्पादन एवं प्रत्यक्ष कर	**26**	2,629.34	3,297.18
	कर्मचारी हित खर्च	**27**	10,677.65	10,863.46
	वित्तीय लागत	**28**	4.94	32.86
	मूल्यह्रास और खर्च	**29**	1,454.99	1,228.73
	अन्य खर्च	**30**	5,102.42	3,588.65
	IV. कुल खर्च		**46,628.36**	**41,263.15**
V.	आपवादिक एव असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)		**7,675.62**	**5,562.00**
VI.	आपवादिक मदें	**31**	**164.08**	**-**
VII.	आपवादिक मदें और कर पूर्व लाभ (V - VI)		**7,511.54**	**5,562.00**
VIII.	आपवादिक मदें		**-**	**-**
IX.	कर पूर्व लाभ (VII - VIII)		**7,511.54**	**5,562.00**
X.	कर खर्चः			
	(1) चालू कर		**2,753.87**	**4,342.71**
	(2) आस्थगित कर			**93.89**
XI.	अविच्छिन्न परिचालनों (IX-X) से अवधि में लाभ (हानि)		**4,757.68**	**1,125.40**
XII.	विच्छिन्न परिचालनों से लाभ/(हानि)	**32**	**142.18**	**7,416.97**
XIII.	अविच्छिन्न परिचालनों के कर खर्च	**32**	**46.13**	**2,463.73**
XIV.	अविच्छिन्न परिचालनों के लिए लाभ/(हानि) (XII - XIII)		**96.05**	**4,953.23**
XV.	अवधि के लिए लाभ–हानि (XI + XIV)		**4,853.73**	**6,078.63**
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी			
	(1) मूल (रु. में)		**24.27**	**30.39**
	(2) डाईल्यूटिड (रु. में)		**24.27**	**30.39**

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
हस्ता./–
रवि भारद्वाज
पार्टनर
एम नं. 080656
फर्म रजि. सं. 003884एन
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 29 अगस्त, 2012

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
राकेश कुमार टंडन	**नलिन सिंघल**	**संजीव कुमार**	**नीरज कुमार अग्रवाल**
प्रबंध निदेशक	**निदेशक (टी एंड एम)**	**समूह महाप्रबंधक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) का विवरण

(लाख ₹ में)

	2011-12		2010-11	
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण मदें समायोजन	7,817.81		12,978.96	
मूल्यह्रास	1,473.78		1,415.19	
बेची गई परिसंपति पर हानि	10.58		5.29	
पूर्व अवधि व्यय	15.98		-	
सीएसआर निधि में स्थानांतरण	-		199.70	
ब्याज आय	(2,134.77)		(1,616.46)	
समायोजनों का जोड़	(634.43)		3.72	
चालू पूंजीगत परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ	7,183.38		12,982.68	
चालू पूंजीगत परिवर्तन				
वस्तु सूची में कमी/(वृद्धि)	76.28		157.91	
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	(4,750.23)		(1,024.87)	
ट्रेड देय एवं प्रावधान	3,688.73		(737.89)	
परिचालन से अर्जित कैश	6,198.16		11,377.83	
विविध खर्च (राजस्व)			-	
पिछले वर्ष का आयकर	-		(1,449.64)	
प्रत्यक्ष प्रदत्त कर	(3,875.62)		(3,825.59)	
प्रचालन कार्यकलापों से शुद्ध कैश		2,322.54		6,102.60
ख, निवेश वाले कार्यकलापों से कैश फ्लो				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2,918.24)		(1,790.49)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	8.98		8.27	
जेवी कंपनी में निवेश	-		250.00	
प्राप्त ब्याज	1,858.15		1,247.34	
निवेश वाले कार्यकलापों में प्रयुक्त शुद्ध कैश		(1,051.12)		(284.88)
ग, वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
लाभांश प्रदत्त (लाभांश पर कर सहित)	(1,877.84)		(1,007.39)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से शुद्ध कैश		(1,877.84)		(1,007.39)
कैश और कैश तुल्यों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)		(606.42)		4,810.33
कैश और कैश तुल्यों का प्रारंभिक शेष		24,610.76		19,800.43
कैश और कैश तुल्यों का अंतशेष		24,004.35		24,610.76

टिप्पणियां :

1 कोष्ठक में आंकड़े कैश आउट फ्लों सूचित करते हैं।

2 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणियां (अनुसूची 2) कैश फ्लो विवरण का अनिवार्य अंग बनती है।

3 पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक है, चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुर्नव्यस्थित/पुर्नर्समूहित किया गया है।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
हस्ता./–
रवि भारद्वाज
पार्टनर
एम नं. 080656
फर्म रजि. सं. 003884एन
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2012

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
राकेश कुमार टंडन	**नलिन सिंघल**	**संजीव कुमार**	**नीरज कुमार अग्रवाल**
प्रबंध निदेशक	**निदेशक (टी एंड एम)**	**समूह महाप्रबंधक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

ये टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों की अभिन्न भाग हैं।

टिप्पणी सं. 1

सामान्य सूचना

रेल मंत्रालय द्वारा पूरी खानपान एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियों को रेलवे से लेकर नए निगम को सौंपने के मूल प्रयोजन से इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है ताकि इन सेवाओं का सार्वजनिक – निजी भागीदारी के साथ व्यावसायीकरण और उन्नयन हो सके। भारत में रेल आधारित पर्यटन, राज्य एजेन्सियों, टुअर ऑपरेटरों, यात्रा एजेन्टों और अतिथि सत्कार उद्योग के समन्वय से उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए विशिष्ट माध्यम होगा। यह कम्पनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है।

टिप्पणी सं. 2

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट अनिवार्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

2.2 लेखाकरण की विधि

कॉरपोरेशन 1 नवंबर, 2006 परंपरागत लागत कन्वेंशन के अंतर्गत आय के आधार पर बीमा दावा और उन अचल खानपान स्टालों के लाइसेंस धारकों जिनको ठेका रेलों द्वारा दिया गया था, से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस से आय की रिकार्ड बंदी करने को छोड़कर, लेखाकरण का प्रोद्भवन आधार अपना रहा है।

2.3 अनुमानों का उपयोग

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन से ऐसे अनुमान और कल्पनाएं करने की अपेक्षा की जाती है, जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों व देयतायों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटनों की रिपोर्ट की गई रकम एवं रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रकम को प्रभावित करती है। वास्तविक आंकड़े अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अनुमानों में कोई संशोधन होता है तो उसकी पहचान उनके निर्धारण की अवधि में की जाती है।

2.4 राजस्व की पहचान

कॉरपोरेशन केटरिंग सर्विस (चल और अचल दोनों यूनिटों) के प्रबंध करने, चल यूनिटों में बेडरोल और सफाई सेवाएं, विभागीय केटरिंग यूनिटों के परिचालन करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का प्रबंध संभालने, फूड प्लाजा के परिचालन, स्थायी खानपान स्टालों, एवीएमएस के लिए लाइसेंस देने, इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क–139 कॉल सेन्टर का प्रबंध संभालने, विख्यात टुअर आपरेटरों के माध्यम से पैकेज टुअरों की व्यवस्था करने, संपूर्ण टुअर पैकेजों का प्रबंध संभालने, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी के विनिर्माण एवं वितरण आदि के कारोबार में लगा है।

(क) बिक्री :

जब सामान बेचा जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी, स्क्रैप खाद्य एवं पेय पदार्थों की वस्तुओं की बिक्री की पहचान की जाती है और जहां कहीं लागू है, उत्पाद शुल्क का शुद्ध, वैट आदि एएस 9 के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। इसमें अंतर–डिपो और अंतर–यूनिट अंतरण शामिल नहीं होते हैं।

(ख) इंटरनेट टिकटिंग से आय :

इंटरनेट टिकटिंग से आय की पहचान कॉरपोरेशन के वेबसाइट–समर्थित पेमेन्ट गेटवे www.irctc.co.in के जरिए बेची गई टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभार के मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रोद्भवन के आधार पर इन टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभारों को कॉरपोरेशन की आय के रूप में बुक किया गया है।

(ग) खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया है कि ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाए। कंपनी केटरिंग सर्विस से अपनी आय की पहचान निम्नलिखित नीतियों के अनुसार करती है :–

(i) ऑन बोर्ड (ट्रेन में) खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रोद्भवन के आधार पर भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे पर वसूल किए गए बिलों के आधार पर आय को लेखा में लिया जाता है।

(ii) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभारों और लाइसेंस फीस से आय :

कॉरपोरेशन निम्नलिखित अनुसार आय प्राप्त कर रहा है :–

क्र.सं.	व्यापारिक कार्यकलापों की प्रकृति	लाइसेंसियों से प्राप्त शुल्क की प्रकृति
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना	कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस
2.	मेल / जनशताब्दी / एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना	(i) कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और खानपान नीति, 2005 से पूर्व ठेके पर दिए गए ट्रेनों के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
4.	रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस। (ii) स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस ।
5.	रेलवे स्टेशनों पर अचल यूनिटों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और निर्धारित लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	लाइसेन्स प्राप्तकर्त्ताओं के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस फीस

निम्नलिखित के अनुसार इन शीर्षों के अंतर्गत आय की पहचान की गई है/लेखा–जोखा किया गया है :–

- **कन्सेशन फीस :** राजस्व की पहचान से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस.9.) में दी गयी समानुपाती समापन विधि के अनुसार कंट्रैक्ट की अवधि में आय की पहचान मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त एक–बारगी कन्सेशन फीस (असमाप्त कन्सेशन फीस) को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में माना गया है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों को रद्द कर देने/बंद कर दिये जाने के कारण ट्रेनों के लिए ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं तो आय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।
- **उपयोगकर्ता प्रभार :** फूड प्लाजा और बजट होटलों के लाइसेंसधारकों द्वारा देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को तब तक प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक वे कार्यरत रहें।
- **लाइसेंस फीस :**

  (क) कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्कों को मासिक यथानुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है, जब तक वे कार्यरत रहें।

  (ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी खानपान सेवाओं की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

  (ग) लाइसेंसफीस को पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंध और हस्तांतरण करने के आधार पर

  लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के प्रक्षेपित कुल कारोबार की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।
- **ठेकों को जब्त करने से प्रोद्भूत आय :** निबंधन एवं शर्तों के पालन न किये जाने के कारण समाप्त किए गए खानपान ठेकों से आय की पहचान निम्नलिखित अनुसार की गई है :

  (क) ठेका समाप्त किये जाने की तारीख तक, कन्सेशन फीस के संबंध में आय की पहचान कंट्रैक्ट अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर तथा लाइसेंस फीस के मामले में उस अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर की जाती है जिस अवधि में ट्रेन का परिचालन हुआ है।

  (ख **अन्य आय :** ठेकों की जब्ती पर कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि को उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई अन्य आय के रूप में पहचाना जाता है।

(घ) पैकेज टुअर से आय :

कॉरपोरेशन रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिड टूअरों के अधीन विशेष ट्रेनों, विशेष कोच चार्टरों और शायिकाओं की बुकिंग करने में लगा है। विशेष ट्रेनों/कोच चार्टरों से प्राप्त आय में रेलवे प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया, अन्य प्रभार और मूल किराये के एक निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन का सेवा प्रभार सम्मिलित होता है। वैल्यू एडिड टूअरों के मामले में, आय में किराया, ब्लाक बुकिंग प्रभार, रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार और किराये के निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन सेवा प्रभार सम्मिलित होता है।

संपूर्ण टुअर पैकेजों, बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी और भारत दर्शन गाड़ियों के मामले में आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर को छोड़कर कुल रकम शामिल होती है।

(ड) टीडीआर सहित सावधि जमाराशियों पर ब्याज से आय :

सावधि जमा राशियों और टीडीआर से ब्याज के रूप में प्राप्त आय की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

(च) ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस :

विदेश व्यापार नीति–2004–2009 के अनुसार 'सर्वड् फ्रॉम इंडिया स्कीम' के तहत एक गैर हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस प्राप्त किया गया है। उक्त लाइसेंस का प्रयोग कुछ निर्धारित मदों के लिए सीमा और आयात शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

2.5 व्यय :

व्यय की मदों की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है, तथापि ऐसे कुछ व्यय/दावे जो कि निश्चित नहीं हैं, निश्चित हो जाने पर लेखा में लिया जाता है।

(i) रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी और विभागीय खानपान के कार्यकलाप पर व्यय :

व्यय को प्रोद्भवन होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है और सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय :

व्यय का लेखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और सभी ज्ञात हानियों तथा देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) भुगतान किया गया खानपान प्रभार :

(क) ऑनबोर्ड (ट्रेन में) केटरिंग प्रभार : ठेकेदार को भुगतान किए गए केटरिंग प्रभारों को भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए कॉरपोरेशन को दिए गए बिलों के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस फीस और कर्षण प्रभार :

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय की निम्नलिखितानुसार पहचान की गई है/उसका लेखा–जोखा किया गया है:

- **भुगतान की गई कन्सेशन फीस** : ऑन बोर्ड केटरिंग ठेका, एवीएम, अचल यूनिटों आदि के संबंध में भारतीय रेलवे को देय कन्सेशन फीस की पहचान कंट्रैक्ट की अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। भारतीय रेल को असमाप्त कन्सेशन फीस के किए गए भुगतान को अग्रिम के रूप में माना गया है। यदि ट्रेनों के लिए ठेके, ठेके की निबंधन एवं शर्तों का पालन न किए जाने या रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन रद्द/समाप्त कर दिये जाने के कारण समाप्त कर दिये जाते हैं, तो व्यय की पहचान उस अवधि पर की जाती है, जिस अवधि में ठेका लागू था।

- **भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार** : फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

- **भुगतान की गई लाइसेंस फीस :**

  (क) कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

  (ख) भारतीय रेल को देय परिवर्तनीय लाइसेंस फीस को प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

- **पर्यटन व्यय :**

  भारतीय रेल द्वारा ली जाने वाली टिकट की कीमत, अन्य प्रभार, यदि कोई हों, और विशेष गाड़ी/कोच चार्टर/बर्थ बुक कराने पर सेवा प्रभारों की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। पूरे टुअर पैकेज और बौद्ध परिपथ विशेष गाड़ी के मामले में, भारतीय रेल द्वारा ली गई टिकट की कीमत, अन्य प्रभार यदि कोई हो, सड़क यात्रा व्यय, आवास एवं भोजन प्रभार आदि की गणना की प्रोद्भवन आधार पर की जाती है ।

(iv) पूर्व अवधि व्यय

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में 1,00,000/–रु. से अधिक नहीं होती, उसे चालू वर्ष की आय/व्यय माना जाता है।

(v) आपवादिक मदें :

आपवादिक मदें आमतौर पर सामान्य गतिविधियों से लाभ, एवं हानि के भीतर आय एंव खर्च की अनावर्ती मदें होती हैं जो ऐसे आकार, प्रकृति अथवा घटनाओं वाली होती हैं, जिनका प्रकटीकरण कंपनी के वर्ष के निष्पादन को स्पष्ट करने के लिए संगत होता है।

2.6 अचल परिसंपत्तियां ओर अमूर्त परिसंपत्तियां :

(i) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख स्थापना प्रभार और अन्य संबंधित व्यय सहित अधिग्रहण किए जाने की कीमत पर किया जाता है।

(ii) कम्प्यूटरों के मामले में, कम्प्यूटर के साथ खरीदे गये आपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कीमत कम्प्यूटर क साथ शामिल कर दी गई है। जबकि, नियमित उन्नयन और वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों को राजस्व व्यय माना गया है।

(iii) कार्यालय परिसर के लिए पट्टाधृति भवनों पर व्यय को लीज़होल्ड ऑफिस डेवलपमेंट के रूप में शामिल किया गया है।

(iv) अमूर्त परिसंपत्तियां अधिग्रहण हेतु किए गए भुगतान पर रिकार्ड की जाती है। पूर्व के वर्षों में कम्प्यूटरों के साथ पूंजीकृत किए जाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रभार, वेबपोर्टल, पर्यटन पोर्टल के व्यय को अब इंन्सटीट्यट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की विशेषज्ञ सुझाव समिति द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2009 को दिए गए सुझाव के अनुसार इन्हें अमूर्त शीर्ष के तहत पूंजीकृत किया गया है। अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु 4 वर्ष मानी गई है।

(v) ऐसी खानपान इकाइयों में रखे गए यंत्रों एंव संयंत्रों को ''जहां है जैसा'' के आधार पर लिया जाता है। चूंकि इन परिसंपत्तियों का मूल्य उपलब्ध नहीं है। अतः इनकी वास्तविक पहचान के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यलय के खाते में 1/– रु. प्रति मद के नाम–मात्र की कीमत पर इनकी गणना की जाती है।

(vi) लग्जरी टूरिस्ट गाड़ी को अचल परिसंपत्ति अनुसूची में पूंजीकृत किया गया है और ''लग्जरी टूरिस्ट गाड़ी'' के रूप में दर्शाया गया है।

2.7 चालू पूंजीकृत कार्य :

बजट होटलों पर व्यय, पालूर के रेलनीर संयंत्र के बकाया कार्यों को चालू पूंजीगत कार्यों के तहत वर्गीकृत किया जाता है और कार्य पूरा होने के बाद संबंधित शीर्षों को आबंटित कर दिया जायेगा।

2.8 मूल्यह्रास :

(i) कॉरपोरेशन नांगलोई और दानापुर में स्थित रेलनीर संयंत्रों के भवनों और संयंत्र एवं मशीनरी तथा अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की सीधी पद्धति और अन्य परिसंपतियों के संबंध में ह्रासित मूल्य पद्धति अपना रहा है। मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट दरों पर दिया जाता है। मूल्यह्रास इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से यथानुपात के आधार पर परिकलित किया जाता है। वर्ष के दौरान मूल्यह्रास परिसंपतियों की बिक्री, छांटने तथा क्षति होने की तारीख तक दिया जाता है।

(ii) जिन विशेष परिसंपत्तियों के अर्जन की वास्तविक लागत वर्ष के दौरान 5000/– रुपये (पांच हजार रुपये) से अधिक नहीं है, उनके मामले में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार 100 प्रतिशत की दर से किया गया है।

(iii) पट्टाधृति–कार्यालय परिसरों के संबंध में कार्यालय विकास का पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास किया गया है।

(iv) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु 5 साल मानी गई और ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यहरास सीधी पद्धत्ति के आधार पर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया गया है।

(v) लग्जरी पर्यटक गाड़ी पर मूल्यह्रास निम्न कारणों से हुआ है :–

- स्ट्रेट लाइन मेथड पर कोच (बेयर खोल) और आंतरिक साज–सज्जा क्रमशः 4.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 13.58 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की गई है जिससे वास्तविक लागत 5 प्रतिशत रेसीडयूअल वैल्यू रह जाती है।
- लिखित डाउन वैल्यू पर 13.91 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वातानुकूलन पर मूल्यह्रास हुआ है जिससे वास्तविक लागत का 5 प्रतिशत रेसीड्यूअल वैल्यू रह जाती है।

(vi) लीज़होल्ड भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के मामले में मूल्यह्रास भूमि की लीज़ अवधि के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

2.9 वस्तुसूचियाँ :

(i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामान, भण्डार, मशीन के अतिरिक्त पुर्जों और उपभोग्य वस्तुओं के मामले में, कीमत में शुल्क एवं कर (केनवेट (CENVAT) का शुद्ध, जहां कहीं लागू हो) शामिल होते हैं और वह फीफो (FIFO) के आधार पर घटित होता है।

(iii) तैयार माल और चालू कार्य की लागत में कच्चे माल, पैकिंग सामग्री की लागत, निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन खर्चों का समुचित भाग, यथालागू उत्पाद शुल्क तथा अन्य व्यय जो वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किया गया, शामिल है।

(iv) पीडी मदों (व्यापारिक सामान) का मूल्यांकन फीफो (FIFO) के आधार पर लागत पर किया जाता है।

2.10 निवेश :

दीर्घकालीन निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में स्थायी कमी पर प्रावधानों से लागत घटाकर, यदि कोई हों, किए जाते हैं।

2.11 कर्मचारी हित लाभ :

(i) उपदान और छुट्टी के बदले नकद भुगतान के लिए प्रावधान/देयताएं वर्ष के अन्त में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती हैं और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

(ii) प्रतिनियुक्त/मानिद प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए इतर सेवा अंशदान–पेंशन और छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान/देयताएं सरकारी नियमों/ विनियमों के अनुसार बनाई जाती है और प्रोद्भवन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित की जाती हैं।

2.12 अनुदान

संबंधित परिसंपत्ति की कीमत के लिए विशिष्ट परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में अनुदान समायोजित किए जाते हैं। राजस्व व्यय के संबंध में अनुदान संबंधित व्यय पर समायोजित किया जाता है।

2.13 कराधान :

कॉरपोरेशन ने आस्थगित कराधान को भारतीय सनदी (चार्टर्ड) लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखाकरण'' पर लेखाकरण मानक (एएस) 22 के अनुरूप लेखा में दिया है।

वर्ष के लिए बुक लाभ व कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतरों के आधार पर आस्थगित कर उन कर दरों तथा कानूनों को लागू कर लेखा में लिया जाता है जो तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। समय के अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान उस उचित निश्चितता की सीमा तक की जाती है कि परिसंपत्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है।

2.14 फुटकर देनदार/अग्रिम :

फुटकर देनदारों/अग्रिमों को अशोध्य के रूप में मान गए ऋणों के बट्टे खाते में डालने के बाद दर्शाया जाता है। संदिग्ध माने गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

2.15 परिसंपत्तियों का नाकारा हो जाना :

परिसंपत्तियों के नाकारा हो जाने से संबंधित एएस–28 में यथा वर्णित नकदी सृजन करने वाली इकाइयों की तुलन–पत्र तारीख में पहचान की गई जिन्हें ले जाई गई राशि की तुलना में वसूल की जाने वाली राशि तथा परिसंपत्तियों के नाकारा होने के रूप में लाभ हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.16 विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहार की तारीख का मौजूद विदेशी मुद्रा विनिमय की दर पर किया गया है, जिसे उसी दर पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र में तुलनपत्र बनने की तारीख को मौजूद विदेशी मुद्रा विनियम की दर में परिवर्तित करके दर्शाया गया है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

	राशि (₹ लाख में) 31.03.2012	राशि (₹ लाख में) 31.03.2011
नोटः 3		
शेयर पूंजी		
अधिकृत पंजी		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	5,000.00	5,000.00
(पिछले वर्ष प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
जारी, अंशदायी और प्रदत पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 20,000,000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	2,000.00	2,000.00
(पिछले वर्ष, प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 20,000,000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त)	2,000.00	2,000.00

नोटः 3.1

शेयर की संख्या का समाधान

	31.03.2012		31.03.2011	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ लाख में)	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ लाख में)
इक्विटी शेयर				
वर्ष के आरंभ में शेष	200.00	2,000.00	200.00	2,000.00
जोडः– वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	200.00	2,000.00	200.00	2,000.00

नोटः 3.2

कंपनी में संकलित शेयर के 5 प्रतिशत से अधिक के हिस्से के शेयरधारकों के शेयर का विवरण

	31.03.2012		31.03.2011	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	आस्थगित का प्रतिशत	शेयरों की संख्या (लाख में)	आस्थगित का प्रतिशत
इक्विटी शेयर				
रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार	200.00	100	200.00	100

नोटः 3.3

शेयर से संबंधित अधिकार, वरीयता एवं प्रतिबंध

कंपनी के पास एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है जिसका अंकित मूल्य 10 रु. प्रतिशेयर है। प्रत्येक शेयर धारक को प्रतिशेयर के बदले एक मतदान का अधिकार है। अंतरिम लाभांश को छोड़कर, बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांश पर अनुमोदन आगामी आम सभा की बैठक में लिया जाना है। कंपनी के पास कोई वरीयता शेयर नहीं हैं, अतः तरलता की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपति को प्राप्त करने की पात्रता है।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

		राशि (₹ लाख में)		राशि (₹ लाख में)	
		31.03.2012		31.03.2011	

नोटः 4

सामान्य आरक्षित

वर्ष के आरंभ में शेष		17,491.70		12,991.70	
जोड़े– लाभ एवं हानि विवरण से स्थानातंरित		3,500.00		4,500.00	
वर्ष के अंत में शेष	**क**	20,991.70		17,491.70	
अन्य आरक्षित					
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि					
वर्ष के आरंभ में शेष		199.70		-	
जोड़े: लाभ एवं हानि के विवरण से स्थानांतरित		182.36		199.70	
न्यून : सीएसआर ट्रस्ट से स्थानांतरित		(382.06)		-	
वर्ष के अंत में शेष	**ख**	-		199.70	
लाभ एवं हानि के विवरण में सरप्लस					
वर्ष के आरंभ में शेष		1,449.64		1,283.96	
जोड़े: लाभ एवं हानि के विवरण से स्थानांतरित		4,853.73		6,078.63	
न्यून : विनिमय					
वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश		(970.75)		(1,215.73)	
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश वितरण कर		(154.16)		(197.22)	
सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित		(3,500.00)		(4,500.00)	
वर्ष के अंत में शेष	**ग**	1,678.47		1,449.64	
आरक्षित और सरप्लस (क+ख+ग)			**22,670.17**		**19,141.04**

नोटः 5

अन्य लंबी अवधि के प्रावधान

अन्य				
प्रतिभूति जमा	8,545.57		8,104.21	
		8,545.57		**8,104.21**

नोटः 5.1

किसी भी सप्लायर ने यह सूचित नहीं किया है कि वे माइक्रों स्माल ओर मीडियम इन्टरपाइज डेवलवमेंट अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत है अतः माइक्रो एवं स्माल इन्टरप्राइजेज को कोई भी मूल्य/ब्याज की राशि देय नहीं है।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

		राशि (₹ लाख में) 31.03.2012		राशि (₹ लाख में) 31.03.2011	
नोटः 6					
लंबी अवधि के प्रावधान					
कर्मचारी हित की व्यवस्था					
सेवानिवृत्ति लाभ		1,705.67		1,504.76	
			1,705.67		**1,504.76**
नोट संख्या 37 भी देखें					
नोटः 7					
व्यापार देय					
व्यापार देय					
माल के लिए		818.29		935.33	
सेवा के लिए		7,372.73		8,252.75	
		8,191.02		9,188.08	
			8,191.02		**9,188.08**

नोटः 7.1

किसी भी सप्लायर ने यह सूचित नहीं किया है कि वे माइक्रों स्माल ओर मीडियम इन्टरप्राइजेज डेवलवमेंट अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत है अतः माइक्रो एवं स्माल इन्टरप्राइजेज को कोई भी मूल्य/ब्याज की राशि देय नहीं है।

		31.03.2012		31.03.2011	
नोटः 8					
अन्य चालू देयताएं					
अग्रिम रूप से प्राप्त आय					
असमाप्त छूट शुल्क		52.69		176.02	
असमाप्त लाइसेन्स शुल्क		2,578.63		2,712.16	
समाप्त उपभोक्ता प्रभार		3.45		12.32	
अग्रिम प्राप्ति		1,113.28		199.48	
	क	**3,748.05**		**3,099.98**	
अन्य देयताएं					
जमा बयाना राशि		1,943.49		1,718.74	
अन्य खर्च		27,454.57		24,273.52	
कर देयताएं		268.48		335.81	
	ख	**29,666.54**		**26,328.07**	
कुल	**(क+ख)**		**33,414.59**		**29,428.05**
नोटः 9					
अल्प अवधि के प्रावधान					
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		51.56		-	
	(क)	51.56		-	
अन्य					
प्रस्तावित लाभांश		970.75		1,215.73	
लाभांश कर के लिए प्रावधान		157.48		197.22	
	(b)	**1,128.23**		**1,412.95**	
कुल	**(क+ख)**		**1,179.79**		**1,412.95**

वर्ष 2011 – 12 के लिए अचल परिसंपत्तियों का चार्ट

नोट सं. 10 अचल सपत्तियां राशि (₹ लाख में)

विवरण	सकल मूल्य				मूल्यहरास एवं परिशोधन				लाई गई राशि	
	01.04.2011 तक मूल लागत	वर्ष के दौरान जोड़ी गई	वर्ष के दौरान कमी/बेची गई	31.03.2012 तक मूल लागत	01.04.2011 तक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	कमी/बेची गई पर मूल्यह्रास समायोजन	मार्च 2012 तक	31.03.2012 तक	31.03.2011 तक
(क) वास्तविक परिसंपत्तियां										
भवन–फैक्ट्री	354.00	838.47	-	1,192.47	81.80	31.70	-	113.50	1,078.97	272.20
भवन–कार्यालय	76.38	-	-	76.38	8.49	1.24	-	9.73	66.65	67.89
संयंत्र एवं मशीनरी	1,618.10	1,058.13	-	2,676.22	732.27	258.70	-	990.96	1,685.26	885.83
कंम्प्यूटर	3,210.92	468.03	55.98	3,622.97	2,532.13	387.25	46.74	2,872.65	750.32	678.79
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	565.54	17.61	0.06	583.09	352.05	53.68	0.06	405.68	177.41	213.48
कार्यालय उपकरण	1,189.77	413.38	21.66	1,581.50	601.57	162.22	11.39	752.41	829.09	588.19
एयर कंडीशनर	229.81	22.72	0.36	252.18	100.48	21.43	0.28	121.63	130.55	129.34
औजार एवं संयंत्र	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06
लग्जरी टूरिस्ट रेल	3,823.94	4.59	-	3,828.53	300.78	275.72	-	576.50	3,252.03	3,523.16
लीज़होल्ड सुधार	958.33	331.16	-	1,289.48	364.84	85.04	-	449.88	839.60	593.49
लीज़होल्ड की जमीर पर फ्लैट	248.50	-	-	248.50	19.06	8.28	-	27.35	221.15	229.44
जमीन					-	-	-			
लीजहोल्ड पर भूमि	61.28	-	-	61.28	-	-	-	-	61.28	61.28
फ्रीहोल्ड जमीन	-	1,121.41	-	1,121.41	-	-	-	-	1,121.41	-
	12,336.62	**4,275.51**	**78.05**	**16,534.08**	**5,093.47**	**1,285.26**	**58.46**	**6,320.27**	**10,213.80**	**7,243.15**
(ख) अवास्तविक परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-		-	-
अवास्तविक परसिंपत्तियां	1,181.34	160.55	-	1,341.88	860.36	188.52	-	1,048.87	293.01	320.98
	1,181.34	**160.55**	**-**	**1,341.88**	**860.36**	**188.52**	**-**	**1,048.87**	**293.01**	**320.98**
कुल चालू वर्ष	**13,517.96**	**4,436.05**	**78.05**	**17,875.96**	**5,953.83**	**1,473.78**	**58.46**	**7,369.14**	**10,506.82**	**7,564.13**
कुल विगत वर्ष	**12,683.74**	**924.44**	**90.22**	**13,517.96**	**4,613.58**	**1,415.19**	**74.94**	**5,953.82**	**7,564.14**	**8,070.16**

नोट सं. 10 पूंजीगत कार्य प्रगति पर राशि (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2012 को मूल लागत	31.03.2011 को मूल लागत
बजट होटल के परामर्शदात्री प्रभार	33.17	29.16
रेलनीर संयंत्र पालूर	-	1,503.24
अन्य	168.16	103.67
कुल	**201.33**	**1,636.08**

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

	राशि (₹ लाख में) 31.03.2012		राशि (₹ लाख में) 31.03.2011	
नोटः 11				
गैर चालू निवेश				
इक्विटी उपकरण में निवेश				
संयुक्त उपक्रम की इक्विटी में				
रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड (प्रत्येक शेयर 10/- रुपये की दर से 25,00,000 शेयर)	250.00		250.00	
घटाएं : निवेश के मूल्य में घटाव का प्रावधान	250.00		250.00	
	-		-	
		-		-
नोटः 12				
लंबी अवधि के लिए ऋण एवं अग्रिम				
(प्रबंधन द्वारा वसूल के लिए अप्रतिभूत शोध्य माना गया) नकद अथवा किस्म के रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के वसूलनीय अग्रिम				
फ्लैटों और जमीन के निर्माण के लिए भारतीय रेल के लिए पूंजी अग्रिम	869.34		869.34	
फ्लैटों और जमीन के निर्माण के लिए आरबीएनएल की पूंजी अग्रिम	342.00		342.00	
प्रतिभूति जमा	637.22		505.18	
	1,848.56		**1,716.52**	
		1,848.56		**1,716.52**
नोटः 13				
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां				
अन्य बैंक अधिशेष				
प्रत्यार्पण प्रतिबंधों के अध्यधीन, सावधि जमा खातों वाले बैंक अधिशेष, जिनकी परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक हो और जिसकी ऋणों, गारंटियों या अन्य वचनबद्ताओं के लिए जिसकी मार्जिन राशि या प्रतिभूति राशि बैक गांरटी के लिए मार्जिन राशि के रूप में रखी गई हो।		185.22		24.65
		185.22		**24.65**
नोटः 14				
सूची				
सूचियां				
(प्रबंधन द्वारा ली गई, सम्मानित, प्रमाणिक)				
कच्चा माल (किराया शामिल)	185.21		208.52	
तैयार माल	227.99		235.60	
व्यापारिक माल – पैक किया हुआ (पीडी) मदें	131.44		176.80	
	544.64		620.92	
कुल	-	**544.64**		**620.92**

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

		राशि (₹ लाख में)		राशि (₹ लाख में)	
		31.03.2012		31.03.2011	
नोटः 15					
व्यापारिक प्राप्ताएं					
(प्रबंधन द्वारा वसूल किए जाने वाले असुरक्षित माल)					
देय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि से लंबित, ऋण					
विचाराधीन माल		21,151.26		17,505.61	
संदिग्ध माने गए		87.14		77.90	
		21,238.40		**17,583.50**	
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		(87.14)		(77.90)	
	(क)	**21,151.26**		**17,505.61**	
अन्य प्राप्ताएं					
विचाराधीन माल		6,845.20		8,658.27	
संदिग्ध माने गए		-		-	
	(ख)	**6,845.20**		**8,658.27**	
कुल	**(क + ख)**		**27,996.46**		**26,163.88**
नोटः 16					
नकद एवं बैंक अधिशेष					
बैंक शेष					
चालू खाते में		2,642.96		2,935.80	
परिपक्वता के लिए तीन महीने या उससे कम की सावधि जमा		10,450.00		11,383.24	
बैंक जमानत के लिए मार्जिन राशि		4.41		4.41	
चैक, हाथ में ड्राफ्ट		740.00		-	
नकद		214.88		52.15	
	(क)	**14,052.25**		**14,375.60**	
अन्य बैंक शेष					
परिपक्वता के लिए तीन महीने या उससे अधिक परंतु 12 महीने से अधिक नहीं		9,731.11		10,208.28	
बैंक जमानत के लिए मार्जिन राशि		35.77		2.23	
	(ख)	**9,766.88**		**10,210.51**	
कुल	**(क + ख)**		**23,819.13**		**24,586.11**
नोटः 17					
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम					
अन्य					
सरकार प्राधिकार की तरफ से शेष		872.05		356.16	
अन्य जमा राशि		7,919.03		5,389.04	
अग्रिम कर टीडीएस मिलाकर (शुद्ध प्रावधान से मार्च 31, 2011 5356.80 लाख)		394.90		(680.72)	
पूर्वदत्त व्यय		98.68		46.28	
अन्य अग्रिम		2,201.84		2,514.50	
		11,486.50		7,625.26	
कुल			**11,486.50**		**7,625.26**
नोटः 18					
अन्य चालू परिसंपत्तियां					
ब्याज जमा लेकिन शर्तों एवं सावधि जमाओं पर देय नहीं		1,118.16		841.53	
		1,118.16		841.53	
			1,118.16		**841.53**

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

	राशि (₹ लाख में) 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		राशि (₹ लाख में) 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
नोटः 19				
प्रचालन से राजस्व				
क उत्पाद की बिक्री				
(i) रेलनीर (बोतलबंद पीने का पानी)	4,832.70		2,691.49	
(ii) विभागीय खानपान				
- भोजन की बिक्री एवं बेवरेज	18,544.17		19,048.52	
- बाहरी खानपान से आय	1,079.18		664.23	
	24,456.05		22,404.24	
कुल उत्पाद की बिक्री		**24,456.05**		**22,404.24**
ख सेवा की बिक्री				
i) इंटरनेट टिकटिंग				
सेवा प्रभार अर्जित–आईआर टिकटिंग	14,730.82		12,369.37	
लाइसेन्स शुल्क–कॉल सेन्टर से आय	125.00		100.00	
मेसेजिस सर्विस से आय	31.88		35.83	
सीडब्ल्यूजी से टिकटिंग से आय			1,271.73	
प्रभार से आय/एसबीआई कॉ–बैन्डीड एवं लायलटी कार्ड	707.90		414.86	
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि के शुल्क से प्राप्त आय	40.10		88.60	
(क)	**15,635.70**		**14,280.39**	
ii) लाइसेन्स खानपान सेवाएं से आय				
लाइसेन्स शुल्क/उपभोक्ता प्रभार के शुल्क से प्राप्त आय				
उपभोक्ता प्रभार–फूड प्लाजा से आय	425.25		418.97	
लाइसेन्स शुल्क–फूड प्लाजा से प्राप्त आय	1,207.30		1,136.37	
(ख)	**1,632.55**		**1,555.34**	
iii) पर्यटन				
- यात्रा एवं टूर आय	7,949.09		6,228.19	
- उपभोक्ता प्रभार–रेल यात्री निवास की आय	87.82		82.08	
- लाइसेन्स शुल्क–रेल यात्री निवास से आय	99.75		73.30	
- लीज़ रेंट आय–एलटीटी	119.19		320.36	
- महाराजा एक्सप्रेस–राजस्व	1,491.09		-	
(ग)	**9,746.94**		**6,703.93**	
कुल सेवा की बिक्री (क+ख+ग)		**27,015.19**		**22,539.66**
अन्य परिचालन आय				
रेलनीर की स्क्रैप बिक्री	25.87		14.66	
विभागीय खानपान की स्क्रैप बिक्री	1.72		0.06	
	27.59		**14.72**	
		27.59		**14.72**
परिचालन (सकल) से राजस्व		**51,498.83**		**44,958.62**

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

		राशि (₹ लाख में)		राशि (₹ लाख में)	
		31.03.2012 को समाप्त वर्ष		**31.03.2011 को समाप्त वर्ष**	

नोटः 20

अन्य आय

ब्याज आय					
- एफडीआर एवं टीडीआर (सकल) पर ब्याज से आय		2,134.77		1,616.46	
- अन्य ब्याज से आय		0.23		1.17	
	(क)	**2,135.00**		**1,617.63**	
अन्य गैर–प्रचालन आय					
- प्रत्यादेश प्रभार एवं प्रतिभूति जमा जब्त		8.40		11.42	
- ठेकों पर जुर्माना से प्राप्त आय		219.31		69.74	
- टेंडर फार्म की बिक्री		5.11		8.81	
- अतिरिक्त प्रावधान वापिस किया गया		10.70		0.84	
- माल बिक्री से प्राप्त आय		76.45		81.12	
विदेश विनिमय पर लाभ / (हानि)		0.12		(0.05)	
- विविध आय		705.38		403.78	
	(ख)	**1,025.47**		**575.66**	
कुल	**(क+ख)**		**3,160.47**		**2,193.29**

नोटः 21

प्रयुक्त सामग्री की लागत

रेलनीर (बोतल बंद पीने का पानी)					
खुला स्टॉक		92.92		59.70	
जोड़े : बंद स्टॉक		2,906.69		2,065.76	
		2,999.61		2,125.46	
घटाएं : बंद स्टॉक		102.64		92.92	
	(क)	**2,896.97**		**2,032.54**	
विभागीय खानपान					
खुला स्टॉक		115.60		141.09	
जोड़े : खरीद		4,200.18		5,281.17	
		4,315.78		5,422.26	
घटाएं : बंद स्टॉक		82.58		115.60	
	(ख)	**4,233.21**		**5,306.66**	
कुल	**(क+ख)**		**7,130.18**		**7,339.19**

नोटः 22

विक्रय के लिए माल की खरीद

पीडी वस्तुओं की पुनः बिक्री के लिए खरीद	9,309.76		7,269.44	
खरीद– बाहरी खानपान	970.60		478.12	
		10,280.36		**7,747.56**

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

		राशि (₹ लाख में) 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		राशि (₹ लाख में) 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
नोटः 23					
अंतिम सामान की अनुसूची, कार्यप्रगति और विक्रय के लिए स्टॉक					
खुला स्टॉक					
तैयार माल		235.54		426.76	
बंद स्टॉक					
तैयार माल		227.99		235.54	
	(क)	**7.55**		**191.22**	
विभागीय खानपान					
खुला स्टॉक					
तैयार माल		0.06		0.02	
पीडी वस्तुएं		176.80		151.26	
		176.86		**151.28**	
बंद स्टॉक					
तैयार माल		-		0.06	
पीडी वस्तुएं		131.44		176.80	
		131.44		**176.86**	
	(ख)	**45.42**		**(25.58)**	
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	**(क+ख)**		**52.97**		**165.64**
नोटः 24					
लाइसेन्सी खानपान सेवाओं पर खर्च					
उपभोक्ता प्रभार फूड प्लाजा		170.10		167.59	
लाइसेन्स शुल्क फूड प्लाजा		482.92		454.55	
सेवाकर – फूड प्लाजा		64.59		700.01	
लाइसेन्स शुल्क रेलवे भूमि फूड प्लाजा		0.44		0.63	
		718.05		**1,322.78**	
			718.05		**1,322.78**
नोटः 25					
पर्यटन पर खर्च					
यात्रा एवं पर्यटन खर्च		7,187.95		5,561.63	
लाइसेन्स की – रेलयात्री निवास		24.94		18.32	
उपभोक्ता प्रभार – रेलयात्री निवास		21.95		20.52	
रेलवे को चुकाई गई लाइसेन्स फी – रेलयात्री निवास		0.02		0.04	
रख–रखाव एवं अन्य खर्च		68.93		76.59	
महाराज एक्सप्रेस का खर्च		1,273.67		-	
		8,577.46		**5,677.10**	
			8,577.46		**5,677.10**

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

	राशि (₹ लाख में) 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		राशि (₹ लाख में) 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
नोटः 26				
रेलनीर (बोतलबंद पीने का पानी)				
- प्रचालन एवं रखरखाव प्रभार	509.34		454.00	
- लाइसेन्स शुल्क रेलवे भूमि	34.71		26.85	
- पावर एवं ईंधर	271.17		155.97	
- रख–रखाव एवं मरम्मत–संयंत्र एवं मशीनरी	6.51		5.63	
- रख–रखाव एवं मरम्मत–अन्य	18.89		7.02	
- अन्य प्रत्यक्ष कर	28.95		23.90	
(क)	**869.57**		**673.37**	
विभागीय खानपान सेवाएं				
- भीतर माल लोडिंग – एवं अनलोडिंग खानपान	33.86		17.23	
- खाद्य जांच खर्च	2.76		5.23	
- ईंधन	549.74		752.13	
- बेडरोल एवं सफाई सेवा प्रभार	0.75		3.95	
(ख)	**587.11**		**778.54**	
इंटरनेट टिकटिंग				
- रख–रखाव एवं अन्य प्रभार	943.39		1,243.69	
- लोयल्टी कार्ड जारी करने में खर्च	121.15		37.84	
- ईंधन	108.12		563.74	
(ग)	**1,172.66**		**1,845.27**	
		2,629.34		**3,297.18**
नोटः 27				
कर्मचारी हित खर्च				
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	9,727.89		11,283.39	
भविष्य एवं अन्य निधियों में योगदान	917.82		1,212.51	
उपादान	174.60		309.45	
कर्मचारी कल्याण खर्च	51.90		70.56	
	10,872.21		**12,875.91**	
घटाएं : रुके हुए प्रचालनों को आबंटित करना	194.56		2,012.45	
	10,677.65		**10,863.46**	
		10,677.65		**10,863.46**
नोट नं. 36 भी देखें				
नोटः 28				
वित्तीय लागत				
ब्याज पर खर्च	4.94		32.86	
	4.94		32.86	
		4.94		32.86

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

	राशि (₹ लाख में) 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		राशि (₹ लाख में) 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
नोटः 29				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन				
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	1,285.26		1,180.59	
अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	188.52		234.60	
	1,473.78		**1,415.19**	
घटाएं : विभिन्न परिचालन को आबंटित राशि	18.79		186.46	
	1,454.99		**1,228.73**	
		1,454.99		**1,228.73**
नोटः 30				
अन्य खर्च				
बिजली एवं पानी	149.23		152.20	
दफ्तर का किराया	795.84		636.54	
शुल्क दर एवं कर्ज	36.69		32.87	
मरम्मत एवं अन्य	266.20		259.83	
बीमा	45.72		33.56	
यात्रा खर्च	567.06		565.17	
निदेशक बैठक खर्च	1.70		-	
लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान				
लेखा परीक्षा के रूप में				
लेखा परीक्षा शुल्क	3.26		2.87	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	1.63		1.44	
अन्य सेवाएं	1.16		0.77	
खर्च की प्रतिपूर्ति	2.43		5.54	
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	289.74		130.85	
ग्राहक संतुष्टी सर्वेक्षण खर्च	23.58		14.24	
जावक माल भाड़ा एवं सीएफए प्रभार	945.06		598.63	
दीर्घकालीन निवेश के मूल्य के अवमूल्यन के लिए व्यवस्था	-		250.00	
संदिग्ध ऋणों और अंग्रिमों के लिए व्यवस्था	19.59		9.56	
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी	182.36		225.00	
पूर्व अवधि खर्चे	15.98		-	
विविध खर्चे	1,897.99		1,921.48	
	5,245.22		**4,840.55**	
घटाएं : विच्छिन्न परचालनों को आबंटित राशि	142.80		1,251.90	
	5,102.42		**3,588.65**	
कुल		**5,102.42**		**3,588.65**
नोटः 31				
आपवादिक मदें*				
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	164.08		-	
	164.08		**-**	
		164.08		**-**

* आपवादिक मदें आमतौर पर लाभ एवं हानि के भीतर आय व्यय की अनावर्ती मदें होती हैं जो ऐसे आकार, प्रकृति या ऐसी घटना के कारण हुई होती हैं जिन्हें कंपनी के संबंध में वर्ष के दौरान हुए निष्पादन को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करना होता है।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

		राशि (₹ लाख में) 31.03.2012 को समाप्त वर्ष		राशि (₹ लाख में) 31.03.2011 को समाप्त वर्ष	
नोटः 32					
विच्छिन्न परिचालनों से लाभ/हानि					
लाइसेंसी खानपान सेवाएं					
राजस्व					
खानपान एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं से हुई आय					
ऑन बोर्ड – खानपान सेवाओं से हुई आय– राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियां		76.62		13,109.61	
बेडरोल की धुलाई से आय		231.91		1,235.28	
	(क)	**308.53**		**14,344.89**	
कंसेशन शुल्क, लाईसेन्स शुल्क इत्यादि से प्राप्त आय					
कंसेशन शुल्क से आय		-		2,664.88	
लाइसेन्स शुल्क से आय		798.79		12,657.92	
	(ख)	**798.79**		**15,322.80**	
अविछिन्न परिचालन से कुल राजस्व	(क+ख)	**1,107.32**		**29,667.69**	
खर्च					
प्रदान की गई खानपान एवं विस्तृत सेवा के प्रभार पर खर्च					
ऑन बोर्ड– खानपान सेवाओं से हुई आय– राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियां		76.62		13,109.61	
सेवा प्रभार– बेडरोल एवं धुलाई		231.91		1,235.28	
वैट खर्च		-		773.81	
	(क)	**308.53**		**15,118.70**	
कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क से आय					
कंसेशन शुल्क		-		399.73	
लाइसेन्स शुल्क		300.46		2,369.48	
ढुलाई प्रभार		-		912.00	
	(ख)	**300.46**		**3,681.21**	
प्रत्यक्ष खर्च (आबंटित)					
कर्मचारी लाभ खर्च		194.56		2,012.45	
मूल्यह्रास का खर्च		18.79		186.46	
अन्य खर्च		142.80		1,251.90	
	(ग)	**356.15**		**3,450.81**	
अविछिन्न परिचालन से कुल राजस्व	(क+ख+ग)	**965.14**		**22,250.72**	
अविछिन्न परिचालन का कर–खर्च			**142.18**		**7,416.97**
अविछिन्न परिचालन से लाभ (हानि)		**46.13**		**2,463.73**	
			46.13		**2,463.73**

दिनांक 21 जुलाई 2010 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35/2010 के अनुसार रेल मंत्रालय के निर्णय के अनुसरण में आईआरसीटीसी का लाइसेंस खानपान कारोबार भारतीय रेल को अंतरित कर दिया गया है। खानपान कारोबार से जुड़ी किसी परिसंपति/दायिता रेलवे को नहीं सौंपी गई है। इस मद से प्राप्त होने वाले राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय कमी आई है। तद्नुसार, इस मद के राजस्व को विछिन्न परिचालन माना गया है।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

नोटः 33 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

33.1: प्रावधान :

लेखाकरण मानक (ले.मान.29) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसरण मे, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में किए गए प्रावधान संबंधित प्रकटीकरण।

(₹ लाख में)

विवरण	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण		छुट्टी के बदले नकद भुगतान		उपदान (सेवा निवृत्ति लाभ) के		पेंशन के लिए प्रावधान		पेंशन के लिए प्रावधान	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
अथ शेष	77.90	67.13	759.79	567.81	(164.23)	249.67	527.97	284.17	373.29	–
परिवर्धन	19.58	10.77	127.52	284.73	174.60	309.46	296.78	243.80	3.41	373.29
उपयोग/ योगदान	(10.34)	–	(86.12)	(92.75)	(169.59)	(723.36)	–	–	(86.19)	–
रिवर्सल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इति शेष	**87.14**	**77.90**	**801.19**	**759.79**	**(159.22)**	**(164.23)**	**824.75**	**527.97**	**290.51**	**373.29**

टिप्पणी

(i) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान, प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत्त लाभ के लिए प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(iii) पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचने के लिए मानिद प्रतिनियुक्ति का विकल्प लेने वालों के लिए प्रावधान किया गया है। ताकि, आईआरसीटीसी रेलवे के बीच पेंशन के अंतर का 100 प्रतिशत परिवर्तन पूरी तरह एक ही बार में निपटान हो सकें।

33.2 आकस्मिक देयताएं

अपीलीय/न्यायिक निर्णय के तहत कंपनी के विरूद्ध लंबित दावे।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क.	आयकर	–	38.12
ख.	वैट	21.49	21.49
ग.	कर्मचारी अदालती मामले – दक्षिण मध्य जोन	9.20	9.20
घ.	सेवाकर – दक्षिण जोन	569.30	–
	जोड़	**599.99**	**68.81**

कॉरपोरेशन के विरुद्ध किया गया दावा ऋण के रूप में नहीं माना गया।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क.	सेवाकर	427.28	427.28
ख.	पूर्व रेलवे को किराया	–	5.11
ग.	अन्य	8.05	1.90
	जोड़	**435.33**	**434.29**

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

33.3: 10.12.2008 को किए गए संयुक्त उपक्रम समझौते के कारण रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) का गठन कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था, जिसमें आईआरसीटीसी एंव कॉक्स एंड किंग्स इसके शेयरधारी थे।

आईआरसीटीसी द्वारा 23 सवारी डिब्बों वाली एक लग्ज़री रेल गाड़ी का गठन किया गया था और उसका वित्तपोषण भी किया गया था, जिसे तदर्थ आधार पर परिचालित करने के लिए रॉयल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को सौंपा गया था और इसका नाम महाराजा एक्सप्रेस रखा गया था। यह गाड़ी मार्च 2010 से अप्रैल 2011 तक चलाई गयी थी। इस अवधि के दौरान यह देखा गया कि गाड़ी परिचालन से संबंधित पक्षों के बीच विभिन्न समझौतों को अंतिम रूप नहीं देने दिया गया, जिसमें गाड़ी के लिए लीज़ समझौता और भारतीय रेल के बीच समझौता ज्ञापन भी शामिल था। इसके अलावा देय कर्षण प्रभार आदि का भी भुगतान नहीं किया गया। अंततोगत्वा, आईआरसीटीसी ने 12.08.2011 को कॉक्स एंड किंग्स के साथ समझौते को समाप्त कर दिया और इस गाड़ी को भी वापस ले लिया।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायलय में एक याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायलय की खंड पीठ द्वारा आईआरसीटीसी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कॉक्स एंड किंग्स ने उच्चतम न्यायलय की शरण ली। इस मामले पर उच्चतम न्यायलय ने आईआरसीटीसी के पक्ष में निर्णय दिया, साथ ही यह टिप्पणी भी दी कि दोनों पक्ष अपने विवादों को सुलझाने के लिए पंचाट अधिकरण की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। पंचाट अधिकरण के समक्ष कॉक्स एंड किंग्स की प्रार्थना संयुक्त उपक्रम समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए है।

कंपनी के पास उपलब्ध कानूनी राय और संयुक्त उपक्रम समझौते के समाप्त होने के मद्देनज़र आईआरसीटीसी का यह मानना है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड मांगी गई राहत के सम्बन्ध में पंचाट का लाभ नहीं उठा सकती, अतः आईआरसीटीसी कॉक्स एंड किंग्स के इस दावे को नहीं मानती कि संयुक्त उपक्रम समझौते और परिणामतः वित्तीय प्रभाव को फिर से शुरू किया जाए जो कि इस समय आंका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 397 और 398 के अंतर्गत कॉक्स एंड किंग्स तथा इसके अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।

नोट सं. 34 :

पूंजीगत वचनबद्धता

पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि और जिनकी व्यवस्था नहीं की गई थी। 982.71 राशि लाख रूपए है जबकि पिछले वर्ष यह राशि 192.31 लाख रूपए थी।

नोट सं. 35 :

प्रबंधन के विचार से चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यवसाय सामान्य तौर पर चलता है तो उस राशि से कम नहीं होगा जो तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। बहरहाल, रेलवे व्यवसाय से प्राप्त होने वाली राशियां और व्यवसाय से देय राशियां, जैसी कि तुलन–पत्र में दर्शायी गई हैं, पुष्टिकरण के अध्ययधीन हैं।

नोट सं. 36.

कर्मचारियों के लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण

1. **उपदान** : उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से अलहदगी पर देय। 10 लाख रु. की उपदान की उच्चतम सीमा के संबंध में बीमांककात्मक मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है।

2. **छुट्टियों का नकदीकरण** : उन पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्जित छुट्टी एकत्र की है, अलहदगी पर देय। छुट्टी का वेतन मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है, जैसाकि तुलन–पत्र तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बनाया जाता है।

3. **भविष्य निधि** : कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12 प्रतिशत और कॉरपोरेशन का समान अंशदान का लेखा जोखा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है जो भविष्य निधि के लिए दिया जाता है। भविष्य निधि के लिए कॉरपोरेशन का अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

4. **इतर सेवा अंशदान :** सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉरपोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए देय इतर सेवा अंशदान प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित बाध्यताओं के संबंध में ''कर्मचारी हित'' पर लेखाकरण मानक (ले.मा.)–15 (संशोधित) अंतर्गत यथा अपेक्षित, अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :

(क) बीमांकात्मक मान्यताएं

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	8.00 प्रतिशत	8.00 प्रतिशत
(ii)	मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (1994-96) विधिवत	विधिवत आशोधित एलआईसी (1994-96)
(iii)	निकासी दरें (प्रति वर्ष)		
	30 वर्ष तक	3	3
	31 से 44 वर्ष तक	2	2
	44 वर्ष से ऊपर	1	1
(iv)	प्लान आस्तियों पर प्रति–लाभ की अनुमानित दर	0	0
(v)	बीमाकात्मक मूल्यांकन में विचार की गई भावी देयता वृद्धियों के अनुमान में, मुद्रा–स्फीति दर, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को लेखे में लिया जाता है।		

(ख) बीमांकान विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकन विधि का प्रयोग सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु और निकासी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सर्विस में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

(ग) प्लान परिसंपत्तियां

(i) प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिर्वतन

(₹ लाख में)

		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31/03/2012	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2011
क)	अवधि के प्रारंभ में प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	715.47	–	–	–
ख)	अर्जन समायोजन	–	–	–	–
ग)	प्लान परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	57.39	–	–	–
घ)	अंशदान	169.59	723.36	86.12	92.75
ङ)	प्रदत्त लाभ	(8.99)	(8.06)	(86.12)	(92.75)
च)	प्लान परिसंपत्तियों पर बीमांकात्मक लाभ/हानि	3.17	0.17	–	–
छ)	अवधि के अन्त में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	936.63	715.47	–	–

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

(ii) प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य

(₹ लाख में)

		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31/03/2012	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2011
क)	अवधि के प्रारंभ में प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	715.47	–	–	–
ख)	अर्जन समायोजन	–	–	–	–
ग)	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	60.56	0.17	–	–
घ)	योगदान	169.59	723.36	86.12	92.75
ङ)	प्रदत्त लाभ	(8.99)	(8.06)	(86.12)	(92.75)
च)	अवधि के अंत में प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	936.63	715.47	–	–
छ)	वित्त पोषित स्थिति अधिशेष/(हानि)	159.22	164.23	(801.19)	(759.79)
ज)	प्लान संपत्तियों पर अनुमानित लाभ पर वास्तविक से अधिक	–	–	–	–

(घ) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
(i)	1 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपित लाभ बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	551.24	759.79
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	163.04	78.73
(iii)	ब्याज लागत	43.74	57.34
(iv)	बीमांककात्मक लाभ (+) हानि (–)	28.38	(8.54)
(v)	पिछली सेवा लागत		
(vi)	उठाए गए लाभ	8.99	86.12
(vii)	31 मार्च, 2012 (i+ii+iii+iv-v-vi) को प्रक्षेपित लाभ बाध्यताओं वर्तमान मूल्य **(तुलन पत्र में स्वीकृत रकम)**	777.41	801.19

(ङ) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
(i)	अवधि की शुरुआत में स्वीकृत शुद्ध परिसंपत्ति (देयता)	164.23	(759.79)
(ii)	नियोजक खर्च	(174.6)	(127.52)
(iii)	नियोजक का योगदान	169.59	86.12
(iv)	अधिग्रहणी विग्रहण	–	–
(v)	अवधि के अंत में स्वीकृत शुद्ध परिसंपत्ति (देयता) **(तुलन पत्र में स्वीकृत रकम)**	159.22	(801.19)

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

(च) 31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय : (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
(i)	वर्तमान सेवा लागत	163.04	164.06	78.73	90.50
(ii)	ब्याज लागत	43.74	19.65	57.34	41.71
(iii)	बीमांककात्मक लाभ (–) हानि (+)	25.21	125.74	(8.54)	152.52
(iv)	पिछली सेवा लागत	–	–	–	–
(v)	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	(57.39)	–	–	–
(vi)	प्रदत्त लाभ	8.99	8.06	86.12	92.75
(vii)	जोड़ (i+ii+iii+iv-v-vi)	165.61	301.39	41.41	191.98
(viii)	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	–	–	–	–
	लाभ व हानि लेखा में प्रभारित	165.61	301.39	41.41	191.98
(ix)	प्लान परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	–	–	–	–

(छ) एक ट्रस्ट (एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

नोट सं. 37 :

0.06 लाख (पिछले वर्ष 0.06 लाख) रुपये मूल्य के उपकरण एवं संयंत्र जिनकी गणना 1 रुपये प्रति मद के रूप में की गई है, वे कंपनी के पास हैं।

नोट सं. 38 :

वर्ष 2011–2012 के दौरान, विभिन्न जोनल रेलों के साथ भागीदारी, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित किए गए दिनांक 17.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार की गई है।

नोट सं. 39 :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक–18 ''संबंधित पार्टी प्रकटन'' के अनुसार, संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए है :–

संबंध का स्वरूप	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रायल इंडिया रेल टुअर लिमिटेड
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	(i) श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक (ii) डॉ. नलिन सिंघल, निदेशक (टीएण्डएम) (iii) विनोद अस्थाना, निदेशक (सीएस) (iv) श्री वी.आर. गुप्त, निदेशक (वित्त)

लेखाकरण मानक में यथा परिभाषित कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वर्ष के दौरान लेन–देन का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	लेन–देन का स्वरूप	संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
		31.3.2012 को	31.3.2011 को	31.3.2012 को	31.3.2011 को
(i)	निवेश	250	250.00		–
(ii)	निवेश में ह्रास का प्रावधन	250	250.00		–
(iii)	अग्रिम लीज़ किराया	1740.69	1788.27		–
(iv)	लीज़ किराया प्राप्य	269.08	196.65		–
(v)	फुटकर ऋण दाता	(1384.23)	(108.38)		–
(vi)	लीज़ किराया प्राप्य	119.19	320.36		–
(vii)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	98.14	108.51

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

आईआइसीटीसी के शेयर के निवेश अर्थात् रु. 250.00 लाख के लिए निवेश में ह्रास का प्रावधान किया गया है, क्योंकि आरआईआरटीएल की संचयी हानि से इसका शुद्ध मूल्य समाप्त हो गया है। इसके अलावा, आरआईआरटीएल के साथ लीज़ एग्रीमेंट होने तक, मैसर्स कॉक्स एण्ड किंग्स (इंडिया) लि. के साथ संयुक्त उपक्रम करार और समझौते के ज्ञापन के आधार पर, जो अब समाप्त हो चुका है, 119.19 लाख रूपए की लीज़ किराया आय स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, मैसर्स कॉक्स एण्ड किंग्स इंडिया लि. के साथ विवाद के चलते आरआईआरटीएल के 2010–11 और 2011–12 के तुलन पत्रों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

टिप्पणी सं. 40 संयुक्त उपक्रमों में अभिरूचि की वित्तीय रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक–27–''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार, भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी में स्वामित्व हित का कंपनी का शेयर, परिसंपत्तियाँ, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं, पूंजी प्रतिबद्धताएं नीचे दी गई हैं जो आरआईआरटीएल के लिए वर्ष 2011–12 के अनअंकेक्षित अंतरिम परिणामों के आधार पर हैं।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित का प्रतिशत	परिसंपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
1.	रॉयल इंडिया रेल टुअर लिमिटेड	50 प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मैसर्ज कॉक्स एंड किंग्स के साथ विवाद के चलते, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट सं. 41 : परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ले.मा.28)–''परिसंपत्तियों की हानि'' के अनुसरण में, कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2012 को कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की रखरखाव रकम में हानि के किसी संकेत के लिए एक आकलन किया। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

नोट सं. 42 : आय पर कर की गणना

लेखाकरण मानककरण (ए एस 22) के अनुसार – भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आय पर की गई गणना के लिए, समय के अंतर के कारण होने वाले आस्थगित कर के कारण कर योग्य आय और लेखांकित आय में अंतर के फलस्वरूप 2531.49 लाख रूपए का आस्थगित कर परिसंपत्ति हुई है और अधिक बुद्धिमतापरक नीति को देखते हुए प्रबंधन ने आस्थगित कर को स्वीकृति न देने का निर्णय लिया है। इस परिसंपति की उगाही के संबंध में प्रबंधन निश्चित नहीं है तथा पिछले वर्ष के आस्थगित कर को भी समायोजित किया गया है।

नोट सं. 43 :

लाइसेंसधारक द्वारा प्रबंधित अचल केटरिंग स्टालों जिन्हें रेलों द्वारा ठेके पर दिया गया था, को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया गया था। रेल मंत्रालय के निदेश के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अचल केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों को 1 नवम्बर, 2006 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए सूचित किया है। बहरहाल, आईआरसीटीसी और केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों के बीच उनके संबंध में कोई लिखित संविदा मौजूद नहीं है।

यह देखा गया है कि बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर लाइसेंस फीस के निर्धारण को चुनौती देने न्यायालय चले गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लाइसेंसधारकों से वसूल की जाने वाली रकम के निर्धारण के संबंध में अनिश्चितताएं हैं। भारतीय रेल द्वारा निर्धारित पुरानी लाइसेंस या लाइसेंसी से वास्तव में प्राप्त राशि, जो भी अधिक हो के आधार पर कॉरपोरेशन ने ऐसे लाइसेंसधारक केटरिंग स्टालों के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस–9) के अनुसार आय माना है।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

नोट सं. 44 :

रेलनीर संयंत्रों के अलावा रेल भूमि पर स्थित परिसरों पर सिविल कार्य पर उठाए गए खर्च को पट्टाधृति सुधार के रूप में लेखा में दिया गया है और 10 वर्ष की अवधि से अधिक तक मूल्यह्रासित किया गया है।

नोट सं. 45 :

आईआरसीटीसी ने नांगलोई और दानापुर रेलनीर संयंत्र की स्थापना के लिए पट्टे के आधार पर रेलवे से भूमि ली है, जिसके लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पट्टा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे की नीति के अनुसार पट्टे की अधिकतम अवधि 35 वर्ष की हो सकती है, जिसका 35 वर्ष की अवधि से आगे नवीकरण किया जा सकता है। नांगलोई और दानापुर में रेलनीर संयंत्रों के भवनों पर मूल्यह्रास निरन्तर अपनाई जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी लाइन पर प्रदान किया गया है। आईआरसीटीसी ने दी गई ऐसी भूमि की अधिकतम पट्टा अवधि की पुष्टि करने के लिए संबंधित रेलवे को लिखा है, जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

नोट सं. 46 :

रेल मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2006 के पत्र सं.2006/एलएमबी/09/03 के द्वारा निर्देश दिया है कि केटरिंग तथा वेंडिंग यूनिटों के लिए जल प्रभारों का भुगतान आईआरसीटीसी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। ऐसी इकाई जिसके लिए क्षेत्रीय रेल से बिल प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए विभागीय खानपान इकाई के लिए जलप्रभार टर्न ओवर पर @ 0.1 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। उन विभागीय केटरिंग यूनिटों के लिए बिजली प्रभारों के लिए प्रावधान, जहां बिल संबंधित रेलों से प्राप्त नहीं हुए हैं, वहां इसकी व्यवस्था टर्नओवर के 2.5 प्रतिशत के आधार पर की जा रही है।

नोट सं. 47 :

कॉरपोरेशन ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में व्यक्त किया है। खंड की पहचान प्रदान की गयी सेवाओं के स्वरूप, संगठन के ढाँचे और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई है।

कॉरपोरेशन के परिचालन मुख्य रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था करने से संबंधित है :

- लाइसेंसधारक खानपान
- विभागीय खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन
- इंटरनेट टिकटिंग

कॉरपोरेशन मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों को अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, जैसाकि प्रमुख लेखाकरण नीतियों की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व तथा प्रत्यक्ष व्ययों को उन मदों के आधार पर आबंटित किया जाता है जिनकी अलग–अलग रूप से संबंधित होने की पहचान की जा सकती है, जबकि लागतों के तकाजों को आबंटित न किए गए व्ययों के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। प्रबंधन का यह मानना है कि इन व्ययों का खंड प्रकटीकरण उपलब्ध करना व्यावहारिक नहीं है, और तदनुसार इन व्ययों को अनाबंटित रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा इन्हें केवल कॉरपोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इन अनाबंटित व्ययों की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

संविदागत परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी अपनी पहचान पर आधारित विभिन्न खंडों में आबंटित किया जाता है। कॉरपोरेट/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों को उपयोग के आधार पर नियतन किया गया है और वे आस्तियाँ/देयताएं जिन्हें खंडवार सूचना में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अनाबंटित आस्तियों/देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुल आस्तियों/देयताओं में इन अनाबंटनीय आस्तियों/देयताओं की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार सूचना

(₹ लाख में)

विवरण	लाइसेंसी खानपान		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन		विभागीय खानपान		जोड़	
	2011-12	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**
राजस्व												
आय	2,806.57	30,390.90	11.34	16.49	16,064.43	14,292.46	9,588.65	6,228.19	138.54	145.12	28,609.53	51,073.16
बिक्री (उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर छोड़कर)			4,503.26	2,379.39					19,625.08	19,712.82	24,128.34	22,092.21
अंतर–खंडवार बिक्री			1,304.51	1,936.31							1,304.51	1,936.31
रेलयात्री निवास और रेलवे होटल							306.76	475.74			306.76	475.74
बिक्री / आय (बेडरोल एवं सफाई)	231.91	1,235.27							-	-	231.91	1,235.27
कुल राजस्व	**3,038.48**	**31,626.17**	**4,514.60**	**2,395.88**	**16,064.43**	**14,292.46**	**9,895.41**	**6,703.93**	**19,763.62**	**19,857.94**	**53,276.54**	**74,876.38**
खंडवार परिणाम	**975.98**	**7,888.60**	**(79.39)**	**272.56**	**11,104.44**	**9,414.83**	**(1,082.61)**	**(621.90)**	**(5,353.31)**	**(5,546.84)**	**5,565.11**	**11,407.25**
अनाबंटित कॉरपोरेट आय												
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च												
संचालन लाभ	**975.98**	**7,888.60**	**(79.39)**	**272.56**	**11,104.44**	**9,414.83**	**(1,082.61)**	**(621.90)**	**(5,353.31)**	**(5,546.84)**	**5,565.11**	**11,407.25**
ब्याज आय			-	-							2,134.77	1,616.46
आयकर (आस्थगित कर / एफबीटी शामिल)											2,800.00	6,900.33
साधारण कार्य–कलापों से लाभ	**975.98**	**7,888.60**	**(79.39)**	**272.56**	**11,104.44**	**9,414.83**	**(1,082.61)**	**(621.90)**	**(5,353.31)**	**(5,546.84)**	**4,899.88**	**6,123.38**
पूर्व अवधि लाभ (–) / व्यय	15.98	-									15.98	-
बट्टे खाते डाले गए अथवा प्रावधान किए गए अशोध्य एवं संदिग्ध श्रण	16.92	9.56	2.22	-	0.45	-					19.59	9.56
बेची गई परिसंपत्तियों पर हानि	1.33	4.86	0.17	0.04	2.60	0.39			6.48	-	10.58	5.29
ब्याज खर्च											-	29.90
शुद्ध लाभ	941.75	7,874.18	(81.78)	272.52	11,101.39	9,414.44	(1,082.61)	(621.90)	(5,359.79)	(5,546.84)	4,853.73	6,078.63
अन्य सूचना												
खंडवार परिसंपत्तियां	50,092.98	53,009.00	4,322.58	2,576.34	21,977.59	9,901.07	4,443.33	5,303.15	(6,015.16)	(5,160.65)	74,821.32	65,628.91
अनाबंटित कॉरपोरेट परिसंपत्तियां											2,885.49	5,150.18
कुल परिसंपत्तियां	**50,092.98**	**53,009.00**	**4,322.58**	**2,576.34**	**21,977.59**	**9,901.07**	**4,443.33**	**5,303.15**	**(6,015.16)**	**(5,160.65)**	**77,706.81**	**70,779.09**
खंडवार देयताएं	40,436.85	40,587.09	808.07	511.16	3,615.54	3,898.54	770.97	601.54	3,770.64	3,438.00	49,402.07	49,036.33
अनाबंटित कॉरपोरेट देयताएं											3,634.57	601.72
कुल देयताएं	**40,436.85**	**40,587.09**	**808.07**	**511.16**	**3,615.54**	**3,898.54**	**770.97**	**601.54**	**3,770.64**	**3,438.00**	**53,036.64**	**49,638.05**
पूंजीगत खर्च	-	256.50	1,933.29	44.79	535.38	283.01	282.25	-	563.72	340.14	3,314.64	924.44
अनाबंटित कॉरपोरेट पूंजीगत खर्च											1,121.41	-
कुल कॉरपोरेट खर्च	**-**	**256.50**	**1,933.29**	**44.79**	**535.38**	**283.01**	**14.37**	**14.37**	**563.72**	**340.14**	**4,436.05**	**924.44**
मूल्यह्रास	40.61	196.11	305.90	197.12	527.44	557.97	335.71	340.86	264.12	123.13	1,473.78	1,415.19
अनाबंटित कॉरपोरेट मूल्यह्रास											-	-
कुल मूल्यह्रास	**40.61**	**196.11**	**305.90**	**197.12**	**527.44**	**557.97**	**335.71**	**340.86**	**264.12**	**123.13**	**1,473.78**	**1,415.19**

टिप्पणी: 1. विभागीय केटरिंग में गैर–रेलवे खानपान शामिल हैं।

2. अंतर खण्डवार बिक्रियों को कुल राजस्व में नही लिया गया है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची 4 के सदर्भ में विगत वर्ष के आंकड़ों को, यथा आवश्यक, पुर्नव्यवस्थित / पुर्नवर्गीकृत और पुर्ननिर्धारित किया गया है, ताकि उनका वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से मिलान किया जा सके।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

नोट सं. 48 : प्रतिशेयर पर आय

प्रतिशेयर पर आय

प्रतिशेयर आय (मूल और कम की गई) के परिकलन के लिए माने गए घटक निम्नलिखितानुसार हैंः–

	2011-12	2010-11
गणक (न्युमरेटर) के रूप में प्रयुक्त शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	4853.73	6078.63
हर (डिनोमिनेटर) के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयर की (संख्या लाख में)	200	200
प्रतिशेयर आय–मूल (₹ में)	24.27	30.39
प्रतिशेयर आय–कम की गई (₹ में)	24.27	30.39
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

नोट सं. 49 :

आईआरसीटीसी द्वारा परिचालित गाड़ी महाराजा एक्सप्रेस को कॉक्स एंड किंग्स से टिकट रद्दीकरण के रूप में 2.19 करोड़ रूपए प्राप्त करने हैं जिसे मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ विवाद के चलते आय के रूप में नहीं माना गया है।

नोट सं. 50 : लाभांश

वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने 4 करोड़ रुपए (2 रुपए प्रतिशेयर, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रतिशेयर) के लाभांश का भुगतान किया है। निदेशक मंडल ने अंतिम सिफारिश के रूप में 5.71 करोड़ रुपए (2.85 रुपए प्रतिशेयर, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रतिशेयर) के लाभांश की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अंतरिम लाभांश सहित कुल लाभांश 11.25 करोड़ रुपए है। (इसमें 1.54 करोड़ रुपए का लाभांश वितरण कर है।) प्रतिशेयर 5.63 रुपए (अंकित मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर) है।

नोट सं. 51 :

निम्नलिखित के संबंध में वर्ष 2011–12 के लिए कंपनी द्वारा सी आई एफ आधार पर आकलित आयात का मूल्य

(₹ लाख में)

कच्चा माल	-
कल–पुर्जे एवं अतिरिक्त पुर्जे	-
पूंजीगत माल	1,45,901 यूरो

नोट सं. 52 : विदेशी मुद्रा पर व्यय

विदेशी मुद्रा पर व्यय (₹ लाख में)

व्यय के प्रकार	**2011-12**	**2010-11**
निदेशकों का विदेशी यात्रा पर व्यय	11.87	7.85
विदेशी यात्रा पर व्यय–अन्य	32.36	17.37
कुल	**44.23**	**25.22**

नोट सं. 53 : विदेशी विनिमय से अर्जन

निम्न के संबंध में वर्ष 2011–12 के लिए विदेशी विनिमय से अर्जन (₹ लाख में)

एफ ओ बी आधार पर निर्यात किए गए माल की गणना	-
रॉयल्टी, संबंधित जानकारी (नो–हाऊ), व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	-
ब्याज और लाभांश	-
अन्य आय	1252.82

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

नोट सं. 54 :

निम्नलिखित के संबंध में करार अभी निष्पादित किए जाने हैं :

(क) बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 7वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय परिसर।

निम्नलिखित मामलों में लीज़ समाप्त हो गई है और उनका नवीकरण किया जाना है:–

(क) पटना में 2300 वर्ग फुट कार्यालय स्थान की लीज़ 31.03.2008 को समाप्त हो गई है।

नोट सं. 55 :

रेल मंत्रालय ने दिनांक 21.07.2010 के पत्र सं. 2009/टीजी–III/600/25 के अनुसार खानपान नीति–2010 जारी की है जो निम्नानुसार है :

(i) रेलवे सभी चल खानपान सेवाओं जिसमें बेस किचन भी शामिल है, का प्रबंधन क्रमिक रूप से और विभागीय खानपान को चरणबद्ध तरीके से लेगी।

(ii) इस नीति के अनुसार आईआरसीटीसी पर मुख्यतः फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, फास्ट फूड इकाइयों को चलाने का दायित्व रहेगा।

उक्त नीति के अनुसरण में अधिकांश लाइसेन्सी खानपान व्यापार स्थानांतरित कर दिया गया है अतः इस प्रकार के व्यवसाय से आय को उसी तारीख तक ही दिखाया गया है जिस तारीख तक वे रेलवे को सौंपे गए हैं।

नोट सं. 56 :

कंपनी अधिनियम, 1956 के अतर्गत संशोधित अनुसूची VI की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संशोधित अनुसूची VI अनुसार तैयार किया गया है। तद्नुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं जरूरी था। चालू वर्ष के आंकड़ों के समतुल्य बनाने के लिए पुनःव्यवस्थित/पूनर्समूहित और पुनः सृजित किया गया है।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
रवि भारद्वाज	**राकेश कुमार टंडन**	**नलिन सिंघल**	**संजीव कुमार**	**नीरज कुमार अग्रवाल**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (टी एंड एम)**	**समूह महाप्रबंधक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**
एम नं. 080656				

फर्म रजि. सं. 003884एन
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2012

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा विभाग
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षक, रेलवे-वाणिज्यिक का कार्यालय
काफमो, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
RLY-COMMERCIAL,
COFMOW, INDIAN RAILWAYS, TILAK BRIDGE, NEW DELHI-110002

सं. पीडीए/आर–सी/पीएसयू/आईआरसीटीसी/2011–12/336 **दिनांक 26.09.2012**

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
9वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

विषय : **31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2012 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(5) के अनुपालन में कंपनी के लेखों के साथ टिप्पणियां कम्पनी के लेखों सहित आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की जाएं वार्षिक रिपोर्ट एवं आंकड़ों की छह मुद्रित प्रतियां यथा शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय

हस्ता/-
(दिव्या मल्होत्रा)
महानिदेशक,
रेलवे वाणिज्य

संलग्नः यथोक्त

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधान की जिम्मेवारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 29.08.2012 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंम्भिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत मैं निम्नलिखित मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध
पैराग्राफ viii - लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की आवश्यकता

कंपनी की पेयजल की तीन प्रोसेसिंग यूनिटें हैं। वर्ष 2010–11 में कंपनी ने कुल 20 करोड़ से अधिक का कारोबार किया। अतः कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा 3 जून 2011 को अधिसूचित अधिसूचना सं. जी.एस.आर.सं. 429 (इ) के अुनसार कंपनी लागत लेखा रिकार्ड नियम 2011 की व्यवस्थाओं के अनुसार यह आवश्यक था कि लागत लेखों को रखा जाए।

बहरहाल, कंपनी ने लागत रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया। सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी के शेयर होल्डरों के लिए अपनी रिपोर्ट में उक्त नियमों के अनुपालन न किए जाने की सूचना देने में विफल रहे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
(दिव्या मल्होत्रा)
महानिदेशक,
रेलवे वाणिज्य

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26.09.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत आईआरसीटीसी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

दिनांक 26.09.2012 का सीएजी लेखा प्रमाणपत्र	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी की पेयजल की तीन प्रोसेसिंग यूनिटें हैं। वर्ष 2010–11 में कंपनी ने कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया। अतः कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा 3 जून 2011 को अधिसूचित अधिसूचना सं. जी.एस.आर.सं. 429 (इ) के अुनसार कंपनी लागत लेखा रिकार्ड नियम 2011 की व्यवस्थाओं के अनुसार यह आवश्यक था कि लागत लेखों को रखा जाए। बहरहाल, कंपनी ने लागत रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया। सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी के शेयर होल्डरों के लिए अपनी रिपोर्ट में उक्त नियमों के अनुपालन न किए जाने की सूचना देने में विफल रहे।	कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेशन को लागत रिकार्ड के रखरखाव के लिए कोई विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के अध्याय 22 के अंतर्गत मिनरल पानी पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट के तहत आता है। वर्ष 2012–13 से इस उत्पाद की लागत लेखा परीक्षा की जानी है, परंतु लागत लेखा नियम 2011 के अनुरक्षण के अनुसार यह वित्त वर्ष 2011–12 से लागू है। कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2009–10 से सीएजी के साथ तीन चरण वाली लेखा परीक्षा प्रणाली को चुना है ताकि दूसरे चरण में की गई लेखा परीक्षा में सीएजी की टिप्पणियों पर तीसरे चरण में की जाने वाली लेखा परीक्षा में उनका अनुपालन किया जा सके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सांविधिक लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा टीम ने अपने पहले और दूसरे चरण की रिपोर्टों में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि लागत लेखा रिकार्ड नियमों के अनुरक्षण का अनुपालन किया जाना था। बहरहाल, वित्त वर्ष 2012–13 के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का कार्य चल रहा है और उसके लिए सभी आवश्यक अनुपालन किए जा रहे हैं।

	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
स्थान : नई दिल्ली	**राकेश कुमार टंडन**	**नलिन सिंघल**	**संजीव कुमार**
दिनांकः 27 सितम्बर, 2012	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (टी एंड एम)**	**समूह महाप्रबंधक (वित्त)**

दस वर्ष की वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2002 - 2003	2003 - 2004	2004 - 2005	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	2008 - 2009	2009 - 2010	2010-2011	2011-2012
1	कुल आय (अन्य आय सहित)	73.61	69.59	127.09	267.98	433.54	527.66	618.77	721.97	764.93	554.11
2	व्यय (स्टाक में वृद्धि/कमी सहित)	63.57	60.14	115.55	232.96	398.22	486.12	536.68	614.63	620.69	462.83
3	परिचालनिक मार्जिन	10.04	9.45	11.54	35.02	35.32	41.54	82.09	107.34	144.24	91.28
4	ब्याज खर्च	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.30	0.00
5	मूल्यह्रास	0.90	3.03	3.61	3.39	5.32	8.28	10.10	12.55	14.15	14.74
6	कर पूर्व लाभ	9.14	6.42	7.93	31.63	30.00	33.26	73.85	94.76	129.79	76.54
7	कर बाद लाभ	5.55	4.12	5.21	19.78	20.23	20.75	46.50	63.05	60.79	48.54
8	लाभांश	1.20	1.00	1.00	4.00	4.00	4.15	9.31	12.61	12.16	9.71
9	इतर परियोजनाएं आरक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सामान्य आरक्षित	2.50	2.50	2.50	14.00	12.00	16.00	35.00	45.00	45.00	35.00
11	अन्य आरक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	0.00
12	आरक्षित एवं सरप्लस	5.02	8.01	12.10	27.32	42.96	58.85	94.46	142.76	191.41	226.70
13	शुद्ध नियत परिसंपत्ति (ग्रास ब्लाक)	4.11	22.80	25.33	31.01	41.61	61.38	76.36	126.84	135.18	178.76
14	वस्तु सूची	0	1.74	3.73	7.20	5.97	5.73	5.19	7.79	6.21	5.45
15	विदेशी मुद्रा आय	0	0	0	0	0	0.45	30.85	13.48	13.27	12.53
16	शेयर पूंजी	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
17	नियोजित पूंजी	14.18	27.76	31.75	48.92	63.19	80.53	103.87	151.72	195.05	244.69
18	सरकारी निवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नेट वर्थ	24.98	27.47	31.79	47.24	62.96	78.85	114.46	162.76	211.41	246.70
20	नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ (प्रतिशत में)	64.46	23.13	24.98	64.66	47.48	41.30	71.10	62.46	66.54	31.28
21	नियोजित पूंजी पर परिचालनिक मार्जिन (प्रतिशत में)	70.80	34.04	36.35	71.59	55.89	51.58	79.03	70.75	73.95	37.30
22	शेयर पूंजी पर कर के बाद लाभ	27.75	20.60	26.05	98.90	101.15	103.75	232.50	315.25	303.95	242.70
23	आय पर व्यय (प्रतिशत में)	86.36	86.42	90.92	86.93	91.85	92.13	86.73	85.13	81.14	83.53
24	कर्मचारियों की संख्या	45	1318	2146	5616	5246	4963	3780	2645	1934	1762
25	प्रति कर्मचारी आय	1.64	0.05	0.06	0.05	0.08	0.11	0.16	0.27	0.40	0.31
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0	0	0	0	0	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
27	वर्तमान अनुपात	1.22	1.13	1.16	1.14	1.13	1.12	1.13	1.13	1.22	1.26
28	डेब्ट/इक्विटी अनुपात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	निवेश	0	0	0	0	0	0	2.50	2.50	0	0

दाएं से बाएं श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, डॉ. आर. के पचौरी, महानिदेशक, टेरी, श्री श्रीप्रकाश, पूर्व सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड, आईआरसीटीसी की सीएसआर पहल के अन्तर्गत ''सूपी'' ग्राम में ''वर्षा जल संग्रहण प्रणाली'' की स्थापना के संबंध में ग्राम ''सूपी'', मुक्तेश्वर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए।

Seen from right to left, Shri Rakesh Kumar Tandon , MD IRCTC, Dr. R.K.Pachauri, Director General, TERI, Shri Shri Prakash, Ex- Member Traffic, Railway Board addressing the villagers of SUPI village, Mukteshwar, in respect of establishing a rain water harvesting system in 'SUPI' Village under IRCTC CSR initiatives.

श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी की सीएसआर पहल के भाग के रूप में सूपी ग्राम, मुक्तेश्वर में ग्रामीणों को सौर लालटेनें बांटते हुए।

Shri Rakesh Kumar Tandon , MD IRCTC distributing Solar lantern to the villagers of SUPI village , Mukteshwar, as part of IRCTC CSR initiatives.

आईआरसीटीसी द्वारा सीबीआई के मुख्यालय, लोधी रोड़, नई दिल्ली में आयोजित खानपान का दृश्य।
Catering event organised by IRCTC at CBI, Head Quarters, Lodi Road, New Delhi.

आनंद विहार टर्मिनल, नई दिल्ली में फूड एक्सप्रेस किओस्क ''झट पट'' का दृश्य
View of 'Jhat Pat', The Food Express kiosk at Anand Vihar Terminal, New Delhi.

25 फरवरी 2012 को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल के लिए आईआरसीटीसी द्वारा आयोजित विशेष बैंक्वेट रात्रि भोज के अवसर का दृश्य। इस अवसर पर 800 मेहमानों के साथ युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सचिव सहित चीन से आए प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

Special Banquet dinner event organized by IRCTC for the International Delegation of Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India at Jawaharlal Nehru Stadium New Delhi on 25th Feb'2012. Over 800 guests including Secretary, Ministry of Youth Affairs & Sports and delegates from China attended this event.

श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, की उपस्थिति में श्री के.के. झा, सदस्य (मानव संसाधन) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन,नई दिल्ली में खानपान के उद्घाटन के अवसर का दृश्य।

Inauguration of Catering at Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi by Shri K.K. Jha, Member/ HR (Rajiv Gandhi Bhawan) in presence of Shri Rakesh Kumar Tandon, MD/IRCTC.

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna Category-I)

कॉरपोरेट कार्यालय : 9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बडौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23311263, 23311264, फैक्स : 23311259

Corporate Office: 9th Floor, Bank of Baroda Bldg. 16, Parliament Street, New Delhi-110001
Tel.: 23311263, 23311264, Fax: 23311259

*Printed by : **Vijayalakshmi Printing Works Pvt. Ltd.,** E-mail: vpwpl@yahoo.com Mob.: 9899452227*